# राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ३ ] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का ५८वां दिवस [ संख्या ३२



मंगलवार, ८ अप्रेल, १९५८

---

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.८ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

---

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

### तारांकित प्रश्नोत्तर

## कन्या पाठशाला, गुढा बालोतान जालोर

११६८. **श्री तनसिंह** (श्री लक्ष्मीचन्द की अनुपस्थिति में) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि गांव गुढा बालोतान, जिला जालोर में गर्ल्स स्कूल बनाने हेतु सेठ गुलाबचन्द ने रुपये १५,००० (पन्द्रह हजार) बीकानेर बैंक जालोर में जमा कराये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या सरकार ने वहां पर गर्ल्स स्कूल बना दी है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक सरकार उसको बनाने का विचार रखती है ?

**उप-शिक्षा मंत्री** (श्री पूनमचन्द विश्नोई): (१) जी हां, सन् १९५५ में जमा कराये थे ।

(२) उचित स्थान न मिलने के कारण न बना सकी । अब स्थान भी मिल गया है और ब्लॉक डेवलपमेन्ट की तरफ से यह कार्य आरम्भ होने वाला है ।

**श्री अध्यक्ष:** नेक्स्ट ।

## पटेलों व नम्बरदारों को दिया जाने वाला वेतन

११६९. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पटेलों और नम्बरदारों को सेवाओं के बदले क्या सरकार उन्हें वेतन स्वरूप खर्च आय के अनुपात से देती है ?

(ख) यदि नहीं, तो फिर और किस आधार पर देती है ?

(ग) जयपुर डिविजन की किन किन तहसीलों में कितने कितने वर्षों की ऐसी रकम अभी तक नहीं मिली है ?

(घ) क्या टोंक डिस्ट्रिक्ट में भी उक्त रकम बाकी है और अगर हां, तो किन किन तहसीलों में कितनी कितनी ?

(ङ) यह रकम बकाया उनको कब तक चुका दी जावेगी ?

**उप-राजस्व मंत्री** (श्री सम्पतराम): (क) जी हां ।

(श्री सम्पतराम)

(ख) अलग अलग जिलों में अलग अलग अनुपात से उन्हें वेतन स्वरूप खर्च दिया जाता था। अब दिनांक २५-१-५८ की विज्ञप्ति के अनुसार यह वसूली ५ प्रतिशत रक्खी गयी है।

(ग) जयपुर जिले में अप्रेल सन् १९५५ से ऐसी रकम नहीं मिली है। वह रकम जो १९५५ से जून १९५७ तक नम्बरदार आदि को नहीं दी गई हैं। इसकी सूची इस प्रकार हैं: बसुआ २७,९४५, बस्सी १३,६२५, फुलेरा २२,०००, चाकसू १८,७६४, आमेर १२,१७६, जयपुर ३,४२८, दौसा ३८,४४७, कोटपुतली २७,१२३, सांगानेर ७,९५०, बैराठ २६,६०४, जमवा रामगढ़ २६,५३२, लालसोट २६,२२०, सिकराय ३२,८३६, फागी २८,२१७ व दूदू १८,३३६।

(घ) नहीं कोई रकम नहीं दी जाती हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**रावराजा श्री सरदारसिंह**: आपने यह फरमाया कि भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न हैड से दिया है तो यह आप बताएं कि किस किस हैड से दिया जाता है?

**श्री सम्पतराम**: रूल्स पब्लिश होने के बाद से या पहले से?

**रावराजा श्री सरदारसिंह**: रूल्स पब्लिश होने के बाद में?

**श्री सम्पतराम**: रूल्स के मुताबिक तो बाहर से देना चाहिये पर अब रिकवरी शुरू कर दी गई है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह**: पर क्या सरकार यह सोच रही है कि नम्बरदारी टैक्स लगाया जावे?

**श्री सम्पतराम**: टैक्स लगाने का सवाल नहीं है। यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है। रूल में, ५ पर्सेन्ट का प्रोवीजन हैं पर अभी रुका हुआ हैं। मेरा मतलब कहने का यह है कि नम्बरदार या पटेल का टैक्स लगाना विचाराधीन है। पर सब काश्तकारों पर एक आना रुपया लगा कर या ५ पर्सेन्ट लेकर भत्ता कर दिया जावे, अभी निर्णय नहीं हुआ है। सरकार के विचाराधीन है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह**: तब तक एरीयर किसमें से दिया जावेगा?

**श्री सम्पतराम**: यह भी विचाराधीन हैं।

**रावराजा श्री सरदारसिंह**: कब से विचाराधीन हैं और काम तो लिया जा रहा है, उनको कब तक रोका जावेगा?

**श्री दामोदरलाल व्यास**: सन् ५५ से लेकर एरीयर दे दिया गया है। कई जगह मिल गया हैं, कई जगह बाकी है। दिया जा रहा हैं वहां भी।

**रावराजा श्री सरदारसिंह**: आपका खैर एश्योरेन्स तो है।

**श्री दामोदरलाल व्यास**: आप कहां के लिये पूछ रहे हैं, पर्टिकूलर प्लेस बताइये तो वहां का बता दिया जाय।

**रावराजा श्री सरदारसिंह**: देवली, बौंली।

**श्री दामोदरलाल व्यास**: वहां दिया जा रहा हैं। आपको बहुत दिन पहले की बात मालूम हैं, आज कल की खबर मालूम नहीं हैं। तलाश कर लीजिये, दिया जा रहा हैं वहां।

## खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

११७०. **श्री प्रभूलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या वित्त मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मन्त्री की क्या योग्यता है?

(ख) इन्हें कितना वेतन मिलता है?

(ग) इनकी नियुक्ति के समय कितना वेतन तय किया गया था और बाद में वह कितना बढ़ाया गया और क्यों?

**उप-वित्त मंत्री** (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (क) काम का अनुभव ही खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मन्त्री की योग्यता का आधार है।

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(ख) ४००) मासिक वेतन (स्थायी महंगाई भत्ता सहित) मिलता है ।

(ग) नियुक्ति के समय ३००) मासिक वेतन (स्थायी महंगाई भत्ता सहित) तय किया गया था । सवा वर्ष पश्चात् कार्य व उत्तरदायित्व बढ़ जाने के कारण ४००) रुपया मासिक वेतन कर दिया गया है ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इसकी नियुक्ति किस आधार पर की जाती है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : यह मैंने निवेदन किया कि खादी के काम का अनुभव और काम का आधार है ।

**श्री पी० के० चौधरी** : सेक्रेटरी साहब का अपॉइन्टमेन्ट कब हुआ था ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : ८ जुलाई, ५५ में ।

**श्री पी० के० चौधरी** : और इसके पहले खादी का अनुभव कितने साल का है और कहां पर अनुभव प्राप्त किया उन्होंने ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : वे पहले कुछ अर्से से बराबर खादी का काम करते आ रहे थे ।

**श्री पी० के० चौधरी** : कितने दिन पहले और किस जगह पर ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : दो तीन साल पहले ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : कहां कहां पर क्या क्या काम किया, इसके सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं ।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : इसकी डिटेल तो मेरे पास नहीं है । पर अलबत्ता उन्होंने करौली में कार्य किया है और खादी का अनुभव था । इसी आधार पर नियुक्ति हुई है ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इनका अपॉइण्टमेंट पी. एस. सी. के थ्रू नहीं हो सकता था ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैंने निवेदन किया कि सन् ५५ में ही यह नियुक्ति हो गई थी और उनके लिये कोई खास योग्यता की आवश्यकता नहीं है ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इसकी जांच भी क्या पी. एस. सी. से नहीं करवा सकते थे आखिर आपने उसके लिये कोई न कोई आधार तो रखा ही होगा । उसी के अनुसार जांच होकर नियुक्ति की जा सकती थी ।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : यह बोर्ड प्योरली गवर्नमेण्टल नहीं है, सेमी गवर्नमेण्टल है । ऐसी अवस्था में यह जरूरी नहीं समझा गया ।

**डा० चन्द्रकला** : यह वेतनवृद्धि कितने दिन बाद कर दी गई ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : यह काम में अधिकता होने के पश्चात् की गई है और यही वेतनवृद्धि हुई है, उनकी ।

**श्री अध्यक्ष** : सवा साल बाद ।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : २९ मार्च ५७ को ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : क्या गांधीजी के वक्त में भी खादी और ग्रामोद्योगों में काम करने वालों को इतना वेतन दिया जाता था ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

## पाठ्य पुस्तकों की सूचियां

**११४१. रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) चालू वर्ष में पाठ्य-पुस्तकों की सूचियां कब कब प्रकाशित हुई ?

(ख) उक्त पुस्तकों में राष्ट्रीयकरण की गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं ?

(ग) पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

(घ) ऐसी कौन कौन सी फर्म्स हैं जिनके द्वारा ये पुस्तकें प्रकाशित कराई गई ?

Page No.4



(ङ) अब तक कहां कहां पुस्तकों का अभाव है ?

**उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द) :** (क) निम्नलिखित तारीखों में विभिन्न अखबारों व राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित कराई गई :

(१) राजस्थान राजपत्र दिनांक .. २६-९-५७

(२) दैनिक नवयुग, जयपुर .. २०-९-५७

(३) साप्ताहिक ललकार, जोधपुर .. १९-९-५७

(४) जनवाणी, कोटा २६-९-५७

(५) सेनानी, बीकानेर २६-९-५७

(ख) इस वर्ष १४ पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, जिसमें हिन्दी, कक्षा १, २, ३ के लिये, नवीन पाठमाला, कक्षा ४ व ५ के लिये, अंकगणित, कक्षा १, २ व ३ के लिये, सामान्य विज्ञान, कक्षा १, २ व ३ के लिये छप कर प्राप्त हो चुकी हैं और सभी भागों में उपलब्ध हैं। कक्षा ३ की सामाजिक ज्ञान की पुस्तक भी छप कर तैयार हो चुकी है और भेजी जा रही है। कई भागों में भेज दी गई है। कक्षा ४ व ५ की सामाजिक ज्ञान की पुस्तकें कागज प्राप्त होते ही छपना शुरू हो जावेगी।

(ग) (१) अखिल भारतीय आधार पर, पेपर की सप्लाई हेतु कोटेशन्स मंगाये गये।

(२) पेपर सप्लाई करने का भार अनुबन्ध द्वारा टीटागढ़ पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को सौंपा गया। कम्पनी के पास अन्य ऑर्डर्स की अत्यधिकता थी, और फर्म ने पेपर सप्लाई करने हेतु कम से कम दो मास की अवधि चाही।

**(३) ओपन जनरल लाईसेंस** विलीनीकरण के कारण कक्षा १ और २ की हिन्दी पुस्तकों के लिये पैन्क्रोमेटिक फिल्म्स अप्राप्य रहीं।

(४) अति वर्षा के कारण ऑफ सेट की छपाई में कठिनाई उत्पन्न हो गई।

(५) इन्फ्लुएन्जा के भीषण प्रकोप के कारण कुछ मुद्रणालयों में मुद्रण का कार्य रुक गया।

(घ) फर्म जिनके द्वारा पुस्तकें प्रकाशित कराई गई निम्नलिखित हैं:—

(१) मैसर्स इलाहाबाद लॉ जनरल कम्पनी, इलाहाबाद।

(२) इण्डियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद

(३) अवध पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ।

(४) फाइन आर्ट प्रिन्टिंग प्रेस, अजमेर

(५) जयपुर प्रिण्टर्स, जयपुर।

(६) राजस्थान प्रिन्टिंग प्रेस, जयपुर।

(ङ) राजस्थान के डिवीजनों के मुख्य शहरों में करीब करीब सब जगह सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं। कहीं कहीं पुस्तक विक्रेताओं की कठिनाइयों से व पुस्तक पर अंकित ज्यादा मूल्य या उसके साथ अन्य अनाधिकृत पुस्तक लेने को बाध्य करने के संबंध में यह विज्ञप्ति निकाली जा चुकी है कि जिस किसी को पुस्तकें मिलने में कठिनाई हो, यह सम्बन्धित शिक्षा अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुस्तकों का अभाव कुछ अंशों में प्रायः देहाती हिस्सों के स्कूलों में है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह:** आपने फरमाया कि कुछ किताबें छप रही हैं और कुछ का अभाव है तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिन अभावों के कारण छात्रों को परीक्षा में और पढ़ाई में असुविधा हुई है, उसका उत्तरदायित्व किस पर है। कम्पनीज पर है या राज्य सरकार पर ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई:** कारण मैंने बताये हैं। वे कारण जिम्मेदार हैं।

**रावराजा श्री सरदारसिंह :** इस सैशन में पुस्तकें उनके पास कब जावेगी ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : इसी सेशन से।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : पुस्तकें आज छप रही हैं और अभी तक पहुंची नहीं तो फिर बच्चों को पढ़ाया कैसे गया ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जो उपलब्ध थीं, उनके द्वारा पढ़ाया गया।

**डा० चन्द्रकला** : क्या यह सही है कि पहले एक पुस्तक दी गई, फिर राष्ट्रीयकरण की गई, पुस्तकें दी गई। इस प्रकार एक एक विषय की दो दो पुस्तकें बच्चों को पढ़नी पड़ीं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : ऐसी बात हमारी जानकारी में नहीं है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : आपने बताया कि इन्फ्लुएंजा के कारण नहीं छपीं। तो क्या यह इन्फ्लुएंजा टाइप को हो गया या प्रेस को हो गया ?

(हंसी)

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : प्रेस को तो नहीं होता, प्रेस चलाने वाले आदमियों को होता है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : एक प्रश्न है कि ये जो किताबें पब्लिश नहीं हो सकीं, क्या इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से ऐसा आदेश शिक्षकों को या स्कूलों को भेजा गया कि जो किताब उपलब्ध नहीं हैं, उनको पढ़ाने की पूर्ति किसी दूसरे तरीके से की जावे ? इस प्रकार का आदेश भेजा गया था, क्या ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जी हां।

**श्री मुरलीधर व्यास** : उस आदेश के अनुसार क्या सब जगह इस तरह की व्यवस्था की गई ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : ऐसी आशा की जाती है कि उन लोगों ने अवश्य की होगी।

**श्री पो० के० चौधरी** : क्या यह सही है कि फ़ोरेन एक्सचेन्ज नहीं होने की वजह से, पुस्तकों की छपाई में देरी हुई ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : वह भी कई कारणों में से एक है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : क्या पुस्तकों की कमी के कारण छात्रों को जो नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति के लिये कोई आदेश भेजे गये हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : लीनियेन्ट व्यू लेने के लिये कहा गया है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : क्या यह बतायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट के इन्सपेक्टरों को या औरों को यह आदेश करेंगे कि जहां पुस्तकें नहीं पहुची हैं, वहां पहुंचाने का प्रबन्ध करें ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

**श्री अध्यक्ष** : श्री लक्ष्मीचन्द।

## पटवारियों की सीनियोरिटी लिस्ट

**११७२. श्री तनसिंह** (श्री लक्ष्मीचन्द की अनुपस्थिति में): **क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** :

(१) क्या ज़िला जालोर के पटवारियों की सीनियोरिटी लिस्ट प्रकाशित करदी गई है ? यदि हां, तो कब और उसके खिलाफ़ कितनी अपीलें व एप्लीकेशन्स पेश हुई हैं ?

(२) क्या उन अपीलों व एप्लीकेशन्स पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि उक्त सीनियोरिटी लिस्ट के अन्तर्गत कई जूनियर पटवारियों को रेवेन्यू इन्सपेक्टर के प्रोमोशन मिल गये हैं और सीनियर पटवारियों को नहीं मिले हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उप-राजस्व मंत्री** (श्री सम्पतराम) : (१) इस ज़िले के पटवारियों की सीनियोरिटी लिस्ट बन गई है व उसके खिलाफ़ कुल सात उज़्रदारियां पेश हुई हैं। उनका फ़ैसला होकर लिस्ट में दुरुस्ती कर दी गई है और किसी भी पटवारी ने अपील पेश नहीं की है।

(२) सब उज़्रदारियों का फ़ैसला हो चुका है।

(३) सीनियोरिटी लिस्ट में किसी भी जूनियर पटवारी को रेवेन्यू इन्सपेक्टर का प्रमोशन नहीं मिला है।

**श्री तनसिंह:** कितने पटवारियों ने ऐतराज़ किया था या अपील की थी?

**श्री संपतराम:** मैंने अर्ज़ किया कि ७ पटवारियों ने किया था।

## बहुउद्देशीय हाई स्कूल, सोजत

११७३. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): Will the Minister for Education be pleased to state:

(1) When was the Multipurpose High School opened in Sojat City?

(2) Who is the teacher of Chemistry in the said school and when he was posted there?

(3) When Mr. Gulab Singh teacher of the said school was transferred and who was transferred to Multipurpose High School, Sojat in the place of Shri Gulab Singh? When did he join his duties in Sojat Multipurpose High School.

**उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई):** (१) सोजत में मल्टीपरपज स्कूल माह अगस्त, ५५ में खोला गया था।

(२) श्री बी. सी. भोले हैं, जिन्होंने ता० २०-२-५८ को कार्यभार संभाला।

(३) सीनियर टीचर श्री गुलाब सिंह का सोजत से स्थानान्तरण माह नवम्बर ५७ में किया गया था। उस समय इनके रिक्त स्थान पर श्री एम. एस. मेहता की पहले पहल नियुक्ति की गई थी। परन्तु वह उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद श्री प्रेमाशंकर दुब्बे की नियुक्ति के आदेश दिनांक १६ दिसम्बर, १९५७ को निकाले गये, परन्तु वह भी उपस्थित नहीं हुए फिर दिनांक ११ जनवरी, १९५८ को श्री दामोदर लाल की नियुक्ति के आदेश निकाले गये, वह भी उपस्थित नहीं हुए। अब आखिर में श्री बी. सी. भोले का भैंसलाना से सोजत में स्थानान्तरण किया गया है। श्री भोले ने २०-२-५८ को जोइन कर लिया।

**श्री तेजाराम:** श्री गुलाबसिंह का ट्रांसफर किस तारीख को और क्यों हुआ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई:** ट्रांसफर किस तारीख को और क्यों हुआ, यह सूचना तो मेरे पास नहीं है।

**श्री रामचन्द्र:** अध्यापकों ने सोजत जाने के लिये क्यों इन्कार कर दिया। वे वहां नहीं गये, इसके क्या कारण हैं?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई:** किसी दूसरी जगह से अपाइन्टमेंट मिल गया होगा। यह टेम्पोरेरी अपाइन्टमेंट था और दूसरी जगह शायद उनको अच्छी जगह मिल गई होगी।

**श्री रामचन्द्र:** क्या वहां एक भी जाना पसन्द नहीं करता?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (शिक्षा मंत्री):** इसके अन्दर आम तौर से यह होता है कि जो एप्लाई करते हैं उनके मेरिट्स के हिसाब से उनके अपाइन्टमेंटस होते हैं। अगर कहीं पर इस बीच में उनको कोई नियुक्ति मिल जाती है, तो वह जाइन नहीं कर पाते हैं।

**श्री तेजाराम:** श्री गुलाबसिंह के बारे में नहीं बताया कि उनको ट्रांसफर क्यों और किस तारीख को हुआ और वहां के विद्यार्थियों को कैमिस्ट्री का टीचर नहीं मिला?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई:** आपने यह स्पेसिफिकली नहीं पूछा था इसलिए यह सूचना एकत्र नहीं कर सके।

**श्री तेजाराम:** मैंने सप्लीमेन्टरी क्वश्चन पूछा है?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई:** वैसे नवम्बर महीने के लिए बताया कि नवम्बर में ट्रांसफर हुआ। कारण अगर आप पूछें तो अभी उनका पता नहीं।

प्रश्न संख्या ११७४

**श्री अध्यक्ष :** श्रीमोहरसिंह

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर

## मिडिल ट्रेन्ड अध्यापक

११७५. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) प्रांत में इस समय मिडिल ट्रेंड अध्यापकों की संख्या कितनी है ?

(ख) उपरोक्त अध्यापकों की रेशनेलाइज्ड पे स्केल क्यों नहीं नियत की गई है ?

**उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई):** (क) दिनांक ३१-३-५७ को मिडिल ट्रेंड अध्यापक तथा अध्यापिकाओं की संख्या ४६५० थी।

(ख) नियत की गई है, ५०-२-६०-ई. बी.-३-७५ है ।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : मेरा सवाल टू इयर्स मिडिल ट्रेंड टीचर्स के संबंध में था और शायद मिडिल ट्रेंड अध्यापकों के लिए है।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** आपका सवाल आया है, प्रांत में इस समय मिडिल ट्रेंड अध्यापकों की संख्या कितनी है ?

**श्री अध्यक्ष :** आप किसके बारे में पूछना चाहते थे ?

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : मैं टू इयर्स मिडिल ट्रेन्ड टीचर्स के लिए पूछ रहा था ।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : मैं उत्तर देने में मजबूर हूं क्योंकि इसमें छपा नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष** : टू इयर्स ट्रेन्ड में क्या मतलब है ?

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर :** कई टीचर्स ऐसे हैं जिनको एक साल की ट्रेनिंग दी गई थी और कुछ ऐसे थे, जिनको दो साल तक ट्रेनिंग दी गई थी ।

प्रश्न संख्या ११७

**श्री अध्यक्ष : श्री** मूलचन्द डागा

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम गहलोत

## पाली में हरिजनों के लिए कुंए का निर्माण

११७७. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची): क्या मंत्री समाज कल्याण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

समाज कल्याण विभाग द्वारा पाली जिले में हरिजनों के कुएं बनाने हेतु कितनी धनराशि कहां कहां पर व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

**उप-समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल):** समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् १९५७-५८ में पाली जिले में हरिजनों को कुए बनवाने हेतु १००० रु० की धनराशि निम्न स्थानों के लिए स्वीकृत की गई है :

१. ग्राम काजू, तहसील जैतारण ५००रु०

२. ग्राम बूसी, तहसील देसूरी ५००रु०

**श्री अध्यक्ष :** श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री।

## विकास खण्ड सांगानेर

११७८. **श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री** (आमेर): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि ग्राम विकास खंड सांगानेर द्वारा एक सड़क डिग्गी रोड से ग्राम कपूरा हालर तक बनाये जाने की योजना है ?

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक हाथ में लिया जायेगा ?

**उप-योजना मंत्री (श्री सम्पतराम):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**प्रश्न संख्या ११७९**

**श्री अध्यक्ष :** श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

**श्री रामकरण सिंह।**

## ऐतिहासिक भवन

११८०. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) ऐतिहासिक स्थान व इमारत राजस्थान में कहां कहां है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) उन स्थानों को सुव्यवस्थित रखने के लिये, सरकार क्या कर रही है ?

(ग) क्या वैराठ में भी ऐसे स्थान हैं ?

(घ) यदि हां, तो कौन कौन से ?

(ङ) क्या सरकार ने किसी प्रकार से उन स्थानों की देखरेख का प्रबन्ध कर रखा है तथा क्या उनकी मरम्मत कराई गई है ?

**उप-मंत्री (श्री पूनमचनद विश्नोई):** (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) उनको सुव्यवस्थित रखने के लिये सरकार ने चौकीदारों की नियुक्ति की है और मरम्मत कराती है।

(ग) जी हां।

(घ) मुगलबाग, जैनबाग, जैन मन्दिर, टक्साल और अशोककालीन बौद्ध मन्दिर व बौद्ध मठों के अवशेष, भीमजी की डूंगरी, अशोक का शिलालेख।

(ङ) जी हां। (कृपया परिशिष्ट १ देखिये)।

**श्री रामकरणसिंह** : क्या वैराठ में भी कोई चौकीदार की नियुक्ति है ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : होनी चाहिये। जहां पर इस तरह के अवशेष हैं, वहां पर सब जगह हैं।

**श्री रामकरणसिंह** : मेरे पूछने का मतलब है कि वैराठ में है या नहीं ? जहां कि बहुत हो महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिनका आपने अभी जिक्र किया। क्या उनकी देखरेख के लिए, सुरक्षा के लिये कोई चौकीदार नियुक्त है या नहीं ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : जी हां, इसका उत्तर दिया हुआ है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : क्या सूची में जैसलमेर का दुर्ग और वहां का जैन मन्दिर भी सम्मिलित है ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : मैंने इसकी सूची दे दी है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : वह सूची मेरे पास नहीं है इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। आप बता दें कि यह सूची में हैं या नहीं।

**श्री भैरोंसिह** : यह सूची राज्य के किस विभाग ने तैयार की है ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : आर्क्योलोजी डिपार्टमेण्ट ने ।

**श्री भैरोंसिह** : क्या यह सही है कि जिस समय सूची तैयार हुई उस समय राज्य के ठिकानों का इण्टीग्रेशन होने के बाद ठिकानों के एरिया में जितने भी हिस्टोरीकल प्लेसेज थे उनके बारे में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाये ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : ऐसे हिस्टोरिकल मानुमेण्ट्स थे और वह पहले भी आर्क्योलोजी में हो सकते थे।

**श्री भैरोंसिह** : उस समय ऐसे मानुमेण्ट्स की प्रापर्टी थी। अब जागीरदारी समाप्त होने के बाद में वह सब सरकार को हैन्ड ओवर कर दिए गए और अब उनकी देखरेख नहीं होती है।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : अगर ऐसे कोई हैं तो आप सूचित करें हम इनको ले लेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

## भूमिहीन हरिजनों को काश्त हेतु दी गई ज़मीन

११८१. **श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर जिले में अप्रेल १९५६ से ३१ जनवरी, १९५८ तक किन किन लैंडलैस हरिजन्स को कृषि करने हेतु भूमि किस किस तहसील में और कितनी कितनी दी गई ? विवरण बतलायें।

(ख) यदि नहीं दी गई, तो क्यों ?

**उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम)** : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरोंसिह ।

## साहित्य अकादमी

११८२. **श्री भैरोंसिह** (श्रीमाधोपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) साहित्य अकादमी में जिन जिन व्यक्तियों को इसके सदस्य एवं पदाधिकारी सरकार द्वारा मनोनीत किया गया है उनकी प्रत्येक की साहित्य के क्षेत्र में, क्या क्या योग्यता है ?

(ख) क्या यह सही है कि इन सदस्यों से भी अच्छी योग्यता के व्यक्ति इस अकादमी के सदस्य नहीं बनाये गये हैं ?

(ग) राजस्थान के बाहर के किन किन व्यक्तियों को इसका सदस्य बनाया गया है और क्यों ?

**उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई)** (क) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम तथा उनकी साहित्य के क्षेत्र की योग्यता की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सरकार की जानकारी में इनसे अच्छी योग्यता के व्यक्ति नहीं हैं ।

(ग) किसी को नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि साहित्य अकादमी में जिस महिला को मनोनीत किया गया है, वह राजस्थान की महिला नहीं है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : (मुख्य एवं शिक्षा मंत्री) : राजस्थानी है ।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि राजस्थान के बाहर वह रहती है और राजस्थान के बाहर ही उसकी शादी हुई है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : हो सकता है । कोई दो जगह और तीन जगह भी रह सकता है । लेकिन राजस्थानी न हो, ऐसी बात नहीं है ।

**श्री भैरोंसिंह** : यह किस आधार पर माना जाय कि जो व्यक्ति कलकत्ता में रहे और उसको राजस्थान का रहने वाला, किस प्रकार से माना जायेगा ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : उन्होंने यहां के साहित्य की सेवा की है और वह कलकत्ता नहीं, दिल्ली में रहती हैं ।

**श्री भैरोंसिंह** : लेकिन राजस्थान से बाहर रहती हैं ।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : कोई बात नहीं है । राजस्थानी तो हैं ही ।

**श्री भैरोंसिंह** : जिन जिन व्यक्तियों को राज्य सरकार ने साहित्य अकादमी में मनोनीत किया है, क्या उनसे अधिक योग्यता वाले व्यक्ति नहीं हैं ? इस योग्यता का आधार क्या था ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : यह हमारा विधान है अकादमी का, उसमें लिखा हुआ है ।

**श्री भैरोंसिंह** : नहीं, कोई विधान नहीं है । इसके ऊपर राज्य सरकार किस प्रकार से पहुंची है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : यह तो अपनी अपनी जानकारी और समझदारी की बात है । इनको साहित्य के क्षेत्र में अधिक योग्यता है । जैसे आप किसी कवि को अच्छा समझें और दूसरा व्यक्ति दूसरे को समझे । लेकिन वे अयोग्य व्यक्ति हों, ऐसी बात नहीं है ।

**श्री श्रीभानसिंह** : Is it a fact that the literature written by the members of the Sahitya Academi has outright been rejected by all the publishers in Rajasthan and all over India.

**श्री अध्यक्ष** : That shows how high their standard is.

**श्री पी. के. चौधरी** : आपकी जो योग्यता का स्टेंडर्ड है, वह उनका लिटरेरी प्रोडेक्शन से नापा गया है या एप्रिसियेशन से नापा गया है ?

**श्री अध्यक्ष** : These things cannot be discussed. It is a question of appreciation from the Government side.

**श्री भैरोंसिंह** : जिन सदस्यों को नामजद किया गया है, क्या यह सही है कि वे राजनैतिक पार्टी के सदस्य हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : ऐसा मैं समझता हूं कि यदि आप नामों को देखेंगे तो ऐसा अहसास नहीं होगा ।

**श्री श्रीभानसिंह** : Is the Chairman, Sahitya Academi, drawing any honoraria for the post ?

**श्री मोहललाल सुखाडिया** : जी नहीं ।

## तहसील आहोर के कर्मचारियों को वेतन का न मिलना

११८३. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर, (सीकर)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या आहोर तहसील में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है ?

# Page No.11



(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

(ख) क्या यह सही है कि तहसील के कई कर्मचारियों को कई महीनों से तनखा नहीं मिल रही है? यदि हां, तो क्यों?

उप-मन्त्री (श्री सम्पतराम): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, इस तहसील के किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह बाकी नहीं है, सिवाय श्री पोरेश्वर ऑफिस कानूगो के जो माह नवम्बर सन् १९५७ में आहोर आये हैं और जिसके लिये तहसील सांचोर को जल्दी अदायगी के लिये लिख दिया गया है।

**श्री भैरोंसिंह**: क्या यह सही है कि इस तहसील के कर्मचारियों को माहवारी तनख्वाह नहीं मिल रही है?

**श्री सम्पतराम**: नहीं। सबको माहवारी तनख्वाह मिलती है।

**श्री भैरोंसिंह**: क्या यह सही है कि कई कर्मचारियों को तीन तीन महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और बहुत मुमकिन है कि इस क्वेश्चन के आने के बाद मिली हो?

**श्री अध्यक्ष**: तो भी उन्हें संतोष करना चाहिये।

**श्री सम्पतराम**: इसका कोई कारण होगा।

प्रश्न संख्या ११८४

**श्री अध्यक्ष**: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

## लगान वसूली

११८५. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) तहसील कोटपूतली में किन किन गांवों के किन किन काश्तकारों का लगान कब से कब तक का वसूल नहीं हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) लगान किस कारण से वसूल नहीं किया गया? यदि हां, तो कब कितने समय का तथा किस हिसाब से वसूल किया जायेगा?

(ग) क्या सरकार को विदित है कि काश्तकारों को कई वर्षों का लगान एक साथ देने में कठिनाई होगी?

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे यह कई वर्षों के लगान का बोझा आसानी से कम हो सके?

**उप-मन्त्री (राजस्व)** (श्री सम्पतराम): तहसील कोटपूतली में बिस्वेदारी सिस्टम है। वसूली मतालबे का यह तरीका है कि बिस्वेदार हैं अपने खाते की रकम खुद विस्वेदारी सरकार में जमा कराने के लिये जिम्मेदार और विस्वेदारान अपना शुदा लगान काश्तकारान से खुद सीधा वसूल करते हैं। ऐसी दशा में तहसील काश्तकारों के बकाया लगान की सूची तैयार नहीं करती।

(ख) काश्तकारान ने लगान बिस्वेदारान को नहीं दिया है। इसलिये वसूली में दिक्कत हो रही है मगर वसूली की कार्यवाही जारी है।

(ग) बिस्वेदारान स्वयं अपने निजी के मतालबे की अदायगी के जिम्मेदार हैं।

(घ) यह प्रश्न सरकार तथा काश्तकारान का न होकर बिस्वेदारान से सम्बन्ध रखता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री रामकरणसिंह**: क्या यह सही है कि इस बारे में काश्तकारों ने बार बार अपने प्रार्थना-पत्र देकर सरकार से यह चाहा है कि लगान ले लिया जाय?

**श्री सम्पतराम**: सुनाई नहीं दिया।

Page No.12



**श्री रामकरणसिंह** : क्या यह सही है कि इस बारे में काश्तकारों ने सरकार में यह दरख्वास्तें दी हैं कि हमसे भूमि का लगान नहीं लेते हैं ? यदि उनको लगान न दिया जाय तो उसको तहसील में जमा करवा दिया जाय।

**श्री सम्पतराम** : इसमें प्रार्थना-पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। टेनेन्सी एक्ट में प्रोवीज़न है कि तहसील में जमा करा सकते हैं।

**श्री रामकरणसिंह** : क्या यह सही है कि इस बारे में प्रार्थना-पत्र दिये गये और उन पर कलेक्टर साहब के ऑर्डर होने के बावजूद भी तहसील में जमा नहीं किये गये ?

**श्री सम्पतराम** : इसमें किसी को किसी प्रकार की आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है। डाक के ज़रिये से वे भेजे जा सकते हैं और मन्ज़ूर करने के लिये तैयार नहीं हैं तो तहसील में रुपया जमा कराया जा सकता है।

**श्री रामकरणसिंह** : डाक के द्वारा भी रुपये भेजे गये और जब उन्होंने नहीं लिये उसके बाद में जिलाधीश के ऑर्डर्स होने के बावजूद भी तहसील में रुपये जमा नहीं किये गये, क्या यह सही है ?

**श्री सम्पतराम** : अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि लैण्डलार्ड रुपया नहीं लेते हैं, तो न लेने दें। जिस समय वे लेंगे उस समय दे दिये जावेंगे।

**श्री रामकरणसिंह** : नहीं लेने के कारण टेनेन्सी एक्ट में यह भी प्रोवीज़न है कि तीन साल तक यदि रुपया जमा नहीं कराया जाय, तो उनको बेदखल किया जा सकता है।

**श्री सम्पतराम** : वह लगान अदा नहीं करते हैं तो इजेक्टमेन्ट का सूट ला सकते हैं और टीनेन्सी एक्ट में यह प्रोवीज़न है। लेकिन ऐसे समय में किसान कह सकता है कि तैयार था, और अब भी तैयार हूं।

## किशनगढ़ सब-डिविज़न में प्राथमिक पाठशालाओं को माध्यमिक पाठशालाओं में परिवर्तित किया जाना

११८६. **डा० चन्द्रकला** : (श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा की अनुपस्थिति में) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

सरकार की किशनगढ़ सब-डिविज़न में इस साल कितने और कौन कौन से गांवों के प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल बनाने की योजना है ?

**उप-मंत्री (शिक्षा) (श्री पूनमचन्द विश्नोई)** : ज़िला विकास समिति की सिफ़ारिश पर कोटे के अनुसार मिडिल स्कूल्स बनाये जावेंगे। इसलिये इसके संबंध में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है।

**डा० चन्द्रकला** : क्या प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में परिवर्तित करने की सिफ़ारिश विकास समिति करती है ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : जी हां।

**डा० चन्द्रकला** : तब तो विकास समिति की सिफ़ारिश विभाग मांगता होगा ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : जी हां।

**डा० चन्द्रकला** : कब तक वे आजानी चाहिए और कब तक आजायेंगी वे सिफ़ारिशें ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : जून के पहले हफ्ते तक आने की उम्मीद है।

**श्री रामकरणसिंह** : क्या ज़िला विकास समिति की सिफ़ारिशें सरकार मानती है ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : आम तौर से मानती है।

# Page No.13



**श्री रामकरणसिंह** : जिला विकास समिति की सिफारिशें यदि मानी जाती हैं तो क्या जिला जयपुर में ऐसी सिफारिशें हैं कि जिन्हें सरकार ने नहीं माना है?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : ऐसा होता है कि डेवलपमेन्ट कमेटी १० के लिये लिखती है और दो ही खोलना होता है तो उसमें सिफ़ारिश तो है लेकिन जितना नम्बर है उतने ही खुलेंगे, जितना कि जिले को मिलता है।

**श्री रामकरणसिंह** : जिले का नम्बर पर पहले-गवर्नमेन्ट विचार करती है और फाइनल करती है उसके करने के बाद ही विकास समिति में रखे जाते हैं।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : सरकार को अधिकार है पलटने का।

**श्री अर्जुनदास** : अधिकार नहीं पूछा है। The questions is whether the Government has been doing it or not?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** In some of the cases it might have been doing. After all the Government is the sanctioning authority.

**श्री अर्जुनदास** : We are not concerned with that. We want to know whether it has been doing or not?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : If the Hon'ble Member can give some instance, I may be in a position to give a reply.

**श्री अर्जुनदास** : That is called begging the question. We are asking the question here and you have to give the reply; not that you ask the question.

**श्री पी. के. चौधरी**: May I understand that no schools are opened except at the recommendations of the District Development Committee?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : No.

**श्री पी. के. चौधरी** : Then how do you say that the District Development Committee....

**श्री अध्यक्ष** : He says that the recommendations are made and they are opened after the recommendations have been duly considered.

Duly considered.

**श्री पी. के. चौधरी** : That I understand, Sir. What I wanted to know was whether any schools are opened except at the recommendations of the Committee. If they are opened even otherwise, the answer given by the Hon'ble Minister is incorrect.

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : आम तौर से परिवर्तन नहीं किया जाता है परन्तु कोई ऐसी विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी जगह काफ़ी सहयोग दिया मकान वगैरह का, तो उस पर विचार करना पड़ता है।

**श्री रामकरणसिंह** : तहसील कोटपूतली के लिये इन्सपेक्टर महोदय ने भी सिफ़ारिश की है और क्राइटेरिया के हिसाब से उसका पहला नम्बर था। डिस्ट्रिक्ट डवलपमेन्ट कमेटी ने भी की है..

**श्री अध्यक्ष** : यह प्रश्न किशनगढ़ के बारे में है।

**श्री रामकरणसिंह** : मैं एक इन्स्टांस देकर पूछ रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : आप किस तरह से पूछ सकते हैं, वे सारे जिलों की सूचना अपने साथ में लेकर नहीं आ सकते हैं। किशनगढ़ के बारे में पूछा गया था, वह लाये हैं।

# Page No.14



## भाखरा क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को दी जाने वाली जमीन

११८७. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

तहसील हनुमानगढ़ व सूरतगढ़ के भाखरा क्षेत्र में अलग-अलग रिजर्वेशन के बाद भूमिहीन किसानों के लिये कितनी भूमि बचती है।

**उप-राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम)** : अनुमानतः तहसील कोलोनाइजेशन सूरतगढ में २०,००० एकड़ तथा तहसील कोलोनाइजेशन हनुमानगढ़ में ५,००० एकड़ आराजी भूमिहीन किसानों के लिये बच रहेगी।

**श्री श्योपतसिंह** : यह कैसे पता हुआ कि २५ हजार एकड़ जमीन भूमिहीन किसानों के लिये बची है ?

**श्री सम्पतराम** : अन्दाजा लगाकर ही जवाब दिया जा सकता है हमारा अन्दाजा इतना ही है।

**श्री श्योपतसिंह** : यह अन्दाजा क्यों है जब कि वहां कोलोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट बैठा है और उसने सारी जमीन का सर्वे कर लिया। इसके डेफिनिट आंकड़े क्यों नहीं है ?

**श्री सम्पतराम** : अन्दाज का सवाल इसलिये है कि अभी तक काम जारी है और आबादी के लिये और मण्डियों के लिये जमीन रिजर्व होना है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के एलाटमेन्ट होना है। उसके बाद में जो रकबा बचा रहेगा, वह भूमिहीन किसानों को बांट दिया जायगा।

**श्री श्रीभानसिंह** : २५ हजार बीघा किस बेसिस पर रखा है ?

**श्री सम्पतराम** : हमारी आवश्यकता इतनी ही है। टोटल नम्बर इतने बीघा जमीन एवेलेबिल है। विभिन्न कामों में इस्तेमाल होने के बाद में बाकी भूमि बच जाय वह भूमिहीन किसानों को मिलेगी।

**श्री श्रीभानसिंह** : भूमिहीन किसानों से एप्लीकेशन्स इन्वाइट की गई थीं या सर्वे किया था कि इतने भूमिहीन किसान हैं जिनको जमीन देनी है ?

**श्री सम्पतराम** : हां, प्रार्थना-पत्र इन्वाइट किये थे।

**श्री श्रीभानसिंह**: Is the Hon'ble Minister in a position to give the number of landless labourers in this place ?

**श्री सम्पतराम** : डेफिनेटली।

६३८७ और ३३२० कुल ९,७०७ प्राप्त हुई।

**श्री श्रीभानसिंह** : इन एप्लीकेशन्स पर पर फैमिली कितना एलॉटमेन्ट करना चाहते हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मन्त्री) : जितनी एप्लीकेशन्स आई हैं, यह जरूरी नहीं है कि उनमें से सब लैण्डलेस टिनेन्ट्स की ही आई हैं। अब उनकी जांच होगी और उसके बाद यह निर्णय किया जायेगा कि कितनों को जमीन दी जा सकती है।

**श्री किशनलाल शाह** : क्या लैण्ड लेस टिनेन्ट्स की पॉलिसी घोषित की है ?

**श्री दामोदर लाल व्यास** : जी हां।

**श्री श्रीभानसिंह** : कितनी जमीन देने का इरादा है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह सब रूल्स में दर्ज है।

**श्री श्रीभानसिंह** : क्या उक्त परिभाषा में अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज भी आते हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : हमने अलग अलग लैंण्ड को एलॉट करने के लिये अलग अलग रूप से डिफ़ाइन किया है। भाखरा एरिया की लैंण्ड के लिये जो डिफ़ाइन किया है उसमें ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज़ हैं।

**श्री मदनसिंह** : जिन्होंने अब तक दरख्वास्तें दी हैं उनमें से ऐसे कितने आदमी हैं जिनके पास जमीनें हैं?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह तो जांच करने से मालूम होगा।

**श्री मदनसिंह दांता** : तब फिर यह कैसे अनुभव हुआ कि लैंण्ड होते हुए भी लोगों ने दख्वास्तें दी हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जो भी दर्ख्वास्त आती है, उसकी जांच होती है।

**श्री शोभानसिंह** : गवर्नमैंन्ट ने किस तारीख को जांच करने का ऑर्डर दिया ?

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न संख्या ११८८ श्रीमती सतवन्त कौर।

## विस्तार सेवा खंड करनपुर

११८८. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड अधिकारी द्वारा पिछले ३ सालों में करनपुर विस्तार सेवा खंड में कितना सीमेन्ट व कोयला वितरित किया गया ? व्यौरा पेश किया जाय।

**उप-योजना मंत्री (श्री सम्पतराम)** : इसकी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है,इसलिये अगली टर्न पर ले लिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : In next week.

## गिरदावर कानूनगो को दिया जाने वाला दैनिक भत्ता

११८९. **श्री प्रभूलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या गिरदावर कानूनगो को अपने हल्के में सफ़र करने पर डी. ए. मिलता है ?

(ख) क्या गिरदावरों के हैडक्वार्टर कायम कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनको मकान व दफ्तर के लिये फ़र्नीचर दिया जाता है ?

**उप-योजना मंत्री (श्री सम्पतराम)** : (क) जी नहीं। मिलने का सवाल पैदा नहीं होता।

(ख) गिरदावर कानूनगो को हैड-क्वार्टर पर कार्य करने के लिये सरकारी फ़र्नीचर दिया जाता है और प्रायः सभी को आवश्यकतानुसार दे दिया गया है और जहां जहां नहीं है उनको फ़र्नीचर देने को कार्यवाही की जा रही है।

## जिन्क स्मेल्टर प्लांट

११९०. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या उद्योग व व्यवसाय मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में लगने वाले जिंक स्मेल्टर प्लान्ट पर कुल कितनी रकम खर्च होगी ?

(२) उक्त प्लान्ट किस जगह लगेगा व इसका कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

(३) राजस्थान सरकार व भारत सरकार कार्य के लिये कितनी रकम सहायता या कर्ज के रूप में मेटल कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को देगी ?

Page No.16



(श्री सोहनलाल भटनागर)

(४) यह उद्योग सरकारी क्षेत्र में क्यों नहीं आरम्भ किया गया ?

**उप-उद्योग व व्यवसाय मंत्री** (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) करीब साढे तीन करोड़ ।

(२) उदयपुर में । जितनी जल्दी हो सकेगा ।

(३) अभी इस बात पर बातचीत चल रही है । कोई बात निश्चित नहीं हुई है ।

(४) प्राइवेट क्षेत्र में होने से काम जल्दी हो सकेगा । क्योंकि कम्पनी के पास टेक्निकल एक्सपर्टस मौजूद हैं । अगर कम्पनी ने कोई शिथिलता दिखाई तो काम सरकार अपने हाथ में ले लेगी ।

**श्री सोहनलाल भटनागर** : यह कब लगेगा तारीख निश्चित नहीं हो पाई है क्या ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : १९६०-६१ में ।

**श्री जनार्दनराय नागर** : क्या यह निश्चय हो चुका है कि ब्यावर में या उदयपुर में लगेगा ।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : जी हां, उदयपुर में लगेगा ।

**श्री सोहनलाल भटनागर** : यह वहां पर किस जगह लगेगा ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : जगह सिलेक्ट करली गई है ।

**श्री भानसिंह** : यह निश्चय कब हुआ ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : मनुभाई शाह आये थे, तब हुआ ।

**श्री भानसिंह** : क्या यह पक्का निश्चय है या विचाराधीन है ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्सट क्वेश्चन ।

**प्रश्न संख्या ११९१**

श्री रामकिशन

(अनुपस्थित)

## संस्कार केन्द्र, बारां

११९२. **श्री बन्नालाल हरित (छाबरा)** : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

**(१) बारां में संस्कार केन्द्र की स्थापना कब की गई ? इस समय किस मोहल्ले में व किसके मकान में केन्द्र चल रहा है ?**

**(२) केन्द्र का संचालक कौन है एवं उसमें क्या कार्यक्रम चलता है तथा उपस्थिति कितनी हो जाती है ?**

(३) उक्त केन्द्र का निरीक्षण उसके स्थापना दिवस से अब तक विभाग के किन किन अधिकारियों द्वारा किया गया ?

**उप-मंत्री समाज कल्याण विभाग** (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) बारां में कोई संस्कार केन्द्र की स्थापना नहीं की गई ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री जनार्दनराय नागर** : इस संस्कार केन्द्र से क्या मतलब है ? इसकी कल्पना क्या है । वैसे यह बड़ा व्यापक शब्द है । संस्कार का मतलब हमारी सभ्यता के अनुसार कुछ और होता है ।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : इसके बारे में पहले जवाब दिया जा चुका है ।

**श्री तनसिंह** : इस संस्कार में दाह-संस्कार भी शामिल है या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्सट क्वेश्चन ।

# Page No.17



## माउन्ट आबू के विकास हेतु किये गये कार्य

११९३. श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या विकास व योजना मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

माउन्ट आबू के विकास हेतु क्या क्या कार्य किये गये हैं और उनमें कितनी धनराशि खर्च हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**मुख्य एवं योजना मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया)** : (१) आबू के विकासार्थ निम्नलिखित कार्यों के लिये, उनके सामने दी हुई, धनराशि मंजूर की गई थी :

१. नक्की झील को जाने वाली सडक को चौडी करने हेतु तथा यहां एक चबूतरा नुमा बाग लगाने हेतु ५७,००० रु.

२. आबू शहर की सड़कों को ठीक करने व चौड़ा करने के लिये ४८,३६० रु.

३. अधरदेवी के मंदिर की सीढियों को ठीक करने हेतु २०,००० रु.

४. अचलगढ़ दिलवाडा सडक को ठीक करने के लिये ३,५७,००० रु.

५. अनादरा से माउन्ट आबू जाने वाले रास्ते को ठीक करने के लिये १,००,९९० रु.

६. गोमुख सड़क व सीढ़ियों को ठीक करने के लिये १,५०,००० रु.

७. नक्की झील के चौतरफा सड़क बनाने के लिये १,५०,००० रु.

८. कोटा हाउस में मरम्मत के लिये १५,१२५ रु.

९. धौलपुर हाउस में मरम्मत के लिये ४,६८५ रु.

१०. पुराने अलवर हाउस में मरम्मत के लिये ३,०५० रु.

११. जैनिंग हाउस को लड़कियों के होस्टल में परिवर्तन करने हेतु २८,००० रु.

१२. दिलवाडा में डाक बंगलों को ठीक करनेहेतु ५०० रु.

१३. ओरिया डाक बंगलों को ठीक करने हेतु ५०० रु.

१४. यात्रियों की सुविधा के लिए दो मोटरें खरीदने में २६,७२० रु.

—————
९,६१,९३० रु.
—————

ऊपर लिखित रकम में से मार्च के अंत तक ठीक कितना खर्चा हुआ यह जानकारी मंगवाई जारही है।

निम्नलिखित विकास कार्य आबू म्युनिसिपैलिटी द्वारा किए गए :

१. पानी सप्लाई की व्यवस्था ठीक करने में ११,७४९ रु.

२. नालियां ठीक करने में १,६४१ रु.

३. सेनेटरी का सामान खरीदने में १९५१ रु.

४. स्टेशन पर ज्यादा बिजली की बत्तियां लगाने व सार्वजनिक इमारतों में बिजली लगाने में ४,००० रु.

५. बाग, पार्क आदि स्थानों को ठीक करने हेतु तथा नक्की लेक पर बाग लगाने हेतु २२,३३५ .

Page No.18



(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

| | |
|---|---|
| ६. नक्की झील व सनसेट पाइंट पर विश्राम गृह बनाने हेतु | ८,१६० . |
| ७. म्युनिसिपैलिटी बंक की सराय को ठीक करने हेतु | ५,५६० रु. |
| ८. स्टेशन की सड़क ठीक करने हेतु | ७,२६८ रु. |
| ९. ध्वनि विस्तारक यंत्र खरीदने हेतु | १,६०० रु. |
| १०. नाव सुविधा के हेतु तथा मोटर नाव व प्लेटफार्म के लिये | २७,१५० रु. |
| ११. म्युनिसिपल टाउन हाल को सिनेमा हाउस में परिणित करने हेतु | १२,२१५ रु. |
| १२. नल आदि खरीदने में | ६,००० रु. |
| | १,०६,६५६ रु० |

इसके अलावा नक्की झील के चौतरफा बिजली लगाने का कार्य चालू है ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : क्या मुख्य मंत्रीजी यह बतायेंगे कि आबू से पालनपुर पाइंट तक सडक जाती है सनसेट पाइंट के ऊपर वाली सडक को ठोक बनाने के लिये इसमें जिक्र नहीं है क्या कारण है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : अभी इतना खर्चा तो हो जाय, फिर आगे सोचेंगे ।

**श्री अनोपसिंह** : यह कब तक लगाने की योजना है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : कितना खर्चा किया जा चुका है, इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन ५८-५९ तक खर्च हो जायगा ।

**श्री पी. के. चौधरी** : जिन मकानों के लिये पैसा खर्च कर रहे हैं, उनसे इन्कम कितनी आयेगी ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्सट क्वेश्चन ।

## पुरुषार्थियों को भवन निर्माण हेतु भूमि का दिया जाना, गंगापुर

११६४. **श्री पृथ्वीराज (गंगापुर)** : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

क्या सरकार यह बता सकेगी कि गंगापुर शरणार्थियों को मकान बनवाने के लिये भूमि कब तक दे दी जावेगी ?

**राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास)**: गंगापुर में नगर विकास योजना अभी वहां की नगरपालिका के विचाराधीन है । इसके पूर्ण होने पर वहां के विस्थापितों को भूमि देने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

**श्री पृथ्वीराज** : वे लोग मारे मारे फिरते हैं, उनको कब तक मिल जायगी ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : नगरपालिका ज्योंही अपनी डेवलपमेंट की स्कीम फाइनेलाईज कर देगी उस वक्त उनके लिये भी रिजर्वेशन हो जायगा ।

**डा० चन्द्रकला** : सरकार शरणार्थियों का शरणार्थीपन कब तक मिटायेगी ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मिट चुका है ।

**डा० चन्द्रकला** : क्या आप मानते हैं कि सब अच्छी तरह से बस चुके हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आम तौर से करीब करीब बस चुके हैं ?

**डा० चन्द्रकला** : आम तौर से और करीब करीब विशेषणों के साथ यह नहीं कहा

# Page No.19



(डा० चन्द्रकला)

जा सकता कि उनका शरणार्थीपना मिट चुका है।

## गृह उद्योग विकास, गंगाशहर

११९५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या उद्योग व व्यवसाय मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने को कृपा करेंगे:

(१) क्या गंगाशहर के कुम्हारों के गृह उद्योग विकास संबंधी कोई योजना उद्योग विभाग, बीकानेर, ने सरकार के सामने प्रस्तुत की है ?

(२) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया है ?

**उप-उद्योग व व्यवसाय मंत्री** (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री मुरलीधर व्यास**: क्या यह बात सच नहीं कि आज से करीब ३ वर्ष पहले गंगाशहर के कुम्हारों द्वारा उत्पादन को वृद्धि के लिये एक दरख्वास्त कलेक्टर, बीकानेर को दी थी ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : आपने प्रश्न किया है कि क्या गंगाशहर के कुम्हारों के गृह उद्योग विकास संबंधी कोई योजना उद्योग विभाग, बीकानेर, ने सरकार के सामने प्रस्तुत की है, उसका जवाब मैंने दिया, जी नहीं। कलक्टर को दी है तो उसका ताल्लुक उद्योग विभाग से नहीं है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : डेवलपमेण्ट के लिहाज से उद्योग भी कलक्टर से संबंध रखता है उनको दरख्वास्त दी गई है।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : डेवलपमेन्ट के विषय में दी होगी, लेकिन उद्योग के विषय में नहीं आई।

**श्री मुरलीधर व्यास** : क्या कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री विभाग के किसी अफसर के सामने नहीं दी गई ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : जी नहीं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि दी गई है। यह जवाब गलत है।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : यदि दी है तो जानकारी कर लेंगे।

## सरकारी पड़त जमीन पर जबरदस्ती की गई काश्त, टोंक

११९६. **श्री लालूराम टटवाड़िया** (टोंक) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) जिला टोंक में कौन कौन से गांवों में किसानों द्वारा सरकारी पड़त जमीन पर जबरदस्ती काश्त की गई है ?

(ख) क्या सरकार द्वारा जो अलॉटमेन्ट कमेटी नियुक्त की गई है वह बराय नाम है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि जिन भूमि-हीनों को जमीन मिलनी चाहिये, उनको नहीं मिलती है और वे लोग जिनके पास पहिले से ही काफी भूमि है, पड़त जमीन पर जबरदस्ती काश्त कर लेते हैं ?

**उप-राजस्व मंत्री** (श्री सम्पतराम) : ३५३ गांवों में। ६५६६ बीघा ७ बिस्वा।

(ख) जी नहीं।

(ग) भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र आने पर नियमानुसार, विशष कर जो भूमि उपलब्ध है, उसको देखते हुए जमीन दी जाती है। जबरदस्ती कब्जा करने वालों म अधिकांशतः वे लोग हैं जिनके पास पहिले से भूमि है।

**श्री श्रीभानसिंह** : क्या जिन्होंने भूमि पर ट्रेसपास किया उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही की गई ?

**श्री सम्पतराम** : अलग अलग तरीके की कार्यवाही की जा रही है ।

**श्री श्रीभानसिंह** : कार्यवाही किस किस तरीके से किस किस के अगेन्स्ट पूरी की ?

**श्री सम्पतराम** : मैंने बताया कि ३५३ गांव हैं, मैं निश्चित तौर से नहीं बता सकता । जो सरकार के नोटिस में आये, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ।

**श्री श्रीभानसिंह** : क्या सरकार इन ट्रेसपासर्स से लैण्ड रेवेन्यू रियेलाइज करती है ?

**श्री सम्पतराम** : यह मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री लक्ष्मीचन्द

**श्री तनसिंह** : अध्यक्ष महोदय इसका जवाब दें ।

## शराब के ठेके, जालोर

**श्री तनसिंह** (श्री लक्ष्मीचन्द की अनुपस्थिति में) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जालोर में शराब के ठेके किस किस जगह पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने को कृपा करें ।

(ख) यह ठेके कितने कितने रुपयों में सन् ५७-५८ में नीलाम किये गये हैं और सरकार ठेकेदारों को कितना कितना कमीशन दे रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ग) क्या यह सत्य है कि इन ठेकों में कई ठेके ऐसे हैं जिनसे सरकार को ज्यादा आमदनी होती है और ठेकेदार को कम ?

(घ) क्या यह सत्य है कि ठेकेदारों को जो नुकसान होता है उसकी पूर्ति ठेकेदार शराब में पानी मिला कर करते हैं ?

**उप मंत्री** (श्री सम्पतराम) : (क) सूची सदन को मेज पर रख दी गई है ।

(ख) यह विशेष जानकारी, ठेकेदारों के लिए, सदन को मेज पर रख दी गई है ।

(ग) इस वक्त अनुमान लगाना मुश्किल है ।

(घ) जी नहीं । शराब में पानी मिलाने पर कार्यवाही की जाती है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

**श्री तनसिंह** : लक्ष्मीचन्द जी के नाम पर कोई सूची सदन को मेज पर रखी नहीं है ।

**श्री सम्पतराम** : हमारे यहां से भेज दी गई है ।

**श्री अध्यक्ष** :—It is not enough.

## अधिकारियों का प्रतिवर्तित किया जाना

११९८. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या आर. ए. एस. (प्रोबेशनर्स) की ट्रेनिंग के बाद नियुक्त करने पर किन किन अधिकारियों को जो एसिस्टेंट कलेक्टर व मजिस्ट्रेट के ओहदों पर काम कर रहे थे तहसीलदार पद पर रिवर्ट किया गया ? तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) उपरोक्त अधिकारियों के रिवर्सन के कारण किन किन अस्थाई तहसीलदारों

# Page No.21



(श्री भैरोंसिंह)

को नायब तहसीलदारों के पद पर रिवर्ट किया गया ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि जिनका रिवर्सन हुआ है उनसे जूनियर व्यक्ति असिस्टेंट कलेक्टर एण्ड मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार के पद पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो अब अस्थाई रूप में कार्य करने वाले ऐसे अधिकारियों का सीनियोरिटी लिस्ट में कौनसा स्थान है ? सीनियोरिटी लिस्ट बताने की कृपा करें।

**राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास:)** (१) ३० अधिकारियों को। तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(३) ज्येष्ठ (सीनियर) तहसीलदार जो रिवर्ट हुए हैं वे श्री बालकृष्णराव हैं इनकी ज्येष्ठता में संख्या ३९ है इनसे दो कनिष्ठ (जूनियर) तहसीलदार सर्व श्री साबिरहुसैन सिद्दीक और श्री जे० पी० दीक्षित अभी तक......

**श्री भैरूंसिंह :** अच्छी तरह पढ़ कर सुनाय, सुनाई नहीं दे रहा है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : एक दफा और सुन लीजिये।

(३) ज्येष्ठ (सीनियर) तहसीलदार जो रिवर्ट हुए हैं वे श्री बालकृष्णराव हैं इनकी ज्येष्ठता में संख्या ३९ है इनसे दो कनिष्ठ (जूनियर) तहसीलदार सर्व श्री साबिर हुसैन सिद्दीक और जे० पी० दीक्षित अभी तक रिवर्ट किये जा रहे हैं। एक अधिकारी श्री मोखनसिंह भी हैं जो डिप्टी डाइरेक्टर कोलोनाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रहे हैं। ज्येष्ठता सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह माना जाय कि जो तहसीलदार असिस्टेंट कलेक्टर व मजिस्ट्रेट के ओहदे पर काम कर रहे हैं, उनसे सीनियर कोई तहसीलदार नहीं है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**: वे ही तहसीलदार ओफिसियेट करते हैं आर. ए. एस. पोस्ट पर जो एप्रूव्ड लिस्ट में होते हैं। एप्रूव्ड लिस्ट को सीनियोरिटी के लिहाज से अपॉइण्ट होते हैं। जितने तहसीलदार हैं जो सीनियर हैं, वे आर. ए. एस. पोस्ट पर ऑफिसिएटिंग पोस्ट पर अपॉइण्ट होते हैं। वे उसी लिहाज से अपॉइण्ट होते हैं और उसी लिहाज से काम कर रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह**: मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि असिस्टेंट कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के ओहदे पर जो तहसीलदार ऑफिसियेटिंग रूप में काम करते हैं, क्या यह सही है कि वे सीनियर तहसीलदार नहीं हैं, उनसे जो इस ओहदे पर काम नहीं कर रहे हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**: यह हो सकता है कि अप्रूव्ड लिस्ट में नाम न आया हो, वे रह गये हों, अगर ऐसा है तो अपॉइण्टमेण्ट आफिसियेटिंग पोस्ट पर नहीं होगा।

**श्री भैरोंसिंह**: क्या यह माना जाय कि जिनका नाम अप्रूव्ड लिस्ट में आता है, उन्हें ही अपॉइण्ट किया जाता है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**: जी हां, बिल्कुल।

**श्री भैरोंसिंह**: जो एप्रूव्ड लिस्ट में जूनियर तहसीलदार हैं, क्या वे असिस्टेंट कलेक्टर और मजिस्ट्रेट बने हुए हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**: जी नहीं। अगर कोई जूनियर व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसके रिवर्सन के ऑर्डर्स हो गये होंगे।

# Page No.22



**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि नायब तहसीलदार की अप्रूव्ड लिस्ट है, उसमें से सीनियर व्यक्ति को ऑफिसियेटिंग तहसीलदार न बना कर जूनियर व्यक्ति को ऑफिसियेटिंग तहसीलदार बनाया गया है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**: नायब तहसीलदार को अप्रूव्ड लिस्ट नहीं बनाई है ।

**श्री भैरोंसिंह**: अगर अप्रूव्ड लिस्ट बनी है तो अभी तक जो अस्थाई रूप से काम कर रहे हैं, क्या यह सही है कि जूनियर व्यक्ति काम कर रहे हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**: तहसीलदार की जो कन्फर्म्ड लिस्ट है, उसके अनुसार जिनके प्रमोशन किये गये हैं, वे ऑफिसियेटिंग रूप में काम कर रहे हैं ।

**श्री भैरोंसिंह**: मेरा प्रश्न है कि जूनियर व्यक्ति को आज तहसीलदार का पद दे रहे हैं और सीनियर नायब तहसीलदार पड़े हुए हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह सिलेक्शन कमेटी के जरिये से हुआ है, अगर कोई सलेक्शन में नहीं आया है, तो अपॉइण्ट नहीं किया है, और जो आ गये हैं उन्हें अपॉइण्ट किया है ।

**श्री भैरोंसिंह** : जो ऑफिसियेटिंग तहसीलदार हैं, वे नायब तहसीलदार बहुत से सलेक्शन में आ चुके हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आम तौर पर सीनियर आदमी को चान्स देते हैं । अगर आप कोई उदाहरण बतायेंगे तो मैं जानकारी कर लूंगा ।

**श्री भैरोंसिंह** : मैं डेफीनेट चाहता हूं कि क्या कोई नायब तहसीलदार सीनियर न होने के बावजूद तहसीलदार के पद पर काम कर रहे हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने कहा अगर सलेक्शन हो गया होगा तो, वरना नहीं । सीनियोरिटी के लिहाज से नहीं, सलेक्शन के लिहाज से काम कर रहे होंगे । अगर कोई ऐसा मसला है कि जूनियर लिस्ट में आ गये हैं तो आप बतायें । वैसे आम तौर पर कायदा यह है कि अपॉइण्टमेण्ट सीनियोरिटी से होना चाहिये ।

**श्री भैरोंसिंह** : तहसीलदार की सीनियोरिटी लिस्ट कब प्रकाशित की गई ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : बहुत पहले प्रकाशित की गई है ।

**श्री भैरोंसिंह**: बहुत पहले हो गई है तो जो तहसीलदार को सलेक्शन लिस्ट में नहीं हैं, उनको ऑफिसियेटिंग चान्स क्यों दिया गया है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं आपका रूल्स की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा । आप तहसीलदार के प्रमोशन के रूल्स देख लेते तो इन सवालात की जरूरत नहीं होती ।

**श्री भैरोंसिंह**: रूल्स के देखने के बाद मुझे पता चला है कि जायज और नाजायज तरीके से तरक्की हुई है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**: सलेक्शन के तरीके से हुआ है ।

**श्री भैरोंसिंह** : अगर सलेक्शन की लिस्ट प्रकाशित हो गई है तो क्या यह सही है कि जो लिस्ट में नहीं थे, उनको प्रमोशन दिया गया है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मेरी जानकारी में नहीं है ।

**श्री भैरोंसिंह**: अगर जानकारी में लाया जाय कि इस प्रकार प्रमोशन दिये गये हैं, तो क्या एक्शन लिया जायगा ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : लिया जायगा । वैसे हो सकता है कि सलेक्शन लिस्ट में कोई न हो, यह हो सकता है कि अप्रूव्ड लिस्ट के

# Page No.23



(श्री दामोदरलाल व्यास)

व्यक्ति एग्जोस्ट हो गये हों। ऐसी हालत में उन्हें डिस्क्रीसन है कि वे सलेक्ट करें योग्यता के आधार पर।

**श्री भैरोंसिंह:** अगर एग्जोस्ट नहीं हुई हो और प्रमोशन मिला हो, तो क्या होगा?

**श्री दामोदरलाल व्यास:** अध्यक्ष महोदय, इन हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब देना मुश्किल है। वैसे अगर आप नाम बता सकते हों तो जांच की जा सकती है।

**श्री भैरोंसिंह** : मैं नाम बता सकता हूं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अगर बता सकें तो पता चल सकता है। वैसे अगर ऐसा हो तो ऐसा किया गया है, This is not possible for me to say at this stage.

**श्री अध्यक्ष** : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

## विकास खंड, बस्सी

**११९९. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट)**: क्या सामुदायिक योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) विकास खंड, बस्सी द्वारा कितना कितना रुपया किन किन व्यक्तियों को किन २ कामों के निर्माण के लिये दिया गया था?

(ख) उक्त कामों में जनता द्वारा कितनी कितनी रकम लगाये जाने की शर्त थी?

(ग) क्या उक्त काम पूरे हो चुके हैं और जनता द्वारा अपना हिस्सा लगाया जा चुका है?

(घ) क्या हिसाब पेश कर दिया गया है?

**उप-योजना मंत्री (श्री सम्पतराम)** : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये जनता द्वारा जो रकम लगानी थी उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) ५० प्रतिशत कार्य पूरे हो चुके हैं और उनमें जनता द्वारा अपना अपना हिस्सा लगाया जा चुका है।

(घ) पूरे हिसाब अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

**श्री प्रभुलाल पुरोहित** : पूरे हिसाब कब तक आ जायेंगे?

**श्री सम्पतराम** : हर एक काम के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं, कि जल्दी खतम करके पूरे हिसाब ले लिया जाये। निश्चित तारीख नहीं बता सकता।

**श्री अध्यक्ष** : श्री शिवचरणदास।

## तहसील कर्मचारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

**१२००. श्री शिवचरदास (मांडल)** : क्या रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) जिला भीलवाड़ा तहसील रायपुर में कितने व कौन कौन ऐसे अहलकार हैं जो वहीं के निवासी हैं?

(ख) उनकी सर्विस कितने कितने वर्षों की है तथा वे रायपुर में कितने अर्से से तैनात हैं? कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

**उप-रसद मंत्री (श्री सम्पतराम)**: (क) निम्नलिखित ६ अहलकार हैं:

१. श्री मोगीलाल दाधीच, कनिष्ठ लेखक।
२. श्री मूलचन्द, अकाउन्टन्ट।

(श्री सम्पतराम)

३. श्री छीतरमल तिवाड़ी, कनिष्ठ लेखक (केशियर)।

४. श्री किस्तूरचन्द तिवाड़ी, कनिष्ठ लेखक।

५. श्री गोरधनलाल चोरदिया, कनिष्ठ लेखक।

६. श्री मिश्रीलाल बूलिया, कनिष्ठ लेखक।

(ख) (१) श्री मोगीलाल की सर्विस २७ वर्ष की है और २४-१०-५३ से काम कर रहे हैं, (२) श्री मूल चन्द की ३० वर्ष की सर्विस है और ८-३-५४ से काम कर रहे हैं, (३) श्री छीतरमल की ६ साल की सर्विस है और १२-४-५५ से काम कर रहे हैं, (४) श्री किस्तूरचन्द की १४ वर्ष की सर्विस है और १-२-५६ से काम कर रहे हैं, (५) श्री गोर्धन लाल की १५ वर्ष की सर्विस है और १-११-५६ से काम कर रहे हैं और (६) श्री मिश्री लाल की १३ वर्ष की सर्विस है और १-१२-५७ से काम कर रहे हैं।

उत्तर (ख) में आ गया है।

**श्री शिवचरणदास**: अध्यक्ष महोदय, सूची नहीं मिली है, आप इस तरह पढ़ते हैं कि क्रास क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन यह बताने की कृपा करें कि क्या उन लोगों ने शिकायतें की हैं कि वे नागरिकों से नजराना भी लेते हैं हर साल?

**श्री सम्पतराम**: हमारे पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।

**श्री शिवचरणदास**: क्या यह सही है कि अलॉटमेंट किया जाता है,-वह जब तक नहीं किया जाता है तब तक कि नजराना नहीं दिया जाता है। क्या ऐसी शिकायत आपके पास आ चुकी है?

**श्री सम्पतराम**: मैं ऐसा नहीं मानता।

**श्री अध्यक्ष**: श्री जेठमल।

**श्री शिवचरणदास**: उनको तब्दील करने के क्या कारण हैं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

**श्री भैरोंसिंह**: ओन ए पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर, सर, सरकार की तरफ से बार बार यह आता है कि सूची सदन को मेज पर रख दी गई है। लेकिन सूची सदन की मेज पर नहीं पहुंचती। बार बार हमें कहते अच्छा नहीं लगता कि सूची सदन को मेज पर नहीं मिलती है। लेकिन मंत्रियों की तरफ से बार बार यह प्रयास किया जा रहा है कि हमें मुगालता हो। अध्यक्ष महोदय का निर्णय मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बात को कहने से पहले कि सूची सदन को मेज पर रख दी गई है, यह जांच कर लें कि जिन सदस्य ने प्रश्न पूछा है, उनके पास सूची पहुंची है या नहीं?

**श्री अध्यक्ष**: अभी सूची का प्रश्न नहीं था।

**श्री भैरोंसिंह**: अभी प्रश्न था। इसमें है।

**श्री सम्पतराम**: जिनके नाम पूछे हैं, उनके नाम इसमें इनसर्ट कर दिये हैं। यह नहीं कहा कि सूची सदन को मेज पर रख दी गई है। फिर इसमें सूची को क्या आवश्यकता पड़ती है।

**श्री तनसिंह**: अभी लक्ष्मीचन्दजी के प्रश्न के संबंध में मैंने एप्रोच किया था कि लक्ष्मीचन्दजी के प्रश्न के उत्तर में सूची रखी हो तो मुझे दे दीजिये, he paid no heed, and I approached the Notice Office and I found that there were no papers.

**श्री अध्यक्ष**: नेक्स्ट।

# Page No.25



## नागौर में हरिजन बस्ती का निर्माण

१२०१. **श्री जेठमल बरवाड़ (नावां सु.):** क्या समाज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या नागौर जिले में हरिजनों की बस्ती, किसी खास कालोनी के रूप में, कहीं बसाये जाने की योजना है ?

(ख) क्या पिछड़ी जातियां जैसे रेगर, मेगवाल आदि को साक्षर बनाने के लिये भी रात्रि पाठशालायें नागौर जिले में चल रही हैं ? यदि हां, तो कहां कहां पर और नहीं, तो क्यों ?

**उप-समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल):** (क) जी हां ।

(ख) जी हां । ये रात्रि पाठशालाएं निम्न स्थानों पर चल रही हैं:—

(१) डीडवाना

(२) पांचवा

(३) बडली

(४) लाडनू

(५) मेड़ता सिटी ।

**श्री अध्यक्ष** :—श्रीमती सुमित्रादेवी ।

## दीनवा ग्राम का झुंझुनूं या सीकर जिलों में से एक ही जिले में रखा जाना

१२०२. **श्रीमती सुमित्रा देवी (पिलानी):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार की जानकारी में है कि दीनवा नामक ग्राम आधा झुंझुनू और आधा सीकर जिले में है ?

(ख) अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इसे एक ही जिले में रखने के लिये कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम):** (क) जी हां ।

(ख) इस गांव का आधे से ज्यादा हिस्सा सीकर ठिकाने जागीर में था, आधे से कम खेतड़ी ठिकाने में था । जिनके रेवेन्यू रेकार्ड भी अलग अलग चले आ रहे थे । इसको एक जिले में रखने के लिये अथवा अलग अलग रखने के सुझाव पर अब विचार किया जावेगा ।

**श्री अध्यक्ष** : डा० चन्द्रकला ।

(कुछ क्षणों तक विराम)

वित्त मंत्री महोदय का है ।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री):** इसमें गृह मंत्री लिखा हुआ है ।

**एक माननीय सदस्य** : समाज कल्याण के बारे में होगा ।

**डा० चन्द्रकला** : एच. एम. लिखा हुआ है।

**श्री अध्यक्ष**: नेक्स्ट टर्न पर ले लिया जाय।

**श्री भैरोंसिंह** : इसके लिये जिम्मेदार कौन है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री):** मैं जवाब दे रहा हूं, साहब ।

Page No.26



## भिक्षुकों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने की व्यवस्था

१२०३. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल जयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) सरकार, जयपुर शहर में दिन प्रति दिन बढ़ती हुई भिखारियों की संख्या को रोकने की क्या व्यवस्था कर रही है ?

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से बहुत से भिखारी छूत के रोगी होते हैं और वे रोग के प्रसार का कारण बनते हैं ?

(ग) अपंग एवं अपाहिजों को सहायता के संबंध में सरकार की क्या योजना है ?

**राजस्व मंत्री** (**श्री दामोदरलाल व्यास**): (क) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) जी हां ।

(ग) देवस्थान विभाग ऐसे लोगों की सहायता करता है ।

**श्री भैरोंसिंह**: यह स्कीम कब से विचाराधीन है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**: निश्चित तारीख नहीं है, पर भिखारियों की संख्या को रोकने के लिये क्या प्रबंध किया जाय ? पूअर हाउसेज के लिये लेजिस्लेशन लाने संम्बंधी मामला सरकार के विचाराधीन है ।

**श्री भैरोंसिंह**: क्या जांच करके किसी अधिकारी ने सरकार के सामने कोई योजना रखी है या सरकार ने स्वयं ही रखी है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**: मैंने कहा कि लेजिस्लेशन लाने के लिये विचार किया जा रहा है ?

**रावराजा श्री सरदारसिंह**: पुराने जमाने में, राजाओं के जमाने में सदाव्रत का महकमा रखा जाता था और इन लोगों को सदाव्रत बांटा जाता था ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**: अब भी है, आप किसी की सिफारिश कीजिये, उनको दिया जायगा ।

(हंसी)

**श्री भैरोंसिंह**: क्या यह सही है कि भिखारियों की सेंसस करने के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**: यह नहीं की है और अभी यह मुमकिन भी नहीं है ।

**डॉ० चन्द्रकला**: मेरा पहला प्रश्न था, "सरकार जयपुर शहर में दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई भिखारियों की संख्या को रोकने की क्या व्यवस्था कर रही है ।" इसके उत्तर में कहा गया है कि "यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है" तो कौनसी योजना विचाराधीन है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**: मैंने अर्ज किया कि इसका लेजिस्लेशन लाने के बारे में मामला विचाराधीन है ।

**श्री भैरोंसिंह**: क्या प्रान्तीय स्तर पर ऐसी संस्था चलाने का सरकार विचार रखती है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**: मैंने कहा कि लेजिस्लेशन लाने का यह मतलब है कि जो भीख मांगने वाले कमाने खाने लायक नहीं हैं उनके लिये पूअर हाउसेज खोले जायेंगे, जो कमा कर खाने लायक हैं उन्हें भीख मांगने से रोका जायगा, इस प्रकार का लेजिस्लेशन बनाने का विचार सरकार के विचाराधीन है ।

**श्री भैरोंसिंह**: कब तक उम्मीद की जाय कि इस प्रकार का लेजिस्लेशन लाया जायगा ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**: मैंने अर्ज किया कि यह अण्डर कन्सीडरेशन है ।

**श्री पी० के० चौधरी**: आपने कहा कि कोई योजना नहीं है तो लेजिस्लेशन किस आधार पर बनाया जायगा ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**: मैंने यह नहीं कहा कि कोई योजना नहीं है, मैंने कहा कि कोई सेंसस नहीं की है।

**श्री पी० के० चौधरी** : क्या योजना है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I have already said that यह प्रश्न, लेजिस्लेशन लाने का विचाराधीन है।

**श्री भैरोंसिंह** : योजना नहीं है तो लेजिस्लेशन बनाने का क्या आधार होगा ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जब सदन में पेश किया जायगा तो मालूम होगा।

**श्री जनार्दनराय नागर** : भीख मांगना जिनका फण्डामेण्टल राइट है, उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : ऐसा कोई फंडामेण्टल राइट नहीं है।

**श्री मदनसिंह दांता** : किस विभाग से जानकारी करके, यह उत्तर दिया जा रहा है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : देवस्थान से और देवस्थान का मैं मंत्री हूं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सूरजमल।

## अग्नि पीड़ितों को दी गई सहायता तहसील शेरगढ़

१२०४. **श्रीसूरजमल** ( फलौदी ) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या शेरगढ़ का ग्राम खिरजां अवां का बास में राजपूतों की कोई ढाणी जल गई ?

(२) यदि हां तो क्या सरकार को विदित है कि क्या उस लाइणों में उन राजपूतों का सारा सामान आदि जल कर खाक हो गया तथा उनका एक लड़का भी जल गया ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त लाइणों की सरकार द्वारा जांच की गई ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(४) उपरोक्त लाइणों में कुल कितना नुक़सान हुआ ?

(५) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उनको सहायता भी दी गई ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उप-राजस्व मंत्री श्री (सम्पतराम)** : (१) (२) और (३) का उत्तर 'हां' में है। लड़का नहीं जला।

(४) कुल नुक़सान ३७२० रुपया का था, जिसका विवरण सदन की मेज़ पर रख दिया गया है।

(५) जी नहीं, समय पर कोई सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अब नियमानुसार सहायता दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

**श्री सूरजमल** : ढाणी किस तारीख को जली थी ?

**श्री सम्पतराम**: १७-२-५८ को।

**श्री भैरोंसिंह**: सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र कब आया ?

**श्री सम्पतराम** : २७-२-५८ को।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या इसमें अब तक अंतिम रूप से कार्यवाही नहीं की जा चुकी है ?

**श्री सम्पतराम**: तहसीलदार को मौक़े पर भेज कर कार्यवाही करवाई गई ?

**श्री भैरोंसिंह** : इत्तला आने के बाद सरकार को कितना समय इन्क्वायरी के लिये मौके पर भेजने में लगा ?

**श्री सम्पतराम** : इत्तला आई, उसी वक्त आदेश दिये गये।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या इस प्रकार की कार्यवाही उचित है कि रिपोर्ट आवे और उस पर, अब तक सहायता की कार्यवाही नहीं की जावे ?

**श्री सम्पतराम** : यह गलत है, जिस रोज़ रिपोर्ट आई, उसे एक दिन भी पेंडिंग नहीं रखा गया, उसी दिन जांच के आदेश दिये गये।

**श्री पी. के. चौधरी** : एक लड़का वहां ढानी में जल कर मर गया, आपने कहा लड़का नहीं मरा तो वह कहां तक सही है ?

**श्री सम्पतराम** : मैंने कहा वहां तक सत्य है।

**श्री पी. के. चौधरी** : उसका पिता तो स्वयं कहते हैं कि लड़का मर गया और आप कहते हैं कि नहीं मरा, यह किस तरह ?

**श्री सम्पतराम** : वहां के सरपंच और जिसका मकान जला था, उनसे पूछताछ की गई, उस जांच के आधार पर हमारे पास यह सूचना है कि वह लड़का नहीं मरा।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या लिखित सूचना वहां के सरपंच और उस लड़के के पिता से ली गई कि लड़का नहीं मरा ?

**श्री सम्पतराम** : यह सूचना अभी मेरे पास नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : जिन लोगों के प्रार्थना, पत्र आये हैं उनमें साफ लिखा हुआ है कि लड़का मर गया।

**श्री दामोदर लाल व्यास** : इसके बारे में आप कहते हैं तो जानकारी की जायगी। अब तक जो रिपोर्ट हमारे पास आई है, उनके आधार पर यह सूचना दी जा रही है। अगर यह गलत है तो रिपोर्ट देने वाले के खिलाफ़ कार्यवाही की जायगी।

**श्री अर्जुनदास** : Is that boy still alive ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I have said that we have no information.

**श्री अर्जुनदास**: Is he still alive or not.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : किसी का नाम ही नहीं है तो डैथ और अलाइव का सवाल ही नहीं पैदा होता।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

१२-८ म. प.

## सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित हैं, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है:

**श्री श्रीनिवास** : ४-४-५८ से १०-४-५८ तक।

**श्री रामकिशन** : ६-४-५८ से २०-४-५८

क्या सदन की अनुमति है, उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

१२-६ म. प.

(श्री अध्यक्ष)

## जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, के मजदूरों सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर श्रम मन्त्री का वक्तव्य

एक स्थगन प्रस्ताव आया है, श्री मोहर सिंह द्वारा, जो इस प्रकार है :—

"मैं अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर वाद-विवाद करने के आशय से सभा के कार्य स्थगन हेतु, निम्न-लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा मजदूरों पर दबाव डालने के उद्देश्य से ता. ३-४-५८ को पॉवर बन्द, ता. ४-४-५८ को तृतीय पाली बन्द एवं ५-४-५८ को दूसरी पाली बन्द करके हजारों मजदूरों को भूख का सामना करने को बाध्य कर दिया है। अतएव सदन के समस्त कार्य को रोक कर इस पर विचार किया जावे।"

इस पर माननीय श्रम मन्त्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (श्रम मंत्री)** : अध्यक्ष महोदय, जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स के मजदूरों और मालिकों के बीच उनके वेतन के प्रश्न को लेकर, एक विवाद पिछले कुछ समय से चल रहा था। उसमें समझौते के प्रयत्न असफल रहने के कारण यह मामला इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के समक्ष रखा गया था। ट्रिब्यूनल का फैसला जो सरकारी अधिसूचना दिनांक २५-३-५७ के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था उसके अनुसार एक साइडर (रिंग पीसर) को जो रेप फ्रेम्स के साथ में २०० स्पिंडल्स पर काम करें उसे ३२ रु० ८ आ० दिये जाना चाहिए था : फैसले के लागू होने तक मजदूरों और मालिकों ने एक निजी समझौता कर लिया जिसके अनुसार एक साइडर को २०० के बजाय ४०० स्पिंडल्स और २२० के बजाय ४४० स्पिडल्स पर काम करने को कहा गया और उसे २८ रु० प्रति माह दिया जाना तय किया गया जिसमें ८० रु० मंहगाई भत्ता भी शामिल था। यह समझौता ५ वर्ष की अवधि तक लागू होगा और किसी भी पार्टी द्वारा ६ माह के नोटिस पर इसे समाप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त समझौते पर २४-३-५८ को हस्ताक्षर हो जाने के बाद साइडरों को कहा कि उन्हें ६ साइडरों पर केवल एक सहायक (हेल्पर) दिया गया है, जब कि ६ साइडरों पर उन्हें २ सहायक दिये जाने चाहिये। उनके अनुसार जो समझौता किया गया था, वह बिल्कुल अपर्याप्त था, क्योंकि उन्हें स्पिंडलों की दुगनी संख्या पर काम करके अधिक कठोर काम करना पड़ता था जब कि तत्कालिक लाभ के लिये कोई समझौता संभव नहीं था।

इस मामले पर कर्मचारियों, यूनियन और प्रबन्धकों ने भी विचार किया। लेकिन इस खास विषय पर कोई समझौता नहीं हो सका। यहां यह बता देना उचित होगा कि दि. २४-३-५८ को समझौता करते समय पार्टियों ने कार्यभार और इस प्रकार के कार्य करने के लिये वेतन को निश्चित करते समय साइडरों को सहायक (हेल्पर) देने के प्रश्न पर विचार नहीं किया था।

दिनांक ३-४-५८ को कर्मचारियों ने प्रबन्धकों के समक्ष निवेदन किया कि उन्हें उचित संख्या में सहायक (हेल्पर) नहीं दिये जा रहे हैं और इसलिये वे ठीक तरह से काम नहीं चला पा रहे हैं। प्रबन्धकों ने सहायक (हेल्पर) की संख्या बढ़ाना मंजूर नहीं किया। अतः मजदूरों ने दो की बजाय एक साइड में काम करना चाहा। लेकिन प्रबन्धकों को यह स्वीकार नहीं था, इसलिये दिनांक ३ व ४ को मिल में काम नहीं हुआ। ५ तारीख को मिल के अधिकारियों ने मिल की ताला बन्दी का निर्णय किया, जो अब तक भी जारी है।

Page No.30



(श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता)

लेबर ऑफिसर, जयपुर, को जो इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अन्तर्गत, बीच बचाव अधिकारी हैं, विवाद को फिर नये सिरे से रजिस्टर करके, पार्टीज के बीच बातचीत करके शीघ्र अपना प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया है। इस बीच, मालिक मजदूरों को इन्डस्ट्रियल, राजस्थान द्वारा दिये गये फैसले के अनुसार स्थिति को यथावत बनाये रखने को कहा गया है जब तक कि कार्यभार के आधार पर दोनों पार्टियों की राय से कोई परस्पर सूत्र तैयार नहीं कर लिया जाता।

राजस्थान में, कपड़ा उद्योग के मजदूरों के वेतन के समानीकरण के प्रश्न को विचारार्थ ले लिया गया है, और आजकल लेबर कमिश्नर मिल मालिकों के प्रतिनिधियों एवं मिल मजदूरों से मिलने जुलने में व्यस्त तथा किसी परस्पर सूत्र पर पहुंचने में प्रयत्नशील हैं। यह उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व लेबर ब्यूरो, शिमला के अवकाश प्राप्त संचालक श्री एस. आर. देशपाण्डे के सभापतित्व में एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना हुई और आजकल लेबर कमिश्नर के साथ जो विचार विमर्श हो रहा है, वह उक्त समिति के प्रतिवेदन पर ही आधारित है।

वहां पर भूख हड़ताल नहीं हो रही है और इस आशय का वक्तव्य मिथ्या है। कुछ मजदूर, एक लाल झंडे के साथ एक जलूस के रूप में संगठित हो लेबर कमिश्नर के कार्यालय के बाहर शान्ति पूर्वक बैठे हैं। डिविजनल लेबर आफिसर, जयपुर में समझौते की कार्यवाही प्रगति पर है।

**श्री मोहर्रसिह** : माननीय अध्यक्ष,

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : क्या माननीय सदस्य इस पर बहस कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : कोई लम्बी बहस नहीं होगी। कोई प्रश्न पूछ सकते हैं।

**श्री मोहर्रसिह** : माननीय मंत्री महोदय ने जो बातें कहीं हैं, उन पर मैं दो बातें कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उस के अन्दर ज्यादातर जिम्मेदारी मजदूरों पर डाली है, लेकिन जो शिकायत की बात २४ मार्च चली......

**श्री श्रीभानसिंह** : कोई प्रश्न पूछा जा सकता है? मगर रूल्स में ऐसी बात है कि कोई माननीय सदस्य भाषण या डिबेट नहीं कर सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : यह तो साफ बता दिया गया है अगर कोई ऐसा तथ्य हो जिसको आप यह समझें कि ठीक नहीं कहा गया है तो उसको बता सकते हैं।

**श्री श्रीभानसिंह** : I wish to make a humble submission, Sir, there is no provision in the Rules of Business on which the Hon'ble Member, after the statement, can speak in the House.

**श्री अध्यक्ष** : If the Hon'ble Member feels that such a statement has been made which is not factually correct, he can make a question. There is nothing to bar this under the rules.

**श्री श्रीभानसिंह**: Yes, Sir, there is a bar under the rules for this. I draw your attention to rule under which the statements are made. Rule 241 :

"A statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the consent of

# Page No.31



(श्री श्रीभानसिंह)

Speaker but no question shall be asked at the time the statement is made."

Beyond this, the rule does not say anything.

Now if the Hon'ble Member does not feel satisfied....

**श्री अध्यक्ष** : This statement is not made under that rule.

**श्री श्रीभानसिंह** : Then under what rule this statement is being made.

**श्री अध्यक्ष**: An adjournment motion is before the House and the Hon'ble Minister is clarifying the situation so far as is known to him. Now if there is anything which is *prima facie* incorrect and which the Hon'ble Member wants to bring to his notice for clarification, I do not think there is any trouble about it. No debate is allowed, no arguments are given and no further discussion will take place. That is very clear.

**श्री मुरलीधर व्यास** : मिल मालिकों ने जो तालाबन्द किया क्या यह लीगल था ?

**श्री अध्यक्ष** : यह तो ओपीनियन का प्रश्न है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह तो ओपीनियन आनी चाहिये। लॉक-आउट लीगल था या नहीं ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : लॉक-आउट लीगल था।

**एक माननीय सदस्य** : लॉक-आउट लीगल है, यह आप कैसे कहते हैं ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मजदूरों ने पहले स्ट्राइक किया था।

**श्री मोहरसिंह** : आपने पता लगाया कि यह कहां तक लीगल है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मजदूर काम करने को तैयार नहीं हों और स्ट्राइक करें और काम पर न आवें तो क्या करें ?

**श्री मोहरसिंह** : क्या यह सही है कि मज़दूर आये थे ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : यह मेरी जानकारी में नहीं है। मजदूरों ने स्ट्राइक किया, यह सही है।

**श्री मोहरसिंह** : ३ अप्रेल को मज़दूर मिल के अन्दर थे और फिर भी मिल बन्द कर दिया गया ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मज़दूरों ने कहा कि हैल्पर दो, उनको हैल्पर नहीं दिया, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया।

**श्री मुरलीधर व्यास** : काम पर नहीं आने पर भी तालाबन्द कर दिया गया, क्या यह लीगल था ? (कल कोई आये या नहीं) मगर मिल किस कारण से बन्द की गई ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : इल्लीगल स्ट्राइक होने के बाद....

**श्री मुरलीधर व्यास** : आप कैसे कह सकते हैं कि यह इल्लीगल थी।

Page No.32



**श्री अध्यक्ष** : इस पर कोई बहस नहीं होगी। काफ़ी बहस हो चुकी है।

इस बयान के बाद इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की इजाज़त नहीं दी जाती।

## श्री टीकाराम पालीवाल के पत्र का वाचन

**श्री अध्यक्ष** : एक माननीय सदस्य श्री टीकाराम पालीवाल का पत्र है····

**श्री होतीलाल** : क्या वह मेरे मोशन के बारे में वक्तव्य के संबंध में है।

**श्री अध्यक्ष** : Yes.

**श्री होतीलाल** : इस संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक यह बात तय नहीं हो जाए कि मुझे समय दिया जाय, तो ऐसी स्थिति में मुझको कोई समय न देकर माननीय सदस्य को स्टेटमैन्ट देने की परमीशन देना, मैं समझता हूं मेरे लिये प्रेज्युडिस है। इसके साथ मैंने रूल देखा है उसमें कोई प्रोविजन किसी माननीय सदस्य को स्टेटमैन्ट जिसके बारे में मोशन हो, देने का प्रोविज़न नहीं है।

**श्री श्रोभानसिंह** : Probably the Hon'ble Member is unaware of the parliamentary practice and the rules, Sir. Even if a motion is inadmissible in the House, I have to make a submission to the Chair and would request the Chair's indulgence that when a motion has been read in the House and a Member's conduct has been prejudicially affected by the motion being read and that when the motion has been published in the papers, still that Member is not given a chance to justify his position, I think, this is injustice and is a censure of the Member's conduct. If the motion was not read in the House and it was only within the confines of the Chair, in that case he could not have made a statement in the House, but when the motion has been read, Hon'ble Shri Paliwal is quite justified in making a statement and vindicating his position.

**श्री अध्यक्ष** : चूंकि जो मोशन आया था और उसको सदन के सामने पढ़ा था और उसमें माननीय सदस्य, श्री टीकाराम पालीवाल का उल्लेख या उसमें कोई बात ऐसी है जिस पर स्थिति को स्पष्ट करना चाहते हैं, इससे आपका मोशन प्रोज्युडिस्ड होगा या नहीं, इसका प्रश्न नहीं आता। उन्होंने कहा है, वे सदन के सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं, ताकि उनकी स्थिति के बारे में भ्रम नहीं रह जावे।

(विराम)

तो अब मैं वह पत्र पढ़ता हूं :

"महोदय, बजट पर साधारण वाद-विवाद के समय दिनांक १३-३-५८ को मेरे द्वारा दिये गये भाषण के प्रश्न को लेकर सदन के एक माननीय सदस्य श्री होतीलाल ने सदन के विशेषाधिकार उल्लंघन सम्बन्धी प्रस्ताव का एक नोटिस दिया था। जिस समय उक्त नोटिस पढ़ कर सुनाया गया था मैं संयोग से सदन में उपस्थित नहीं था। उस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण के रूप में मुझे केवल निम्नलिखित कुछ बात निवेदन करनी हैं :—

(१) यह सर्वथा असत्य है कि जिस विषय की मैंने चर्चा की थी उस सम्बन्ध में कोई भी फ़ीस ली हो या तय की हो। मैं

# Page No.33



(श्री अध्यक्ष)

कुछ तथ्य जो मेरी जानकारी में आये थे सदन के सम्मुख रख रहा था। उन तथ्यों में से एक तथ्य वह भी था।

(२) यह भी सही नहीं है कि मैंने किसी विशेष मामले की एडवोकेसी की हो। साधारण तरीके से जैसे और तथ्य सदन के सम्मुख रखे थे वैसे ही वह भी रख दिया था।

(३) जिन परिस्थितियों में और जिस प्रकार वह तथ्य मेरी जानकारी में आया था वह मैंने पूरी तरह सदन के सम्मुख रख दिया था।

मैंने कुछ सदन में कहा था वह केवल कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर ही कहा था, फिर भी यह आपके निर्णय करने का विषय है कि क्या ऐसा करने में कोई सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है?"

**श्री छोतीलाल** : अध्यक्ष महोदय· · ·

**श्री श्रीभानसिंह** : There can be no statement or anything after the letter has been read by the Chair. The Hon'ble Member can raise no point of order or explanation at this stage.

**श्री अध्यक्ष** : Yes, there cannot be any discussion.

**श्री नरोत्तमलाल जोशी** (झुन्झुनु) : Mr. Speaker Sir, may I have the indulgence of the Chair by putting some questions to the leader of the House whether he has any notice of such motion against a Member of the House; because as leader of the House, he is not only the leader of the majority party, but also the leader of the whole House and if any motion of this sort regarding the impeachment of the conduct of a Member comes I think the leader of the House is the proper person to tell the Chair of the proper procedure. I would like to know through you, Sir, what the leader has to say about this; whether he has the notice of this motion and whether any preliminary enquiry into this matter has been made by him or not?

**श्री अध्यक्ष** : I do not think we should have any discussion at this stage, and so far as the information sought by the Hon'ble Member is concerned, I would like to inform him that a copy of the motion was sent to him for his information.

## राजस्थान बाट और माप (प्रवर्तन) विधेयक, १९५८ (अग्रेतर खंडशः विचार विमर्श एवं पारण)

**श्री अध्यक्ष** : लेजिसलेटिव बिज़नेस, राजस्थान वेट्स एन्ड मेज़र्स बिल, क्लॉज़ ३६ पर बहस हो रही थी

(विराम)

**श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लॉज़ का विरोध करता हूँ।

**श्री अध्यक्ष** : इस पर तो माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब भी दे दिया है। आप आगे दूसरे क्लॉज़ पर बोल लेना।

**श्री भैरोंसिंह** : जवाब नहीं दिया है।

**डा० चन्द्रकला** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की ओर से इसका जवाब नहीं दिया गया था। माननीय श्री श्रीभानसिंहजी बोले थे।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैंने श्री श्रीभानसिंहजी के बोलने के पश्चात् जवाब दिया था।

**श्री श्रीभानसिंह** : आप एक्सप्लेन कर रहे थे।

**श्री रामचन्द** : जवाब देना आरम्भ कर दिया था, फिर समय हो गया।

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३६ को स्वीकार किया जाय।

जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें।

(हां)

**श्री भैरोंसिंह** : क्या जवाब मिल गया उनकी ओर से?

('जवाब दे दिया' ऐसी आवाज़)

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३६ को स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३६ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ३७, इस पर अमेन्डमेन्ट्स हैं।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** (उप-मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज़ ३७ में निम्न अमेन्डमेन्ट्स प्रस्तुत करता हूं।

In sub-clause (2), omit "a presidency magistrate or"

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न यह है......

**श्री भैरोंसिंह:** अध्यक्ष महोदय, इस पर बोलना है। मैं यह देख रहा था कि कोई और अमेन्डमेन्ट्स होंगे।

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३७ में यह व्यवस्था की गई है कि वेट्स एन्ड मेजर्स के सम्बन्ध में यदि कोई ऑफ़ेन्स होता है तो उस ऑफ़ेन्स के सम्बन्ध में कार्यवाही किस प्रकार से होगी? इस व्यवस्था के अनुसार कोई भी कोर्ट इस सम्बन्ध में कोग्नोजेन्स नहीं लेगी, जब तक सुपरिन्टेन्डेन्ट या कोई अधिकारी, जो इस विषय में अधिकृत न हो, उसके द्वारा इस सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट के सामने कोई कम्प्लेन्ट न की जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की जानकारी देने की आवश्यकता तो नहीं समझता कि यदि नाप तोल के सम्बन्ध में कोई ऑफ़ेन्स होता है, कोई आदमी ग़लत बाट रखता है, ग़लत बाट बना कर बेचने की कोशिश करता है, या ग़लत बाट के द्वारा सामान बेच कर नाजायज मुनाफ़ा कमाने की कोशिश करता है, इस प्रकार के ऑफ़ेन्स हों तो, उस विषय में पीनल कोड में भी व्यवस्था की गई है लेकिन जहां हम पीनल कोड की व्यवस्था के उपरान्त कोई व्यवस्था रखने की चिन्ता करें, तो एक ही आधार हो सकता है कि पीनल कोड में जिस प्रकार की व्यवस्था थी या तो वह अपर्याप्त है या इतनी अधिक है कि उसको माइल्ड करने की आवश्यकता महसूस की गई है। लेकिन जहां तक इस बिल की भावना का सम्बन्ध है, मैं ऐसा समझ कर चलता हूं कि जो अपराध नाप तोल के सम्बन्ध में होगा, वह माइनर ऑफ़ेन्स नहीं होगा, वह ऐसा अपराध नहीं जिस पर आसानी से विचार कर माइल्ड पनिशमेन्ट की व्यवस्था की जाय। जहां तक हमने पिछले शासन का इतिहास देखा है, केवल अंग्रेज़ी शासन का ही नहीं बल्कि यदि इतिहास उठा कर देखें तो पहले भी जितने शासनकर्त्ता थे, उनके राज्य में यदि कोई विशेष बात होती थी, उनमें से एक बात यह भी होती थी कि उन राज्यों में व्यापारी या समानान्तर धन्धा करने वाले व्यक्ति, नाप तोल में ईमानदारी रखते हैं या किसी को किसी समय नाप तोल में सामान कम तो नहीं देते? लेकिन, मैं समझता हूं, यदि वही भावना राज्य सरकार की अब भी है तो सरकार को स्पष्ट रूप से एक प्रकार का दृष्टि कोण बनाना पड़ेगा कि या तो पीनल कोड को माने या सज़ा देने की जो व्यवस्था है उसको स्वीकार करे, नहीं करती है तो उस स्थिति को स्वीकार करे, यह कह कर कि पीनल कोड में अपर्याप्त व्यवस्था है, अपर्याप्त होने के कारण एक कम्पेरेटिव व्यू लेना पड़ेगा कि पीनल कोड में किस प्रकार की है और आप सज़ा देने की व्यवस्था कर रहे हैं वह किस प्रकार की है? अध्यक्ष महोदय, सदन भलीभांति परिचित है कि इस प्रकार के ऑफ़ेन्सेज़ जो दूसरे एक्टस के मातहत होते हैं यदि सरकार कम्प्लेन्ट करती है तो किस रूप में करती है और करती है तो किस रूप में परस्यू करती है और उन केसेज़ का क्या परिणाम होता है? कुछ दिनों पहले, इसी सदन में दो वर्ष पूर्व एक मामला प्रस्तुत हुआ था। उदयपुर से आने

(श्री भैरोंसिंह)

वाले एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा था, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, उन्होंने जानकारी चाही थी कि एक कस्टम अधिकारी ने रिश्वत ली है, एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट ने उसको रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है, मामला देर में रजिस्टर हुआ है और रजिस्टर होने के बावजूद भी, दो वर्ष हो जाने के बावजूद भी जिस विभाग ने कम्प्लेन्ट की थी, उसको मालूम नहीं है कि क्या कार्यवाही की गई है।

माननीय डिप्टी मिनिस्टर महोदय, बड़ी आतुरता से इस बात की तलाश करते होंगे कि वे इन्स्पेक्टर कौन होंगे? मैं उनकी उत्सुकता को दूर करने के लिये बताना चाहता हूं कि वे इन्स्पेक्टर राजस्थान राज्य के भूतपूर्व मंत्री के दामाद थे, जिनका नाम देवीलाल था। इतना होते हुए भी राज्य सरकार ने उनके खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं की। यह बात प्रगट करती है कि राज्य सरकार किसी की कम्प्लेन्ट साबित हो जाने पर भी, उसको सजा देने का सवाल आता है तो कितनी देरी करती है। जिस प्रकार से शिकायत करने पर राज्य सरकार की ओर से जिस प्रकार उस कम्प्लेन्ट का पीछा किया जाना चाहिये, वह होता नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यदि माप तोल के सम्बन्ध में सज़ा देने की व्यवस्था की जायगी और सख्त सज़ा देने की व्यवस्था की जायगी तो हमारा क़ानून पास करना लाभदायक हो सकता है। इस बिल के अन्दर यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जाकर इन्स्पेक्टर या सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास उसकी शिकायत कर सकता है लेकिन मेरा इस संबंध में यह निवेदन है कि कोई भी साधारण व्यक्ति नाप तोल के संबंध में शिकायत करना चाहे कर सकता है और उस शिकायत के आधार पर, वह केस रजिस्टर होना चाहिये और फिर मामले की तफ़तीश होनी चाहिये।

पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है, जिसके अन्दर मर्डर केसेज़ तक की तफ़तीश हम उनको देते हैं, चोरी, डकैती आदि के मामलों की तफ़तीश एक पुलिस का सब-इन्सपेक्टर और हैड कान्स्टेबिल करता है तो फिर तोल माप आदि के लिये हम अलग से इस प्रकार की व्यवस्था क्यों करें? इस प्रकार अलग से व्यवस्था करने में सरकार का डिसक्रीशन है वह महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें होगा क्या कि इन्सपेक्टर सुपरिन्टेन्डेन्ट वेट्स एन्ड मेज़र्स डिपार्टमेन्ट या डाइरेक्टर जनरल ऑफ़ वेट्स एन्ड मेज़र्स इनके दिमाग में अगर इस प्रकार की कोई चीज़ आगई कि अमुक व्यक्ति को चालान करना है तो वह यह उनके डिसक्रीशन पर रहेगा कि उस व्यक्ति को चालान करे या न करे। लेकिन दूसरी तरफ़ जब पुलिस में किसी चीज़ की रिपोर्ट होगई तो उसके बाद इनवेस्टीगेशन पर डिपेन्ड करता है मामला सच हुआ तो बिना संकोच के बिना इन्सपेक्टर या सुपरिन्टेन्डेन्ट की जानकारी के किसी भी व्यक्ति का चालान किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस विभाग से किन किन लोगों का काम करना पड़ेगा, इस विभाग से माप तोल के मेन्युफ़ेक्चर करने वाले, या उन माप तोलों को जो काम में लेते हैं उन व्यापारियों से पड़ने वाला है। और उन्हीं व्यापारियों को सज़ा देने की व्यवस्था हम इस क़ानून में कर रहे हैं। तो वैसी हालत में इस क़ानून में इस प्रकार का तरीक़ा रखें जो बहुत आसान हो कम्प्लीकेटेड न हो। यह भी सही है कि हम इन्सपेक्टर के कार्यालय हर तहसील या हर ज़िले में तो खोलेंगे नहीं हर थाने में इन्सपेक्टर नहीं रहेगा वैसी हालत में किसी एक गांव के रहने वाले को किसी व्यापारी के खिलाफ़ माप तोल के बारे में शिकायत करनी है तो उस शिकायत कर्ता को ज़िले के हैडक्वार्टर में आना पड़ेगा, इस शिकायत के लिये। आप ये अधिकार न तो पंचायतों को दे रहे हैं न तहसील पंचायतों को दे रहे हैं और न वी. डी. ओ. को विलेज लेवल वर्कर को ही ये अधिकार दे रहे हैं। नाप तोल के संबंध में अगर कोई कमी बेशी करता है तो उसकी शिकायत करने का जहां सवाल आयगा तो हमें चाहिये यह था कि इस प्रकार की शिकायत उन अधिकारियों से की जाय जो तुरन्त एक्शन ले सकें। लेकिन हमने इसमें ऐसा प्रावधान किया है कि अगर किसी को शिकायत करनी है तो वह इन्सपेक्टर के पास जाकर करे और इन्सपेक्टर

(श्री भैरोंसिंह)

छोटे छोटे गांवों में नहीं होंगे बड़े बड़े शहरों में होंगे इस तरह से जो इन्सपेक्टरों की व्यवस्था रखी गई है, वह बिल्कुल अपर्याप्त है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस धारा में अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत नहीं कर सका फिर भी मेरा डिप्टी मिनिस्टर महोदय से निवेदन है कि अगर वे इस ओफ़ेन्स को कम करना चाहते हैं तो उनको निसंकोच यह व्यवस्था कर देनी चाहिये यह ओफ़ेन्स कोगनीज़िबल ओफ़ेन्स होगा और हर आदमी पुलिस में जा कर इस प्रकार की रिपोर्ट कर सकता है। और उसके बाद तफ़तीश पर सुपरिन्टेन्डेन्ट या डी. आई. जी. चालान करने का हक़दार होगा। इस प्रकार की अगर व्यवस्था की जाती है तो ओफ़ेन्स कम होंगे। हमने जो इन्सपेक्टर की व्यवस्था रखी है, उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इससे होगा क्या कि इन्सपेक्टर जिसको चाहेगा, उसका चालान करेगा, चाहे साधारण व्यक्ति के कितनी भी शिकायत करने के बावजूद इन्सपेक्टर के अधिकार में रहेगा कि वह चाहे जिसका चालान करे। इससे साधारण व्यक्तियों को राहत मिलने वाली नहीं है। इन शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि अगर आप इस प्रकार के अनैतिक कार्य करने वालों को सज़ा दिलाना चाहते हैं, इसमें आपका किसी प्रकार का सुधार लाने का मक़सद है तो आपको इस कानून में कड़ी सज़ा का प्रोवीज़न रखना चाहिये और हर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने और उसको रखने का सुलभ तरीक़ा हमें इसमें रखना होगा। अगर हम इसी प्रकार की व्यवस्था रखते हैं तो मैं इसका विरोध करता हुआ, स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज के संबंध में मेरा यह निवेदन है कि इसके अन्तर्गत जो ओफेन्स माना गया है उसे साधारण ओफेन्स नहीं बल्कि बडा ओफेन्स माना जाना चाहिये। नाप तोल का संबंध प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक मनुष्य से होता है। अगर इस कम तोल और नाप के बारे में अगर किसी को किसी प्रकार की शिकायत हो तो वह इन्सपेक्टर के पास जाकर करने का प्रावधान हमने इसमें किया है छोटी सी बात की शिकायत के लिये, हर आदमी को इन्सपेक्टर के पास जाना होगा। लेकिन इस कानून के अन्तर्गत जो दंड का विधान किया गया है वह किसी भी प्रकार इफेक्टिव नहीं कहा जा सकता। इस अपराध को इफेक्टिव न मानना एक प्रकार से नैतिकता को चुनौती है। अपराध होते हैं और हमने बड़े बड़े अपराधों के लिये सज़ा का भी प्रोवीजन किया है जैसे डकैतियां, चोरियां आदि के लिये बडी से बड़ी सज़ा का प्रावधान रखा है। लेकिन हम देखते हैं कि कितने ही व्यापारी ऐसे हैं, जो कम नाप और तोल रखते हैं और उससे बेज़ा फायदा उठाते हैं। यह माननीय मंत्री महोदय कह सकते हैं कि इसमें इतने अपराध नहीं होते हैं, यह केवल इस आधार पर कह सकते हैं कि इसकी सेन्सस उनके पास नहीं है। लेकिन मैं उनको बताऊं, ये जितनी अधिक मात्रा में अपराध होते हैं, उतने और कोई समाज के अन्दर अपराध नहीं होते। यह अपराध ऐसे हैं जो समाज की नैतिकता के स्तर को गिराते हैं अगर इस प्रकार के अपराध अधिक होते हैं तो उन अपराधों की रोकथाम के लिये अगर हम कड़ा कदम नहीं उठाते हैं तो यह हमारे लिये गलत बात होगी। हमें चाहिये यह कि बड़े अपराध के लिये बड़ी सज़ा और छोटे अपराध के लिये छोटी सज़ा। अगर हम छोटी चीजों पर सही कार्यवाही करते हैं तो वह चीज आगे नहीं बढ़ पाती। आज हम देखते हैं कि कोई भी चीज हम बाजार से लाते हैं और घर पर जाकर उसे तोलते है तो वह कम उतरती है। ये चीजें ऐसी हैं जो नैतिकता को गिराती हैं। इसके लिये अगर कड़े से कड़े कदम उठाने का प्रोवीजन नहीं रखते हैं तो यह अपराध वृत्ति दिन प्रति दिन बढ़ती रहेगी। हम कई अन्य अपराधों पर कड़ी से कड़ी सज़ा रखते हैं, लेकिन आज यह इस प्रकार का अवसर है जब कि विरोधी दल का इस प्रकार सुझाव आता है कि इस प्रकार के अपराध जो करता है उस अपराध को कम करने के लिये जो समाज में सर्वत्र व्याप्त हो रहा है उसको कोगनीज़ेबल ओफेन्स बनाया जाय। और उसके लिये कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान रखना चाहिये। आज हमें यह अवसर मिला है कि हम इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिये कड़े

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

से कड़ा कदम उठा सकते हैं, यह आज अवसर है जो समाज के अन्दर कम तोल और नाप की बुराई फल गई है उस बुराई को दूर करने का अवसर है अगर इस अवसर से चूक गये तो यह ठीक नहीं होगा। इन दृष्टियों से विचार करके इस प्रकार के प्रावधान को रखने की व्यवस्था करें।

**श्री मदनसिंह दांता** : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो क्लाज ३७ का जो विरोध किया है उस विरोध का समर्थन करता हुआ आपके जरिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह माप-तोल का एक ऐसा प्रश्न है जिसका संबंध छोटे से लेकर बड़े आदमी तक से है। ये चीजें रात दिन काम आने वाली हैं। इन चीजों के लिये अलग से इन्सपेक्टर की नियुक्ति करते हैं तो उससे कोई कडी कार्यवाही नही हो सकती। इसलिये मैं तो यह समझता हूं कि चूंकि एन्टी-करप्शन के पास कोई काम नहीं रह गया है तो उसको कुछ काम देना चाहते हैं और फिर यह बताना चाहते हैं कि देखो इसके पास काम बहुत है। मैं कहता हूं यह ऐसी रात दिन काम में आने वाला चीज है कि जो इसके काबू का बात नहीं है, यह करप्शन बढ़ेगा और हल्ला होगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि दिन में कोई भी एक ऐसा सेकण्ड नही, जिसमें नाप और तोल नहीं होता हो।

इसी तरह कपड़े में होता है। इसमें नाप में गड़बड़ होती है। बाजार से लेते हैं तो नाप अलग और घर जाकर नापते हैं तो नाप दूसरा मिलता है। अब इसकी क्या रिपोर्ट की जावेगी, किस इन्सपेक्टर को कहा जावेगा ?

तो इसके लिये तो ऐसी व्यवस्था होती कि पंचायत या लोकल बोडीज को कहा जाता तो लोग उनके पास जल्दी से पहुंच सकते हैं और तुरन्त फैसला भी हो जाता।

अन्यथा तो पहले भी एक रजिस्ट्रेशन का प्रश्न आया था, उसमें भी ऐसा ही कुछ किया गया था। तो यह तो ऐसा दिखा रहे हैं कि अलग अलग फालतू आदमी कोई बैठा हैं जिनको सर्विस देने की बात होगी। अन्यथा तो इसमें ऐसी बदमाशियां होती हैं उनके लिये सजाएं आप देते हैं प्रोवीजन करते हैं पर इसके लिये नही जब कि ये भी ऐसी ही बद-माशियां हैं, ४२० के मामले हैं। इन केसों को भी इसी तरह से डील करना चाहिये। इसलिये इस प्रश्न पर गौर करना चाहिये। इसे मामूली प्रश्न आप न समझें। यह गरीब अमीर दोनों का प्रश्न है। और सुबह से शाम तक होने वाली चीजों का प्रश्न है इसलिये अन्य भी सदस्यों से जो बोलने वाले हैं निवेदन करूंगा कि इस पर पूरा विचार किया जाव। वैसे यह धारा दिखने में छोटी है पर रात दिन काम में आने वाली चीज से इसका संबंध है। इस पर और भी सदस्य अपने विचार रक्खेंगे और इसकी ठीक व्यवस्था करने के लिये सुझाव देंगे, तो मिनिस्टर महोदय जरूर मानेंगे।

**श्री हीराजी भाई** (कुशलगढ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं कि पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास कार्यवाही के लिये जाए। यह तो पंचायत के पास या लोकल बोडीज के पास जाना चाहिये। इससे जनता को आराम रहेगा। नहीं तो सुपरिन्टेन्डेन्ट जिला हेडक्वार्टर पर रहता है, वहां उसके पास दो आने की चीज को तोल को बेईमानी बताने के लिये १५) रुपया खर्च करके कौन जावेगा। तो यह तो सरकार को पहले ही सोच समझ कर रखना चाहिये। म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत या तहसील पंचायत को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाय, तो ठीक रहेगा। इससे नापतोल में जो भ्रष्टाचार हैं, वह रुक सकता है।

अब इसमें तो सरकार ने उन लोगों को बेईमानी करने की खुली छूट दे दी है। वे जानते हैं कि एक, दो आने या चार आने की बेईमानी के लिये कोई २५) खर्च करके

(श्री हीर जी भाई)

५०मील जाकर सुपरिन्टेन्डेन्ट को शिकायत नहीं कर पावेगा। तो इस रास्ते से तो न तो कार्यवाही करने जाने वाले हैं, न आगे कार्यवाही होने वाली है। इसलिये यह तो इस तरीके से दिन ब दिन ज्यादा बढ़ेगी। घटने का तो नाम नहीं होगा।

इसलिये मेरा निवेदन है कि या तो ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत के सरपंच या पंचों के मार्फत इसको कार्यवाही कराई जानी चाहिये या छोटे छोटे चौकीदार, पुलिस इन्सपेक्टर या थाने वगैरह की मार्फत केस पकड़े जावें और उनके मार्फत ही ये केस पकडे जाकर, कार्यवाही की जाये। नहीं तो यह तो सरकार ने एक तरह से चोरों को रास्ता दे दिया है। क्योंकि लोग ऊपर तक पहुंच नहीं पावेंगे और कार्यवाही हो नहीं पावेगी। सज़ा होगी नहीं। और बेईमानियां खतम नहीं होने वाली हैं। इसलिये यह कानून गलत तरीके से आप कर रहे हैं।

इसको सुधारना अत्यावश्यक है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस कानून में काफी संशोधन होना आवश्यक है। या तो इसको ग्राम पंचायत को सौंप दो या म्यूनिसिपैलिटी को। ताकि हमारी अच्छी तरह से नाप तोल में रक्षा हो सके। वरना नहीं हो सकती है।

**श्री भोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३७ के अन्तर्गत कानून की व्यवस्था की जारही है उसका मैं विरोध करता हूं। यह जो नाप तोल के बारे में सरकार ने कानून बनाया है इसका प्रत्येक जनता के तबके से काम पड़ता है और रात दिन पड़ता है। किस तरह से लोग नाप तोल में लोगों को ठगते हैं, लूटते हैं यह आम जनता में जाहिर है। सरकार की व्यवस्था अभी तक ठीक तरह की नहीं हो रही है और आज तक लोगों के पास झूठे नाप तोल हैं। तो सरकार, व्यापार की इस मामूली सी बात के लिये, जो बेईमानी रात दिन चलती है उसके लिये भी ठीक तरह से इन्तजाम नहीं कर सकी है। आज इस झूठे नाप तोल का सबसे अधिक असर गरीब लोगों पर और नीचे छोटे लोगों पर गांवों के लोगों पर अधिक है। वहां व्यापारी उनकी गरीबी का और अनपढ़ होने का लाभ उठाते हैं और फिर वे लोग शिकायत करने से भी डरते हैं। कहां जावें किसको कहें। यह रात दिन की लूट व्यापारियों ने मचा रक्खी है। तो इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार को सही ढंग की व्यवस्था करनी चाहिये। इसकी व्यवस्था धारा ३७ में, सरकार ने की है पर यह ठीक नहीं है। क्योंकि लोग इसके अनुसार किसको रिपोर्ट करें, कैसे जांच हो, इसमें सहूलियत नहीं समझोतो यह बहुत बड़ा गलत तरीका है। ये अधिकार तो ग्राम पंचायत को देने चाहिये या म्युनिसिपैलिटि को देने चाहिये, जिनके अधिकारियों को लोग शिकायत कर सकें जो उनके नजदीक होते हैं, जिनके पास जाने में उनको दिक्कत नहीं होगी, कुछ पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा, वे उनके गांव में ही होंगे। रात दिन उनके सम्पर्क में रहते हैं, इसलिये उनको वे शिकायत कर सकते हैं और फैसला भी अच्छा और जल्दी हो सकेगा, और इस तरह से झूठे नाप तोल करने वाले व्यापारी को दण्ड भी जल्दी ही मिल सकेगा। ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक कोई भी इसको ठीक ढंग से समझ सकेगा और उसी समय जुर्म करने वाले को पकड़ कर, किसी और अधिकारी के सुपुर्द कर देगा या थाने में सुपुर्द कर सकेगा। और फिर पुलिस अधिकारी अपनी जांच करके, उसको बाकायदा सजा दे सकेगा। पंचायत सजा दे सकेगी, उपर अदालतों में जाकर सजा मिल सकेगी। पकड़ कर आगे के अधिकारी को दे सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हम दें, तब तो इस कानून से आगे जाकर ठीक व्यवस्था हो सकेगी, और इस पर कुछ प्रतिबंध लग सकेगा। वरना जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके पास झूठे नाप तोल के बांट रहेंगे और वह अपनी मर्जी के माफिक करेंगे। ऐसी गलत व्यवस्था को नहीं लेना चाहिये और माननीय मंत्री महोदय को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि इस काम को जो हमारे पंचायतों के क्षेत्र में या लोकल बाडीज में काम करने वाले लोग हैं, इनके इस काम को करवाना चाहिये। यह काम उनकी मार्फत होना चाहिए वरना यह नाप तोल की जो धारा है, वह गलत है। मुझे आशा है माननीय मंत्री महोदय इसमें संशोधन करने की कृपा करेंगे।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** (उप उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस क्लॉज़ के प्रति जो विरोध प्रकट किया है उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि दण्ड संग्रह में भी चार धारायें ऐसी दी हुई हैं जो कि गलत माप या गलत बांट रखने के विषय में हैं। जैसे धारा २६४ से लेकर के २६६ तक जो दण्ड संग्रह की हैं, उसमें भी बताया गया है कि अगर कोई आदमी गलत मैजर्स को इस्तेमाल करता है या कम तोलता है तो भिन्न भिन्न उनके दण्ड दिये हुए हैं और उनके तरीके भी बताये गये हैं और इन सब दण्डों को नॉन-कागनीजेबल माना गया है। जैसा कि इस वेट एण्ड मैजर्स बिल में बतलाया गया है कि इसका जो चेप्टर ४ है, उसम जो धारायें २३ से लेकर ३५ हैं, इनके तहत कोई त्रुटि हो या इनके अनुसार जो माप न रखे उनको किस प्रकार से दण्ड दिया जा सके उसका विवरण दिया हुआ है। तो यह सब बातें इस प्रकार की हैं कि जो इस बिल में दी हुई हैं। इसके अलावा कोई भी चलता फिरता आदमी यह मालूम नहीं कर सकता है कि वास्तव में किसी आदमी के पास में जो नापने के बांट हैं वह बराबर स्टेन्डर्ड वेट के अनुसार हैं या नहीं या फिर उनसे कम हैं या ज्यादा हैं। किस प्रकार से उनका इस्तेमाल किया है। यह बहरहाल कोई कर सकता है तो वही इन्सपेक्टर कर सकता है जो इसके तहत में काम करेगा। वही निर्णय कर सकता है कि जो उसके पास में स्टेन्डर्ड मेजर्स हैं, उनसे उस आदमी के बांट कम हैं या ज्यादा हैं और वह बांट ठीक तरह से रखता है या नहीं। या वह गलत तौर पर कम बांट रखता है जो स्टेन्डर्ड मेजर्स से कम है या उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करता है या इस एक्ट के तहत जुल्म करता है तो उसके ऊपर तो वही इन्सपेक्टर एक्शन ले सकता है। साथ ही अगर कोई आदमी किसी के बारे में रिपोर्ट करेगा तो उसके बांटों की भी जांच होगी। अब यह कहा जाय कि हमारे दण्ड संग्रह में इस प्रकार का प्रावधान रखा गया है, उसके अलावा इस कानून के अन्तर्गत दण्ड को अधिक स्ट्रांग करना चाहिये या उसको ज्यादा दण्ड दिया जाना चाहिए और हर एक आदमी को यह अधिकार होना चाहिए कि वह जाकर कहेगा कि इस प्रकार से इसको काग्नीज़ेबल ऑफेन्स ले लिया जाये। इसके बारे में निवेदन करूंगा कि बहुत से दण्ड तो ऐसे हैं जो इन्सपैक्टर को अधिकार हैं जैसे ३४ व ३५ में है,

"Clause 34—Penalty for neglect or refusal to produce weight or measure etc. for inspection; "

इसी तरह in clause 35 "penalty for breach of duty by Inspector or Assistant Inspector."

इन्सपैक्शन करने के बाद में फिर कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी शक्ल में इसका इन्सपैक्टर के द्वारा निर्णय नहीं मिल जाये और इन्सपैक्टर जाकर अपने उच्च अधिकारी या सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास रिपोर्ट करेगा और फिर उसके खिलाफ़ कार्यवाही करेगा। इसलिये यह प्रावधान क्लॉज ३७ में दिया हुआ है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि गांवों में बहुत से ऐसे आदमी हैं जो गलत तोलते हैं या गलत नाप रखते हैं; तो उसके बारे में प्रावधान है कि इन्सपैक्टर मुकर्रर किया जायगा और वह जाकर देखेगा और अगर किसी को शिकायत है तो वह इन्सपैक्टर के पास शिकायत कर सकता है।

**श्री भैरोंसिंह** : इन्सपैक्टर का हैडक्वार्टर कहां होगा ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसका हैडक्वार्टर तो एक ही जगह होगा। यह तो हो नहीं सकता कि गांव गांव में हो। इन्सपैक्टर अपनी रिपोर्ट लिख कर भेज सकता है या इन्सपैक्टर अपनी जांच से यह मालूम करेगा कि एक आदमी इस एक्ट के प्रावधान के खिलाफ़ को काम करता तो उसके खिलाफ़ कार्यवाही की जायेगी। तो समझ में नहीं आता कि इन्डियन पीनल कोड में दिए हुए दण्ड हैं, उनसे भी ज्यादा कड़ा दण्ड दिया जाय और उसको कॉग्नीज़ेबल बना दिया जाय . . .

# Page No.40



**श्री मदनसिंह** : यह रिपोर्ट तो पंचायत द्वारा भी जा सकती है, म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा भी जा सकती है।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैंने कहा कि पंचायतों को रोक नहीं है। पंचायतें इन्सपैक्टर को कह दें कि यह आदमी गलत काम कर रहा है तो उस आदमी पर कार्यवाही हो सकती है ।

**श्री मदनसिंह** : फिर यह अननेसेसरी खर्चा क्यों ?

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३७ में जो संशोधन उप-मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३७ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ३८, इस पर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है। कोई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे ?

(अल्प विराम के अनन्तर)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३८ स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३८ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

**श्री अध्यक्ष** : क्लॉज ३९, श्री पी. के. चौधरी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

**श्री पी. के. चौधरी** ( फुलेरा ) : I move my amendment, "that the proviso to sub-clause (I) be deleted."

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३९ है उसमें ओफेन्सेज़ बाई कम्पनीज का जिक्र किया गया है, लेकिन उसमें कंपनी का जो मालिक है उसको उस ओफेन्स की जिम्मेदारी से बरी किया जाता है, उसको एक्जेम्प्ट किया जाता है, इस प्रोविजो के द्वारा :

"Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all the deligence to prevent the commission of such offence."

अध्यक्ष महोदय, वेट्स एण्ड मेजर्स एक्ट में जो प्रोवीजन हैं, उसके वायलेशन के लिये छोटे छोटे जो दुकानदार होंगे उनको सजा मिल जायगी, इस कानून के आधार पर लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, जिनके यहां पर नौकर-चाकर रहते हैं, जो मैनेजर से काम लेते हैं, वे लोग आसानी से इस क्लॉज के अन्दर उस एक्जेम्प्शन को प्राप्त कर लेंगे और सारी जिम्मेदारी किसी छोटे नौकर के ऊपर डाल देंगे कि मुझे जानकारी नहीं थी और फलां नौकर ने वेट्स रख लिये । यह बहाना कर लेंगे, और कई दफा ऐसा हुआ है जब कि फूड कण्ट्रोल हमारे यहां पर चलता था । फूड कण्ट्रोल और लड़ाई के टाइम में और उसके बाद भी जब तक रहा और फूड का राशनिंग चलता था, तब ऐसे कई किस्से हमारे सामने आये हैं, कि जहां पर अन-लाईसन्स्ड अन-आथोराइज्ड फूड ग्रेन्स का पाउडर मिला दिया गया और वहां पर जो नौकर होते हैं, चौकीदार होते हैं और वाचमैन होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसे कई केसेज़ बम्बई में मैंने देखे हैं क्लॉथ के कण्ट्रोल के वायलेशन

(श्री पी. के. चौधरी)

के कि बड़े बड़े जो क्लॉथ मर्चेण्ट्स थे, उनके गोडाउन्स में अनआथोराइज्ड कपड़ा पकड़ा गया। लेकिन उसके लिये उन्होंने यह साबित कर दिया कि उनकी गैरजानकारी में क्लॉथ रह गया विदाउट लाईसेन्स के, विदाउट परमिट, के क्लॉथ उनके गोदाम में रह गया और यह साबित कर दिया। ऐसी दो, चार जगह की बात मैं कहता हूं कि वाचमैन को ५, ६ साल की भी सजा हुई है और उसके घर का खर्चा था, वह उसका मालिक चलाता है, उसकी तनख्वाह चालू रहती है। वह जेल में रहता है। यह जो क्लॉज है तो इस किस्म की जो चीज है, वह वाकई में इस प्रोवीजो के अण्डर में हो सकती है।

अब जो वेट्स और मेजर्स का बिल लाये हैं, उसके आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में कहा गया है कि वह इस वजह से लाया जाता है, कि आगे चल कर हम वेट्स और मेजर्स में बहुत जल्दी मेट्रिक सिस्टम कायम करना चाहते हैं, जैसा कि हम कोआइनेज में मेट्रिक सिस्टम लाये हैं। इस तरह से वेट्स एण्ड मेजर्स में भी मेट्रिक सिस्टम लागू करना चाहते हैं। कुछ प्रान्तों ने शायद पिछली अक्टूबर से कुछ जिलों में यह मेट्रिक सिस्टम वेट्स एण्ड मेजर्स का लागू किया भी है। हम भी अपने यहां यह लाना चाहेंगे। हमारे वेट्स रिवाइज्ड होगें और नये ढंग से वेट्स को रिवाइज करके बनायेंगे और इस बिल में जैसा कि देखा गया है इनको केवल लाइसेंस्ड मेन्युफेक्चरर्स ही बनायेंगे और इसके सिवाय जब कोई चेकिंग नहीं रहेगा और न कोई स्टेण्डर्ड डाइज्ड वेट्स एण्ड मेजर्स गवर्नमेण्ट की किसी फैक्टरी में या गवर्नमेण्ट के किसी वर्कशाप में बनाये जायेंगे बल्कि तमाम के तमाम वेट्स एण्ड मेजर्स जो कुछ विसुएलाइज़ करते हैं उससे मालूम होता है कि वेट्स एण्ड मेजर्स प्राईवेट मेन्युफेक्चरर्स तैयार करेंगे जिनको कि गवर्नमेण्ट लाईसेंस दे देगी या स्टेण्डर्डाइज्ड वेट्स एण्ड मेजर्स बनाने के लिये परमीशन दे देगी। पर, प्राईवेट मेन्युफेक्चरर्स बनायेगें वेट्स एण्ड मेजर्स को, इसलिये मैं मानता हूं कि काफी गड़बड़-शड़बड़ रहेगी। काफी लोग उसमें मास स्केल पर अण्डर मेजर्स और अण्डर वेट्स बनायेंगे।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : अध्यक्ष महोदय, संशोधन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

**श्री पी० के० चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, जो बड़ी २ कंपनीज हैं, जिनको कि रियायत दी जाती हैं इस प्रोवीजो के अण्डर में, वे क्या करेंगे कि वेट्स मेन्युफेक्चरर्स के साथ मिल जायेंगे और मास स्केल पर जो लो वेट हैं वह बनाये जायेंगे और जब कोई पकड़ा जायगा तो उसकी जिम्मेदारी वहां पर वजन करने–वाला जो आदमी है जिसको कि २५ या ५० रुपये तनख्वाह देते हैं उस पर डाल देंगे, और जो सही मायने में कलप्रिट है, जो सही मायने में उसका फायदा उठायेगा उन लोगों को हम दूर नहीं कर पायेंगे, उन लोगों को पनिशमेण्ट नहीं दे पायेंगे और नौकर को पकड़ेंगे और उसको सजा देंगे और जो सही गुनहगार है वह बच जायगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि यह जो प्रोवीजो रखा गया जिसमें यह कहा गया है कि:—

"Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge".

Now it is very difficult to prove that it was done with anyboyds' knowledge.

चुनाव में हम लोग आये हैं और पिटीशन में एक क्लॉज रहती है कि करप्ट प्रेक्टिस तब मानी जाती है:—

that it has been done with the knowledge and connivance. With the knowledge or connivance of the candidate or has been done by him. इस तरह से कोई साबित नहीं कर पाता है कि कोई चीज without his knowledge से की गई या उसकी पर्मिशन से की गई।

# Page No.42



(श्री पी. के. चौधरी)

यह चीज़ गलत है साबित करना कि यह फाल्स वेट्स एण्ड मेजर्स उसकी पर्मीशन से यूज़ किये गये हैं। विद हिज नॉलज किये गये हैं, यह मैं समझता हूं कोई साबित नहीं कर सकता है। वह कहेगा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है यह मेरे नौकर की बदमाशी है और उसने खुद ने उसका नफा ले लिया है, खुद ने कम वेट्स का इस्तेमाल करके फायदा ले लिया है उन्होंने और हमको कुछ नहीं मिला है। मैं तो समझता हूं कि यह जो क्लॉज रखी गई, यह जो प्रोवीजो रखा गया है, मैं समझता हूं, उसका फायदा छोटे दूकानदारों को नहीं मिलेगा और वह खुद ही पकड़ा जायगा कम वेट करने में। और जो बड़े बड़े फर्म्स हैं आजकल स्पेशल टाईप के स्टोर्स बनाये जाते हैं और वहां पर जो लोग हैं वे करने में और कोई मेजर करने में नौकर-चाकर होते हैं और वहां पर कोई केस होता है और वहां पर हम पकड़ें तो वे इस तरह से बच जायेंगे।

इसी सिलसिले में मैं यह कह रहा हूं कि बड़े फर्म्स और कंपनीज हैं उनमें वेट्स एण्ड मेजर्स बनाने वाले जो लाइसेंस्ड मेन्युफेक्चरर्स हैं उनके साथ सांठ गांठ हो जायगी और अण्डर वेट मेजर्स एण्ड वेट्स अपनी दूकान में रखेंगे। मैं इसका इसलिये जिक्र कर रहा था और कह रहा था कि आप प्राईवेट मेन्युफेक्चरर्स को वेट्स एण्ड मेजर्स बनाने की इजाजत देते हैं तो बड़ी बड़ी फर्म्स और बड़ी बड़ी कंपनीज उनका उनसे सांठ-गांठ होगी। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यह जो प्रोवीजो है जिसको कि हम सेविंग क्लास कह सकते हैं आपकी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिये उसको डिलीट कर दिया जाय।

**श्री रामचन्द** (डग) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो क्लॉज नं० ३६ पर अपना संशोधन रखा उसको मैं अपोज करता हूं, और मेरे अपोज करने का कारण यह है कि माननीय सदस्य ने अपने एमेण्डमेंट को रखते समय यह ध्यान नहीं दिया कि इस क्लॉज से संबंधित नं० (१) और (२) कितने एक दूसरे के डिपेण्डेण्ट हैं। अगर इस क्लॉज में केवल सब सेक्शन नं० (१) होता तो यह मैं मान लेता कि इसमें एमेंडमेंट रखने का जो सुझाव दिया है वह वास्तव में ठीक है। इस क्लॉज के सब सेक्शन नं० १ में यह बतलाया गया है कि अगर किसी नाप तौल के मामले में किसी किस्म का कोई अपराध कंपनी पर आ जाता है तो उस अपराध को भुगतने का भागी उसका नौकर होगा न कि कंपनी का मैनेजर। जब कोई बात कंपनी के मैनेजर की नॉलेज के बाहर थी, उसको मालूम नहीं था कि ऐसा अपराध किया गया है लेकिन साथ साथ सब क्लॉज नं० (२) में यह बतलाया गया है कि यदि यह मालूम होजाय कि कोई अपराध कंपनी के मैनेजर की मर्जी से या उसकी जानकारी से किया गया है तो उसको भी उस अपराध का दण्ड भुगतना पड़ेगा। इसलिये यदि पहले क्लॉज में कोई संशोधन किया जाता है तो दूसरे क्लॉज की वेल्यु नहीं रह जाती है। इसलिये माननीय सदस्य क्लॉज नं० ३६ की पार्ट (१) में संशोधन करना चाहते हैं तो उन्हें यह करना चाहिये कि वह सब क्लॉज (२) को डिलीट कर देवें। वर्ना इसमें अमेण्डमेंट की कोई वेल्यु नहीं रहती है। इसलिए मैं कहूंगा कि क्लॉज ३६ का सब क्लॉज (१) और (२) रखा है वह कंपनी के मालिक और नौकर दोनों ही को दंडित करने के लिये रखा है इसलिये इसको जैसा का तैसा मानना उचित है।

**श्री मदनसिंह** (दांता) : अभी फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने इस क्लॉज की खिलाफत की है, मैं उनसे सहमत हूं। चूंकि ऐसा मालूम होता है कि यह प्रोवीजो बड़े बड़े लोगों ने बैठ कर एक राय से तय करके यहां रखा है ताकि बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक कभी सजा पा नहीं सकते, यदि इसको हटाया नहीं गया। आज हम देखते हैं कि मोटर एक्सीडण्ट वगैरह में बड़े बड़े मिनिस्टर वगैरह सजा नहीं पाते हैं बेचारे ड्राईवर सजा पाते हैं। एक कंपनी से ऐसी गलती हो गई और कंपनी पकड़ी गई तो नौकर को कह दिया जायगा कि तुम्हारे घर का खर्चा तो हम देंगे, २,००० रु० घर पर भेज देंगे तुम तो बोल देना कि मेरी गलती

(श्री मदनसिंह)

मे हुआ था तो बडी आसानी से जो मालिक है और जो गडबडी करता है वह बच जायगा और नोकर जो हां भरने को तैयार रहता है वह सजा पा जायगा। इस तरह से जिन लोगों को सही रूप में पनिशपेमेण्ट देना चाहिये वे बचते रहेंगे। इसलिये यह जो प्रोवीजो है उसको हटा देने से ठीक ढंग से सजा मिल सकती है अन्यथा कभी भी जो आदमी मिल मालिक हैं या कंपनी का मालिक है वह कभी भी नहीं पकडा जा सकेगा। छोटे दूकानदारों में भी कुछ लोग पैसे वाले होते हैं, वे भी कह सकते हैं कि आठ नौ वर्ष के बच्चे को बैठा कर गया था उससे पीछे से कुछ गलती होगई होगी। इन प्रोवीजो को हटाने से जो गलती करते हैं उनको सजा मिलेगी अन्यथा बडे बडे लोगों को जो गलती करते हैं उनको सजा नहीं मिल सकेगी।

**डा० बहादुरसिंह,** (धौलपुर) : जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है उसका में समर्थन करता हूं। इसमें सोचने की बात यह है कि नौकर क्यों कम तोलेगा, उसको कम तोलने से क्या लाभ होगा। उसको तो अपनी तनख्वाह से मतलब है। तो वह अपनी मर्जी से कभी कम नहीं तोलेगा। बिना मालिक या मैनजर की इच्छा के वह कभी कम नहीं तोलेगा। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि इस क्लॉज को हटाना चाहिये। यदि किसी दूकान के अन्दर कम तोलने की व्यवस्था है तो उसके लिये उस दूकान का मालिक जिम्मेदार है। उसका नौकर या लडका क्यों कम तोलता है उसके लिये उस दूकानदार को सजा मिलनी चाहिये। यदि ऐसा हुआ तो कम तोलने वालों की संख्या में कमी हो जायगी और जो नैतिक और सामाजिक अपराध है उसमें कमी हो जायगी। इसलिये इसे स्वीकार करना चाहिये।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : (उप-मंत्री) : इस क्लॉज के बारे में सब-सेक्शन (१) है उसके प्रोवीजो में अमेण्डमेण्ट प्रस्तुत किया गया है, उसके लिये निवेदन यह है कि माननीय सदस्यों ने शायद इस धारा को ठीक तरह से पढा नहीं है। इसकी मंशा यह है कि एक कंपनी यदि इस प्रावधान के तहत में कोई ऑफेन्स करती है तो ऐसी दशा में कंपनी का इन्चार्ज भी रेस्पोन्सिबिल होगा और कंपनी भी रेस्पोन्सिबिल होगी। दोनों की रेस्पोन्सिबिलिटी रखी है, उन दोनों को ही पनिशमेण्ट मिलेगा। लेकिन प्रोवीजो में बताया है कि यदि कोई साबित करदे कि उसकी कनाइविंस से नहीं हुआ है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। इसमें जो प्रावधान रखा है उसका मतलब यह है कि कंपनी पर भार है लीगेली कंपनी लॉ के तहत उसकी एण्टि है इसलिये उसको सजा दी जा सकती है तो कंपनी तो सजा भुगतेगी लेकिन साथ साथ यह रखा है कि यदि उसका कोई आदमी जानबूझ कर नॉलेज से कमती तोलता है तो उसकी भी रेस्पोन्सिबिलिटी होगी और वह साबित करदे कि उसका इसमें हाथ नहीं है–

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ) : यह तो इसके अन्दर जोडी जाती तो मानते। इसके साथ में यह होता कि कंपनी की जिम्मेदारी भी होगी और दूसरों की भी होगी तो हम मानते।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : Proviso is the part of sub-section 1.

**श्री मदनसिंह** : यदि यह साबित कर दे कि मेरी गलती नहीं है मेरे नौकर की गलती है तो फिर भी कंपनी को सजा मिलेगी?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : माननीय सदस्य इसको देखने की कृपा करें:—

"If the person committing an offence under this Act is a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly":

# Page No.44



**डा० बहादुरसिंह (धोलपुर)**: होता यह है कि·····

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैं निवेदन कर रहा हूं, आपका व्यू पॉइण्ट मैंने समझ लिया है। इस सब सेक्शन (१) में कंपनी पर लाइबिलिटी है। प्रोवीजो में यह है कि वह साबित करदे कि उसकी कनाइवेन्स और नॉलेज में आफेन्स नहीं हुआ है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिये। एक कंपनी में मान लीजिये १० आदमी मुलाजिम हैं, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है और उनके नीचे और भी काम करने वाले हैं। एक मेन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेजर्स की बनानेवाली। यदि दरअसल में किसी नाप को या तोल को ढालते हैं उस वक्त किसी ने गलती करदी और कम बन जाता है। ऐसी सूरत में, जब तक वह यह नहीं कहदे कि यह मैनेजर की गफलतो से हुआ है तब तक मैनेजर की लाइबिलिटी नहीं हो सकती। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रोवीजो रखना वाजिब है। इण्डियन कंपनीज एक्ट में ऐसी बहुत सी बातें अंकित हैं जिनमें बताया है कि कंपनी का गुजर एक आदमी से नहीं चल सकता। उसमें काम करनेवाले बीसियों आदमी होते हैं उस हालत में यह कहना कि एक आदमी की ही रेस्पोन्सिबिलीटी है उचित नहीं होगा जब कि यह साबित करदे कि उसकी कनाइवेंस से यह गलती नहीं हुई···········

**डा० बहादुरसिंह** : म थोड़ी क्लेरिफिकेशन कर देना चाहता हूं और वह यह कि एक फर्म का मालिक नौकर से कहता है कि तू कह दे कि इस काम को करने में तेरी जिम्मेदारी है, तेरा जुर्माना मैं भुगत लूंगा, उस हालत में आप क्या करेंगे?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : यह एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि एक मालिक अपने नौकरों से कहे और उससे मर्डर कराये और उसके बाद उसे किसी तरह फांसी लगे तो वह भुगत लेगा, इस प्रकार की बात करें। यह ऐसी चीज है जिसे आप सिर्फ प्रिज़म्प्शन पर बताते हैं, ऐसा अमूमन होता नहीं है।

**डा० बहादुरसिंह** : यह प्रेक्टीकल है, ऐसा होता है।

**श्री मदनसिंह** : प्रोवीजो किसके लिये है? To save whom?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैं अर्ज करूं:

"That nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge"...... That is any person who was in charge of the Company.

जो आदमी उस कंपनी का इन्चार्ज है वह बतादे कि उसकी नॉलेज के बगैर या फॉर वाण्ट ऑफ ड्यू डिलीजेन्स ऑफेन्स कमिट हुआ है इसलिये उसकी लाइबिलिटी नहीं है।

**श्री मदनसिंह** : यह इंसपेक्टर के सामने रखेगा या सीधा व्यापारी कोर्ट के सामने इसको रखेगा। ऐसा कहा जायगा कोर्ट के सामने या इंसपेक्टर के सामने। कोर्ट के सामने होता है तो ठीक है।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : ऑफेन्स के बारे में तो कोर्ट के सामने होगा।

**श्री अध्यक्ष** : उसका चालान पेश होगा और उस पर वह कोर्ट में प्रूव कर दे कि ड्यू डिलीजेन्स की कमी थी तो फिर उसे माफी दे दी जायगी।

**श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर)**: यह कवर नहीं करता है।

**श्री मदनसिंह** : अगर कानून में है तो इन्सपेक्टर भी हो सकता है।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : पनिश्मेण्ट तो आखिर कोर्ट ही देगी। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि इंसपेक्टर कहता है कि ऑफेन्स कमिट किया है और वह प्रूव कर दे कि मेरी नॉलेज की वजह से नहीं हुआ है, तो वह बरी हो जायगा।

# Page No.45



**श्री अध्यक्ष** : इसमें लिखा है : "....shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly;"

तो वह डीम्ड गिल्टी हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि अदालत डीम्ड गिल्टी कर लेगी लेकिन " .... Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to punishment...."

एक तो होता है डिक्लेरेशन ऑफ गिल्ट और सेकिन्ड स्टेज होती है पनिशमेन्ट ? डिक्लेरेशन ऑफ गिल्ट कर देगा और पनिशमेन्ट के समय प्रूव कर दिया तो उसे माफ कर दिया जायगा।

क्लॉज ३६ में अमेन्डमेन्ट और है आपका।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ ३६ में, मैं निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं : In the proviso to sub-clause (1), substitute "due deligence" for "the deligence".

**श्री मदनसिंह** : इसको थोड़ा सा ....

**श्री अध्यक्ष** : यह तो 'दी डिलीजेन्स' की जगह "ड्यू डिलीजेन्स" किया है "....or that he exercised all due deligence...."

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३६ पर जो अमेन्डमेन्ट श्री पी. के. चौधरी ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३६ में जो संशोधन उप-मन्त्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३६, संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३६, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ४०

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४० में, मैं निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं : "Insert 'the' before 'rules' in line 3."

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि संशोधन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४० संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ४१, श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

**श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज़ ४१ का विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस क्लॉज़ में जिस भावना का संकेत किया गया है, उस भावना के बारे में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। लेकिन उस भावना को कार्य रूप में किस प्रकार से परिणित किया जायगा ? इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था क्लॉज़ ४१ में की गई है, वह बिल्कुल अपर्याप्त है। अगर यह कहा जाय कि हमने नाप तोल की व्यवस्था के

(श्री भैरोंसिंह)

सम्बन्ध में यह क़ानून बनाया है और बना कर उसके लिए एक अलग से विभाग हमने बनाया है। इस धारा के मंजूर हो जाने के बाद यदि धारा ४१, इस रूप में क़ानून में रहतो है तो यह कहना चाहिए कि यह सारा क़ानून, यह सारा विभाग इस क्लॉज़ ४१ के कान्ट्रेडिक्शन में है, यह कहना चाहिए कि क नून एक व्यवस्था करता है, नाप तोल में कमो करने वालों को दंड देने की, तो यह धारा उस ानून की धारा से उसे दण्डित करते है, तो उसको बचाने के लिए कहा जायगा। यह स्वाभाविक है कि इस प्रकार की कमियां हो सकती हैं, कपड़े के नापने के समय, जिस गज़ से कपड़ा नापते हैं, उस कपड़े को खींच कर नापते हैं, कपड़े की स्थिति के अनुसार नापते हैं, उसी प्रकार ऐसे भो गुड्स होते हैं, जिनको जिस समय तोला जाय, उस समय सर्दी के कारण से, या नमी के कारण से उसके वज़न में किसी प्रकार का अन्तर हो और यह अन्तर कि किसी व्यक्ति को संतोष न होने के कारण, वह उस अन्तर के ऊपर किसी प्रकार का एक्शन लिवाना चाहे तो एक्शन नहीं लिवा सकता। सबसे पहले तो धारा ४१ के अन्दर यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि इसमें एरर्स की क्या मिक़दार होगी, किस हद तक नापने के अन्दर, किसो वस्तु को तोलने में कमी आदमी कर सकता है और किन किन कन्डीशन्स में। यह जरूर लिखा है : "Subject to any rules that may be made under the Standard of weights & Measures Act, 1956 (Central Act 89 of 1956)." लेकिन जो रूल्स बनेंगे, वे रूल्स बनाये जायेंगे। राज्य सरकार कानून बनाने के लिये विधान सभा में क़ानून प्रस्तुत करने की स्थिति में है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं अभी तक राज्य सरकार ने तय नहीं किया है कि किस हद तक के अन्तर को, उस नाप के अन्तर में कमी की जा कर, जो आदमी ग़लती करता है, उसको दण्ड नहीं दिया जायगा। यह कहना चाहिए कि विधान सभा के सामने एग्ज़ेम्पशन के नाम पर एक ब्लेंक पेपर रखा है और उस ब्लेंक पेपर के ऊपर विधान सभा की मोहर लगाने की आवश्यकता महसूस की है और इस आवश्यकता को कार्य रूप में परिणित करने की चेष्टा की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी क़ानून बने, उस क़ानून का एक आधार होता है, उस क़ानून की जितनी जितनी मोटी मोटी बातें होती हैं, वे निश्चित की जाती है। इस निश्चय के आधार के ऊपर आगे चल कर हम नियम बनाने वाले हैं, उप-नियम बनाने वाले हैं, उसका एक बेसिस होता है लेकिन उस अन्तर के नाम पर इस धारा में एग्ज़ेम्पशन की चीज़ है कि इन्सपैक्टर चाहे तो, व्यापारी के साथ रियायत करना चाहे तो रियायत कर सकता है। यदि कोई अधिकारी रियायत करना चाहता है तो कर सकता है, अन्तर के नाम पर कर सकता है। वैसे यह इन्क्वायरी के आधार पर देखा जाय, कि बोनाफ़ाइड एरर है या नहीं; यह इन्क्वायरी का प्रश्न है। अन्तर के नाम पर विभाग के अधिकारी को यह डिस्क्रीशन का अधिकार दे दिया है। मैं उदाहरण के तौर पर कहूं कि किसी गांव में जाकर किसी एक व्यापारी की दुकान में घुस कर उसके नापने तोलने के जितने बांट हैं, जितने माप हैं, उन सबको बिना किसी कारण के गिरफ्त में लेते हैं और गिरफ्त में लेने के बाद कोई व्यक्ति शिकायत करता है, उस शिकायत के ऊपर उसे गिरफ्त में लेते हैं? उसकी इन्टेन्शन मेलाफ़ाइड इन्टेन्शन न होगी, तो भी निश्चित रूप से चालान कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार का सरकार का रवैया है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचारी रवैया है, उसके कारण हमारे मन्त्री महोदय परेशान हैं, उस परेशानी पर हमें अच्छी तरह से विचार करना पड़ेगा। अगर हम किसी प्रकार से एरर से बचने की गुन्जाइश देते हैं तो कोई भी अधिकारी यह कह कर बच सकता है कि जिसको गिरफ्तार किया है, जिसके माप और बांट को कब्जे में लिया है, अगर इन्सपेक्टर या अधिकारी के पास यह रियायत छोड़ी है कि एरर बोनाफ़ाइड न हो तो उसके बारे में रियायत करने का अधिकारी वह है क्योंकि यह नियमों में दिया है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि हमारी राज्य सरकार को अगर किसी प्रकार का एग्ज़ेम्प्शन देना है, तो उसके सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से नीति रखनी पड़ेगी, स्पष्ट रूप से व्यवस्था करनी पड़ेगी कि माप में कितना एग्ज़ेम्पशन हो

(श्री भैरोंसिह)

सकता है, किस हद तक कम तोल हो सकता है, किस हद तक एरर बोनाफ़ाइड एरर होगो। मैं ऐसा समझता हूं कि कोई क़ानून बने, उस कानून के प्रभाव से किसी को मुक्त रखने की व्यवस्था करते हैं, वह क़ानून का एक इम्पोरटेन्ट जुज़ है, उसके लिए एक ब्लेंक पेपर पर विधान सभा दस्तखत करने वाली नहीं है। आप एक क़ानून बनाते हैं, उसमें समाज को प्रभावित करने के लिये व्यवस्था की जाती है, अगर ऐसी धारा हो तो उससे लोग प्रभावित नहीं होंगे। ये दोनों इतने आपरेटिव पार्ट हैं, कि हमें स्पष्ट रूप से यह बात बतानी चाहिए, अगर यह बता देंगे कि किस प्रकार किस हद तक कमी करते हैं, अगर फिर कोई नाप तोल के बारे में जांच करता है और इस बात को लाता है तो उसे इतनी सज़ा मिलेगी। इसमें एक धारा रखी है कि एरर होगी तो उसके बारे में एग्ज़ेम्प्शन किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है किस हद तक, किस तादाद में अगर कोई कमी करे, कोई ग़लती करे तो, उसे माफ़ किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि सरकार मौन है और सरकार की मौनता, जो सरकार का इन्टेन्शन है, उस पर डाउट करने के लिये मजबूर करती है।

अध्यक्ष महोदय, सारे कानूनों के बारे में जितने भी हमारे इस प्रकार के अनुभव हुए हैं, सरकार ने रूल्स बाद में बनाने के लिये सदन को विश्वास दिला कर अधिकार लिये हैं और किस किस प्रकार के रूल्स बनाये हैं, मनमाने तरीके से रूल्स बनाये हैं, यह सरकार का कच्चा चिट्ठा तो कभी समय मिला तो सदन के सामने रखूंगा पर यहां एरर्स के नाम पर नियम बनाने के लिये सरकार जो अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है वह ब्लैंक पेपर पर सदन के ऐसी व्यवस्था के लिये दस्तखत कराती है, यह किसी प्रकार उचित नहीं है भले ही आप बहुमत के आधार पर इस प्रकार के अधिकार प्राप्त करने के लिये यह क्लॉज़ पास करालें।

इसलिये में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बारे में उन्होंने कोई व्यवस्था बनाई हो तो स्पष्ट घोषणा कर दें कि एरर्स की कितनी तादाद होंगी और किन किन को एग्ज़ेम्पट किया जायगा, यह बतादें तो हम मान लेंगे कि यह ठीक है, यदि इसमें डाउट है तो चाहे वे बहुमत के आधार पर इस बिल को पास करालें और इस प्रकार के अधिकार ले लें पर यह शैली अच्छी नहीं है और ऐसे कानूनों का जनता स्वागत नहीं करेगी। इससे हम अधिकारियों को स्वेच्छाचारिता के अधिकार दे देंगे कि जिसको वे चाहेंगे उनको सज़ा देंगे और जिसको चाहेंगे उसको फंसा देंगे। यदि जिस प्रकार की धारा है उसी रूप में यह धारा बिल में रहती है तो मैं इसका विरोध करता हूं और यदि मंत्री महोदय स्पष्टीकरण कर के इसको ठीक तरह से रखेंगे तो म उनकी भावना को एप्रिशियेट भी करूंगा।

**श्री रामचन्द्र** (डग) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने धारा ४१ का जो विरोध किया है और अपने आरग्यूमेंटस का मूल आधार जो बनाया है वह यह है कि आप यह मान कर चले हैं कि इस धारा का अभिप्राय तो ठीक है जो कोई आदमी कम तोले, उसका कहां तक कम तोलना जायज माना जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें उसकी कम तोलने की मंशा नहीं है। यहां तो प्रश्न है the limits of error to be tolerated in weights and measures.

यह नापने और तोलने के जो बाट होते हैं, वे समय के अनुसार हवा, पानी वगैरह परिस्थितियों में रहने के कारण क्षीण होते जाते हैं और कुछ समय में काफी क्षीण हो जाते हैं तो जो दिन प्रति दिन उन वेट्स में क्षीणता अथवा वजन में कमी होती जारही है, वह कम वजन हम कहां तक सह्य मानें इसीलिये सरकार ने यह क्लॉज़ रखा है कि ऐसे नियम बना दिये जायें स्टेन्डर्ड मेजर, सेकन्डरी स्टेन्डर्ड मेजर, कॉमर्शियल वेट्स की नाप तोल में कहां तक की एरर टोलेरेट की जाय, इससे ज्यादा एरर हो तो काबिल ऐतराज समझी जाय। क्योंकि इस प्रकार के एरर नापने तोलने के बाटों में होना बहुत संभव है क्योंकि उनके ऊपर हवा का पानी का, फ्रिक्शन का असर पड़ता ही रहता है और दिन प्रतिदिन उनका वेट कम होता जाता है। तो इस कमी को कहां तक सह्य माना

(श्री रामचन्द्र)

जाय और उस अवधि के बाद उनको गलत बाट कह दें। अतः यह जो क्लॉज़ इस बिल में रखी गई है वह बहुत उपयुक्त क्लॉज़ है। यदि इसमें यह नहीं रखी गई तो जनता को इस कानून के दूसरे प्रावधानों से नुकसान होने की आशंका है।

**श्री मदनसिंह** (दांतारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने धारा ४१ का विरोध किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं समझ रहा हूं इस धारा ४१ को अच्छी तरह से देखा जाय तो यह सारा कानून ही खत्म हो जाता है। मैं तो समझता हूं कि इलेक्शन पर्पज़ के लिये यह धारा रखी गई है। इलेक्शन पीरियड में हजारों केसेज़ पैंडिंग पड़े रहेंगे, उनको कहेंगे कि बोलो वोट दिलाओगे कि नहीं, अगर हां कर देंगे तो छोड़ दिये जायेंगे और अगर हां नहीं करेंगे तो सजा दिला देंगे। तो यह इसलिये रखी गई है कि यह आयन्दा काम में आयेगी कुछ हमारे दोस्तों के काम में आयेगी, गवर्नमेंट के ज़रिये सिफारिशों के ज़रिये। आज कल जिस आधार पर फैसले होते हैं वह किसी से छपा नहीं। इलेक्शन के टाइम में जो वोट दिलाने को तैयार हो जायगा उसके लिये इन्सपेक्टर कह देगा कि अमुक समय में घास तोला गया तब गीला था। अभी उधर से माननीय सदस्य ने कहा कि हवा, पानी से बाट तोल में कम हो जाते हैं पर उन्हें मालूम होना चाहिये कि गुड चिपक जाने से तोल बढ भी जायगा, गुड की डली चिपटा कर तोल दिया तो गड़बड़ हो गई। इसलिये धारा ४१ में निश्चित रूप से बताया जाय कि एरर इस इस ढंग के होंगे, उस पर इन्सपेक्टर विचार करे तब तो ठीक है नहीं तो इस धारा का अधिकारी तो मुझे बना दीजिये, आप चाहें जितनी इन्क्वायरी कीजिये मैं सज़ा देता हूं कि नहीं। तो इस प्रकार की वेग चीज कानून के अन्दर रखना एक गलत चीज़ है। अगर इस धारा को नहीं रखा जाय तो क्या हो जायगा, मिनिस्टर साहब बतादें कि इसको नहीं रखने से, यह जुल्म हो जायगा इसको रखने से क्या आपत्ति आ जायगी इसका एक्सप्लेनेशन दे दें कि यह हो जायगा। पर इसको नहीं रखने से कोई बड़ा जुल्म नहीं होने वाला है।

चाहे कहने को कह दिया जाय कि छोटी छोटी बात इस किताब में दिखती है पर मैं तो देखता हूं कि इलेक्शन के टाइम में मुकदमे बनते हैं, जिनको चाहा बचा लिया और जिनको चाहा सजा देदी। तो इस बारे में मिनिस्टर महोदय अपने विचार सुनायेंगे, हमारे मिनिस्टर महोदयों का तो विशेष तरीका होता है समझाने का और उधर के माननीय सदस्यों का भी विशेष तरीका होता है। पक्ष में बोल जाते हैं, चाहे उस बात को समझे ही नहीं और नहीं तो हवा से ही बाट घटने लग गये। कोई डेफिनेट चीज पूछी जाती है तो उसको बताते नहीं हैं और कह देते हैं कि गांव में दिक्कत आवेगी। यह फिजूल का तरीका है, कह दिया जाता है कि गज घट जाता है, प्लास्टिक के गज होते हैं वे और भी बढ़ेंगे बदमाशी होगी तो एक हाथ दो हाथ की होगी, सेर दो सेर की होगी। तो कानून में कोई डेफिनेट चीज होनी चाहिये, निश्चितता होनी चाहिये। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर जैसा कि रोजाना जवाब देते हैं, उस तरह से नहीं दें, ढंग से समझा देगें तो ठीक है। यही मेरा कहना है।

**डा० बहादुरसिंह** (धौलपुर) माननीय अध्यक्ष, यह जो मूल क्लॉज़ है उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि हम इसे राजनैतिक दृष्टिकोण से रख रहे हैं, यह बात नहीं है। एक छोटी सी नजीर मैं इसके लिये पेश करना चाहता हूं, आप रेल्वे लाइन पर गये होंगे तो देखा होगा कि रेल की पटरियों के जोड़ में एक दो इंच की जगह रखी जाती है, इसलिये कि गर्मियों में पटरी गर्मी पाकर बढ़ती है।

**श्री मदनसिंह**: एरर में यह नहीं रखा है।

**डा० बहादुरसिंह** : अभी बताता हूं गज लोहे का होता है, नापने का गज़ धूप में रहेगा तो निश्चित रूप से बढेगा और बढ़ेगा तो उससे जो दिक्कत आयेगी वह कानून के अन्दर भी जायेगी, कानून के पुतले जो होते हैं वे . .

**श्री जगदीशप्रशाद माथुर** (सीकर): गर्मी में बढेगा तो सर्दी में सिकुड़ भी जायेगा।

**डा० बहादुर्रसिह** : सर्दी में सिकुड़ेगा बरसात में सिकुड़ेगा, वहां दिक्कत आयेगी इसलिये इसे कानून में रखा है। फिजिकल बैलेन्स हमेशा बन्द रखा जाता है, क्योंकि हवा का असर पड़ता है।

हवा का उस पर असर पड़ता है। जो बारीक चीज होती है और उसको तोलने के लिये जो औजार होते हैं उनको बन्द रखे जाते हैं ताकि उन पर हवा और पानी का असर न हो और वे ऐसे मेटल के बनाये जाते हैं, जिससे कि उस मैटल पर किसी प्रकार की क्लाइमेट का असर नहीं हो। तो माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का इस सम्बन्ध में कोई पाला नहीं पड़ा होगा, लेकिन जो व्यापारी लोग होते हैं और जो व्यापार करते हैं ·······

**श्री भैरोंसिह** (श्री माधोपुर): आप तो रोज बाटों से काम करते हैं और आपका वास्ता पड़ता रहता है।

**डा० बहादुर्रसिह** : मेरे यहां तो दवाइयें तोली जाती हैं और मैं जानता हूं कि उनको तोलने में कितनी परेशानी हो जाती है। ज़रा ज़रा सी बातों में ध्यान रखना पड़ता है मक्खियें बैठ जाती हैं तो भी उस पर असर पड़ता है।

**श्री मदनसिह दांता** : यह कानून केवल दवाइयों के लिये नहीं बन रहा है हर चीज़ के लिये बन रहा है।

**डा० बहादुर्रसिह** : इसलिये में माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसमें इस प्रकार का विरोध नहीं है। यह धारा ठीक है और इसको मंजूर करना चाहिये।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** (उप मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मदनसिहजी दांता ने फरमाया·····

**श्री मदनसिह दांता** : बुरा लगा हो तो भी कोई बात नहीं है।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैं निश्चित तौर से उनको आश्वाशन देने के लिये तैयार हूं कि अगर आप इसमें सुपरिंटेन्डेन्ट के पद को अखत्यार करना चाहें तो अवश्य सहानुभूति और जो कुछ आप पेनल्टी देना चाहें उसके लिये आपको पूरी स्वतन्त्रता होगी। आपने इस कानून की तहत में इलेक्शन का प्रश्न उठाया और कहा कि यह इलेक्शन स्टन्ट है। मगर मैं नहीं समझ सकता कि कहां तक यह इलेक्शन स्टन्ट है। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि अभी तो इलेक्शन बहुत दूर हैं। चार वर्ष बाकी हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

**श्री मदनसिह दांता** : अगर नजदीक होते तो होता।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैं असल मुद्दे पर निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि जैसा कहा गया है कि इतनी एरर हम, कैसे भी नाप या तोल में जो टोलरेबल हो, उसको टोलरेट कर सकते हैं, यह तो होगी ही। इसका प्रश्न ही नहीं है। यह कोई गवर्नमेंट की मर्जी पर निर्भर नहीं होगा। इसके लिये तो कानून और रूल्स बने हुए होंगे जैसे कि इस धारा में दिया हुआ है और में आपको निवेदन करूंगा :

"Subject to any rules that may be made under the Standards of Weights & Measures Act, 1956 (Central Act 89 of 1956) in this behalf, the State Government may prescribe the limits of error which may be tolerated :—

(*a*) in secondary standards referred to in section 4;

(*b*) in working standards referred to in section 3;"

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके बार में निश्चित तौर पर रूल्स बने हुए होंगे कि फलां फलां किस्म के वर्किंग स्टेन्डर्ड के वेट हैं। सेकिंडली वेट में कितना एरर होगा तो उसके टोटल फर्क को लिया जावेगा। मान लीजिये कि माप और तोलने के बांट हैं वे थोड़े दिनों के बाद बराबर काम में लाने के कारण से घिस जाते हैं

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

तो जिस हद तक वे घिस जाते हैं, उस हद तक तो टोलरेट किया जा सकता है उसके बाद में आप देखेंगे कि बांट तोल में कम हैं तो उसको टोलरेट नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रिसियस मैटल्स जैसे सोना, चांदी आदि को तोलने के बांट हैं वे कितने वेट कम होने तक टोलरेबल होंगे, यह नियम में हैं कि ५०० ग्रेन होंगे, कम, तो टोलरेबल कहे जा सकते हैं। इससे ज्यादा टोलरेबल नहीं होगा। ऐसी चीज़ है कि जब पब्लिक उसको प्रयोग में लाती है, तो वह कम हो जाता है। तथा वे वेट जो स्टेंडर्ड के हों या सेकिंड स्टेंडर्ड से मिलाये जावें, उसके अन्दर भी किसी हद तक कम हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि जो रूल्स बनाये जावें, सब पर लागू नहीं हों और किसी परटीकुलर पर हों। किसी परटीकुलर के लिये नहीं होंगे। किसी एक को फायदा देने का प्रश्न यहां पैदा नहीं होता। इसलिये जो रूल्स बनाये जावेंगे उसमें यह बताया जावेगा कि इतनी एरर कम से कम होगी तो टोलरेबल की जा सकती है। इससे ज्यादा नहीं की जा सकेगी इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसमें ऐसा प्रोविजन रखना पड़ेगा, वरना यह बिल्कुल मुश्किल हो जावेगा कि एक व्यक्ति एक तोल को जो बराबर इस्तेमाल करता जा रहा है उसको कितने अर्से बाद उन बाटों का उसके लिये इस्तेमाल करना ठीक नहीं रहेगा, इसके बारे में रूल्स होंगे और उसकी तहत में कार्यवाही की जावेगी। अगर कोई व्यक्ति उन रूल्स की अवहेलना करेगा तो राजस्थान रूल्स के अनुसार दंडित होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि पहले जो वेट एण्ड मैजर्स एक्ट बना हुआ है उसके रूल्स बने हुए हैं। सेन्टर में भी इस प्रकार के रूल्स हैं। आखिर में यह निवेदन करूंगा कि इसमें थोड़ा बहुत इसके लिये प्रावधान नहीं रखा जावे तो बहुत मुश्किल हो जावेगी।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि क्लॉज ४१ को स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४१ स्वीकार किया गया

(विराम)

क्लॉज़ ४१ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ४२

**श्री रिखबचन्द धारीवाल**: अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४२ में मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं जो इस प्रकार है :—

"Clause 42 may be deleted"

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४२ पर जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाए।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): इससे ...

**श्री अध्यक्ष**: एक ४४वां नया क्लॉज़ एड कर रहे हैं।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४२ पर जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

(विराम)

परिणाम स्वरूप क्लॉज़ ४२ विधेयक में से पृथक् किया गया।

(विराम)

क्लॉज़ ४३

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४३ को स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४३ स्वीकार किया गया

(विराम)

क्लॉज़ ४३ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ४४, श्री रिखबचन्द धारीवाल।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल**: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक नया क्लॉज़ ४४ एड किया जावे :—

"44. *Repeal* : In any area in which and in respect of any class of

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

goods or undertakings for which this Act or any of the provisions thereof came into force by virtue of a notification under sub-section (3) of section 1, the Rajasthan Weights and Measures Act, 1954 (Rajasthan Act XIX of 1954) shall stand repealed on and from the date of such commencements."

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि नया क्लॉज़ ४४ जोड़ने का संशोधन स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४४ स्वीकार किया गया।

(विराम)

नया क्लॉज़ ४४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल आदि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिएम्बल आदि स्वीकार किये जाएं।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल आदि विधेयक के अंग बने।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

**श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस बिल को पास नहीं किया जावे। अभी मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया था और उस संशोधन के द्वारा यह मांग की थी कि इस एक्ट के अन्तर्गत जितने भी ओफेन्सेज़ हों, वे कॉग्नीज़िबल बनाये जावें और पुलिस को अधिकार दिया जावे कि इस सम्बन्ध में क़ानून के अन्तर्गत जितनी भी कार्यवाही करने के लिये अधिकृत हो, कार्यवाही करे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मन्त्री जी ने इस प्रकार का जवाब दिया जिससे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने इस क़ानून को समझा नहीं है और जिस तरह से बात बात में ट्रेज़री ब्रान्च से सलाह लेकर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं यदि इस सम्बन्ध में भी उनसे सलाह ली होती तो मुझे विश्वास है कि वे ठीक सलाह देते। उन्होंने सलाह दी कि चलते फिरते आदमी को किस प्रकार पता चलेगा कि बांट ठीक प्रकार के नहीं हैं। जो निर्धारित वेट हैं, उसके अनुसार बांट बने हुए हैं या नहीं। उसके अनुसार माप तोल नहीं हुआ है और उसका मिसयूज़ हुआ है, चलते फिरते आदमी को कैसे मालूम होगा। मैं मानता हूं कि क़ानून की कोई बारीकी हो तो वह चलते फिरते आदमी को मालूम नहीं हो सकती, उसको पता नहीं चल सकता लेकिन इस संबंध में अन्धे से अन्धा आदमी भी इस बात का अवश्य अन्दाज़ लगा लेगा कि किस माप से या किस बांट से उसको सामान तोल कर दिया जा रहा हैं। इस पर मोहर लगी है या नहीं। यदि कोई व्यक्ति दोनों आंखों से अन्धा भी है तो वह दूसरे से पूछ कर पता लगा सकता है कि इस तोल पर मोहर है या नहीं। उप-मन्त्री जी कहते है कि चलते फिरते आदमी को पता नहीं चलेगा। आपको मालूम होना चाहिये कि गांवों में सब चलते फिरते आदमी होते हैं। सब ट्रान्ज़ेक्शन में भाग लेते हैं, सब कपड़ा ख़रीदते हैं, अपना सामान खरीदते हैं और हर ट्रान्ज़ेक्शन में भाग लेते हैं। इन सब आदमियों को पता लगेगा कि इस पर एक मोहर है या नहीं, जिस प्रकार की कि होनी चाहिए। यदि उसको यह पता लगा तो वह पंचायत में रिपोर्ट नहीं कर सकता है, तहसील पंचायत में रिपोर्ट नहीं कर सकता है क्योंकि वहां पर कोई इन्सपैक्टर का हैड-क्वार्टर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में इन्सपैक्टर नहीं है, वह लैटर लिखेगा, लैटर लिखेगा तो साधारण लिखे गये लैटर का कोई जवाब नहीं, रसीद नहीं और रजिस्टर्ड लैटर लिखा गया, तो रसीद ज़रूर मिलेगी। लेकिन उसको कोई रेस्पोन्स नहीं। यह स्थिति आज हम देखते हैं कि यदि कोई शिकायत राज्य सरकार के पास की जाती है तो रेस्पोन्स नहीं, क्या एक्शन लिया गया, इसकी कोई सूचना नहीं मिलती।

# Page No.52



(श्री भैरोंसिंह)

यदि यहां सदन में उसके बारे में एक उप-मन्त्री को कोई शिकायत के बारे में बात कह दी तो कह दी, कई विभाग ऐसे हैं, कई मन्त्री ऐसे हैं कि जिनको कोई बात कह दी, उनको बात कहो या कुए में बात कहो, इसके बारबर है यदि किसी ने कोई सूचना दी, क्या वह राज्य सरकार से अपेक्षा कर सकता है कि उसकी शिकायत पर प्राम्प्ट एक्शन लिया जावेगा, मैं समझता हूं कि यह अपेक्षा वह नहीं कर सकता। एक साधारण सी बात थी इस क़ानून के अन्तर्गत करने की कि कोई यदि गलत कार्यवाही हो, उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया जाय, ग्राम पंचायतों को, तहसील पंचायतों को अधिकार दिये जायं, कि जिसने सामान कम तोला है, कम नापा है, जिन इन्स्ट्रूमैन्ट्स से नापा और तोला है उसको ज़ब्त करके कार्यवाही करे। लेकिन राज्य सरकार के मन्त्री कहते हैं कि पीनल कोड है, उन्होंने जिन धाराओं का इस ओर संकेत किया है उन धाराओं को मैंने भी देखा है। वे कहते हैं कि नोन-कोग्नज़े बिल ओफ़ेन्स है, माना कि नोन-कोग्नीज़ीबिल ओफ़ेन्स है, पीनल कोड में इसकी व्यवस्था की है, लेकिन हमने यह महसूस किया है कि यह अपर्याप्त व्यवस्था है। अपर्याप्त व्यवस्था होने के कारण यदि हम कोई लॉ बनाते हैं तो उन स्पेसिफ़िक प्रोविज़न्स को भी एप्लाई करना पड़ेगा, जहां स्पेसिफ़िक प्रोविज़न्स एप्लाई करते हैं तो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार क़ानून बनाना पड़ेगा। इस प्रकार का क़ानून न होने के कारण बाहर गांवों में क्या हालत होती है। कोई ग्रामीण यदि सामान खरीदने के लिये जाता है, तो तराजू पर उसकी आंख लगी रहती है कि कहीं उसका हाथ इधर उधर तो नहीं हिल रहा है। जब कपड़ा खरीदता है, कोई व्यापारी कपड़ा देता है उसका गज़ की तरफ़ ध्यान रहता है, वह चौकन्ना रहता है और चौकन्ना इसलिये रहता है कि उसके दिमाग़ में यह भय रहता है कि कहीं नापने वाला, उसको धोखा तो नहीं दे रहा है यदि वह चौकन्ना नहीं रहता है तो निश्चित रूप से वह उसको धोखा देगा। इस प्रकार की चीज़ें हैं, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, चाहे कपड़े की बिक्री हो, चाहे सामान का लेन देन हो, मैं तो कहता हूं कि यह सोने में भी होता है। किसी काश्तकार को सुनार के पास भेज दीजिये निश्चित रूप से वह उसको धोखा देगा। सुनार के लिये तो कहावत मशहूर है कि चाहे सुनार का बाप हो और उसने उसके बेटे को सोना गढ़ने के लिये दिया हो, तो उसमें भी वह नहीं छोड़ता, वह इसको अपना धर्म समझता है। अपराध को धर्म की संज्ञा दी जाती है। आज की परिस्थिति में जहां अपराध को धर्म की संज्ञा दी जा रही है, धीरे धीरे अपराध धर्म की संज्ञा प्राप्त करता जा रहा है, वहां आज इस बात की आवश्यकता है कि इस प्रकार का क़ानून लायें, इस प्रकार का सख़्त क़ानून लायें, जिससे कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में, उन लोगों के भोलेपन का जो लोग लाभ उठाते हैं, उनको रोक सकें। लेकिन मन्त्री महोदय कहते हैं कि इसको सख़्त करने की आवश्यकता नहीं है, सख़्त करन की आवश्यकता इसलिये नहीं कि पीनल कोड की धारा है, वह काफ़ी है। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस क़ानून को शुरू से लेकर अन्त तक पढ़ा है। राज्य सरकार की क़ानून बनाने की मंशा जरूर है, क़ानून बनाने की जो मंशा है आज की परिस्थिति के अनुसार, उसकी मैं तारीफ़ करूंगा लेकिन मंशा के साथ साथ भावना को कार्य रूप में लाने के लिये जो क़ानून संगत तरीक़ा अपनाना था, वह अपर्याप्त है। जिस क्लॉज़ को भी देखते हैं:

"Action will be taken according to the rules prescribed"

किसी क्लॉज़ को देख लीजिये, कोई हुक्म निकलेगा उसके अनुसार काम होगा। अगर रूल्स के अन्तर्गत, नोटिफ़िकेशन के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करनी ही है तो फिर विधान सभा में एक इजाज़त ले लेते, छोटासा बिल पास करा लेते, वेट्स एण्ड मेज़र्स के लिये क़ानून बनाते, सब को मान्य होगा, एक ब्लैन्क पेपर सा लाकर विधान सभा की मोहर लगा लेते, वह क़ानून की संज्ञा हो जाती। वैसा क़ानून बना सकते थे और वह प्रभावशाली बन सकता था। लेकिन जहां भी देखो सरकार की ओर से धोखे में रखा गया है। यह देखा जाय कि क्या राज्य सरकार ने फ़ीस रखी है, क्या फ़ीस लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए निर्धारित की है, कहीं नहीं मिलता? क्या

(श्री भैरोंसिंह)

फ़ीस होगी, कितनी फ़ीस देकर लाइसेन्स प्राप्त कर सकेगा, यह कोई उल्लेख नहीं, लेकिन इसके लिये अलग नियम होंगे। अध्यक्ष महोदय, जब कभी लाइसेन्स का प्रश्न आता है हम देखते हैं कि राज्य सरकार की नीति यह रही है कि लोगों के ऊपर आर्थिक स्थिति का और अधिक भार डाला जाय, लोगों के आर्थिक स्थिति पर भार डालने का ही प्रश्न रहता है। मैं कहने की स्थिति में हूं कि वेट्स के सम्बन्ध में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, लाइसेन्स रखने की व्यवस्था है, हर गांव में आदमी मिलेंगे जो इससे अपना गुजारा करते हैं और लाइसेन्स प्राप्त करके करते हैं लेकिन जब लाइसेन्स फ़ीस का प्रश्न आता है तो राज्य सरकार कहती है कि :— "fees prescribed by the rules" इसमें निर्धारित नहीं है कि क्या फ़ीस लगा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें हैं जिनकी ओर पहले ध्यान देना आवश्यक है। पहले ही नीति निर्धारित कर लेनी चाहिये कि किस प्रकार की फ़ीस होगी और कितनी देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मुझे भय है कि जिस क़ानून के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त किये जा रहे हैं, ब्लैंक पेपर पर दस्तख़त करवाये जा रहे हैं, ख़ास कर जो फ़ीस के लिये अधिकार दिये गये हैं, उन अधिकारों का दुरुपयोग किया जायगा। उदाहरण इसके कि जहां १) रु० फ़ीस रखने की सदन में बात कही थी वहां हमने देखा कि ६) रुपया की फ़ीस नियमों में निर्धारित करदी। इसलिये सरकार पर सन्देह होता है कि इन अधिकारों का दुरुपयोग उनके द्वारा होगा। इसलिये पहले ही से कोई संख्या बतायें, तादाद पहले ही से बतायें, पहले ही फ़ीस निर्धारित कर दें। लेकिन सरकार बताना चाहेगी नहीं, इसलिये कि सरकार को यह शंका रहती है कि यदि पहले ही से तादाद बता दी गई तो विरोध पक्ष में बैठने वाले सदस्य उसका विरोध करेंगे, अथवा कई उधर बैठने वाले माननीय सदस्य इसका विरोध करेंगे और कहेंगे कि जो फ़ीस लगाई गई है वह ज्यादा है, उसको कम किया जाय और उस स्थिति में उप-मन्त्री महोदय हाउस को कन्विन्स करने की स्थिति में नहीं होंगे इसलिये पहले ही इसमें एक छोटी सी व्यवस्था कर ली कि फ़ीस कितनी होगी, क्या तादाद होगी यह आगे चल कर निर्धारित करेंगे और वह नियमों के अनुसार होगी। नियम इस सदन के सम्मुख आने वाले नहीं हैं और न ही सदन उन पर विचार करने वाला है लेकिन इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिकार दे रहे हैं, ब्लैंक पेपर पर अधिकार दे रहे हैं कि राज्य सरकार नियम बनाये और फ़ीस निर्धारित करे। नियम सदन में आने चाहिये, राज्य सरकार की ओर से, उप-मन्त्री महोदय की ओर से विधान सभा को यह आश्वासन देना चाहिये कि जिन अधिकारों के अन्तर्गत नियम बनेंगे, उनको सदन में प्रस्तुत किया जायगा। लेकिन वह भी स्थिति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझ पाया हूं, इस क़ानून में एक ही दृष्टिकोण रखा गया है और वह दृष्टिकोण यह रखा गया है कि जितने बड़े बड़े बिजनिस मैन हैं, जो घोटाला करते हैं, उनको बचाया जाय, उनको सब में रियायत दी जाय और जिन आदमियों का उन पर प्रभाव पड़ता है, चाहे उससे दूसरे लोगों का कितना ही नुक़सान हो, चाहे आम जनता का कितना ही नुक़सान हो, उनको बचाया जाय और इस बारे में इस बिल में व्यवस्था की गई है। सज़ा देने के लिये दो श्रेणियां रखी गई हैं, एक श्रेणी है दो हज़ार रुपये जुर्माना और दूसरी श्रेणी है ३ महीने की सज़ा और जुर्माना। मैं समझ नहीं पाया कि ऐसे क़ानून में सज़ा देने की आवश्यकता क्यों? सज़ा देने की आवश्यकता होती है तो पैसे की सजा क्या? मैं ऐसा मानता हूं कि अन्ग्रेज़ों की पद्धति को हमें छोड़ना चाहिये। जिस समय इन्डियन पीनल कोड का निर्माण हुआ, माइनर एक्ट्स जिस समय बने, अंग्रज़ों के सामने एक ही दृष्टिकोण था कि इस देश पर हुकूमत करना है और जब हुकूमत करना है तो इस देश के जो पूंजीपति हैं उनका सहयोग प्राप्त करना है, उनके बल पर अधिकार प्राप्त करके आम लोगों को कुचलने की नीयत थी। उन्होंने क़ानून बनाये, क़ानून बना कर व्यवस्था दी, किसी व्यक्ति पर १ हज़ार का जुर्माना और यदि अदा नहीं करता है तो छः महीने की सज़ा। वह एक डिस्क्रेसनरी लॉ था। कोई आदमी पैसा देकर बचना चाहे तो बच सकता था। यदि कोई आदमी

(श्री भैरोंसिंह)

पैसे के बल पर किसी दूसरे व्यक्ति के सिर जूता लगा देता और सरे आम जिसकी इज्जत खराब कर देता है, तो जूता लगाने के बाद यदि १०) जुर्माना किया जाय और कहा जाय कि १०) का जुर्माना कर दिया । कहां दोनों का कम्पेरिजन है ? एक सरे आम किसी व्यक्ति के जूता लगाता है, उसकी इज्जत खराब कर देता है, कहां दोनों का कम्पेरिजन मजिस्ट्रेट ने सजा दी, दस रुपया जुर्माना किया। फिर किसी के ऊपर इस प्रकार की वारदात की और मजिस्ट्रेट ने फिर उसी आदमी पर जूता लगाने के अपराध में दस रुपया जुर्माना कर दिया, वह दस रुपया पकड़ा देता है और एक तरह से जूता लगाने की इजाजत दे देता है। जहां इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था है उसमें सब को लेना पड़ेगा। आज इस क़ानून में जो दण्ड की व्यवस्था है उसके अनुसार किसी व्यक्ति पर एक हजार रुपया जुर्माना होगा। नाप तोल के मामले में कोई अगर किसी ग़रीब का शोषण करता है, उन बांटों का दुरुपयोग करता है, ऐसी हालत में यह जबरदस्त अपराध है। मामूली अपराध के लिये एक हजार रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था हो सकती है आज ऐसी स्थिति है कि वहां इस क़ानून में परिवर्तन ला सकते हैं, वहां पैसे की व्यवस्था न रखकर अपराध करने वाले व्यक्ति हैं, उनको शारीरिक दण्ड दिया जाना चाहिये, चाहे उनको दो चार दिन की ही सज़ा क्यों न मिले जब शारीरिक दण्ड मिलता है तभी जाकर इन अपराधों में कमी आयगी, इस प्रकार के अपराध करने की मनोवृत्ति बदलेगी। अगर हम इस प्रकार का कठोर क़दम उठाते हैं तो हर आम जनता को इससे फ़ायदा हो सकता है।

२.१ म.प.

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन हम आज सरकार का दृष्टिकोण देखते हैं अगर कोई आदमी बाटों को ढाल कर के बेचता है और वह यदि पकडा जाता है तो उस पर जुर्माना होगा सिर्फ ३०० रुपया । इसी प्रकार जिन बाटों पर मोहर नहीं लगी हुई है, जो बाट औसतन कम हैं, इस प्रकार के बाटों से जो माल बेचता है उस पर तो ज्यादा जुर्माना होगा । लेकिन जो कम तोल बाट बनाकर बेचते हैं उन पर कम जुर्माना, जहां ऐसे लोगों पर ज्यादा दंड होना चाहिये । जो बाट को काम में नहीं लाते उन पर तो ज्यादा दंड और जो उन बाटों को काम में लेते हैं उनको कम दंड । इसमें एक को तो ३०० रुपये जुर्माना और दूसरे पर दो हजार रुपया जुर्माना । यह इस प्रकार की व्यवस्था है, उपाध्यक्ष महोदय, जिससे निश्चित रूप से नुकसान होने वाला है ।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ एग्जेम्प्शन्स भी रखे हैं उसमें बहाना क्या बनाया गया है कि जो छोटे औजार हैं, जिन पर मोहर नहीं लग सकती ऐसे औजारों को मुक्त रखा गया है । इसके लिये सरकार के सामने दिक्कतें हैं, सरकार इन पर मोहर नहीं लगवा सकती । जिस प्रकार की भाषा यहां इस्तेमाल की गई है उससे ऐसा आभास होता है । उपाध्यक्ष महोदय, ये ऐसी चीजें हैं जिन पर मोहर नहीं लग सकती । उनसे न गेहूं तुलने वाले हैं न कपास और न मिट्टी तुलने वाली है, इन औजारों से तुलेगा सोना और जवाहरात । इन बहुमूल्य चीजों के तोलने में अगर थोडी बहुत भी कमी बेशी होजाय तो बहुत जबरदस्त घाटा हो सकता है । ऐसी चीजें, एग्जेम्प्ट होती हैं उनके ऊपर निशान कोई लागू नहीं किया जा सकता । इस दिक्कत को मैं महसूस भी करता हूं, लेकिन आप भी इस दिक्कत को महसूस करें कि इससे लोगों का कितना नुक्सान होगा । अगर मुश्किलें सरकार के सामने होती तो उनका हल भी निकल सकता था । हमारी जो आजकल की व्यवस्था है, उसके अनुसार रत्ती का जो तोल होता है वह चिरमी से होता है । चिरमी किस मिट्टी की बनती है, कहां से बनकर आती है, उसकी जानकारी की जाती और उसी के वजन का चिरमी के स्थान पर कोई तोल बनाया जा सकता था । यहां नहीं तो बम्बई से तलाश करते और इस प्रकार के तोल को ढाल सकते थे । लेकिन उन्होंने इतना कष्ट करना ठीक नहीं समझा और उनके लिये एक्जेम्प्शन्स रख दिया गया । यह छोटे दुकानदारों के लिये एक्जेम्प्शन नहीं है, इसका

(श्री भैरोंसिंह)

लाभ कौन उठायेंगे जो लाखों रुपये का व्यापार करते हैं, सोने और जवाहरात के व्यापारी इससे खुले रूप में लाभ उठायेंगे। उनसे अगर कहा जायगा तो वे कहेंगे कुछ औजार घिस गये हैं इसलिये स्वाभाविक रूप से तोल में कमी आ सकती है। ऐसी स्थिति में जिस कानून के अन्तर्गत एक्जेम्प्शन्स रखे गये हैं, उससे गरीबों को निश्चित रूप से नुकसान होने वाला है। इसे दूर किया जाना चाहिये जो अब तक कानून का भाग बने हुए हैं।

इस कानून में यहां तक भी व्यवस्था की गई है कि माप तोल के जो औजार होंगे उन औजारों के ऊपर किसी पर अगर कोई मोहर नहीं लगी हुई है तो अगर मोहर न लगने के कारण वे माप तोल इन्सपेक्टर के ध्यान में आजायें, तो इन्सपेक्टर जाकर उनको पकड़ सकता है। मैं मानता हूं कि अगर कानूनी रूप से गलती नजर मालूम होती हो तो इन्सपेक्टर जाकर सारी चीजों को गिरफ्तार कर सकता है, उसको अपने पजेशन में लेकर कोर्ट में लाकर पेश कर सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था उचित है। लेकिन इसमें जो सेविंग का क्लाज रखा गया है उसके विषय में, मैं कुछ निवेदन करूंगा। कानून जानने वाले जो व्यक्ति हैं वे यह कह सकते हैं कि कानून में इस प्रकार के क्लाज के होने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कभी इस पक्ष का था कि इस प्रकार का क्लॉज इसमें होना चाहिये। गत विधान सभा में भी जितने कानून हमने पास किये, उन सब में इस प्रकार का क्लॉज रखा गया था उसमें मेरा भी सहयोग था, किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं ऐसा महसूस करता हूं कि पिछली विधान सभा में जितने भी कानून बने, उसमें मैंने सहयोग दिया और यह भी कहा कि सेविंग की व्यवस्था होनी चाहिये गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स के प्रोटेक्ट करने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में मेरा अनुभव कटु रहा है और उसी अनुभव के आधार पर ऐसा लग रहा है कि यह जो सेविंग का क्लॉज है, सरकारी अधिकारियों के प्रोटेक्ट करने का क्लॉज है यह मिसचीवियस क्लॉज है उसमें बड़ी बड़ी बुराइयां देखने को मिलती हैं। उन बुराइयों को कई दफा सदन के सामने रखा भी गया है। उदाहरण की तौर पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। उप-मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि अगर इस प्रकार का क्लॉज हम नहीं रखते हैं तो हर व्यक्ति को ले जाकर कोर्ट में खडा किया जा सकता है और मैं तो कहूंगा खड़ा किया जाना चाहिये। लेकिन आप खड़े करते नहीं तो उससे हो क्या रहा है कि गवर्नमेन्ट के अधिकारी जिनको आप संरक्षण दे रहे हैं, वे आज निरंकुश होते जा रहे हैं उनको निरंकुशता पर रुकावट डालने के लिये आवश्यक है कि इस प्रकार के जो सेविंग के क्लॉज हैं जिन जिन कानूनों के अन्दर हैं, उनको तुरन्त हटाया जाना चाहिये। इस कानून में जिस प्रकार की व्यवस्था है उससे होता क्या है कि चाहे उप-मंत्री महोदय से शिकायत की जाय, कुछ दिनों पहले शिकायत की भी थी जैसलमेर या बाडमेर की नहीं, सीकर या झुंझुनू की नहीं, कोटा की शिकायत की थी, वह यह थी कि एक व्यापारी को बाहर दूसरे प्रान्त में अनाज लेजाने के लिये परमिट दिया गया उसमें जान बूझकर गलती की गई, जिसके कारण १७ हजार रुपये का डेमरेज का भार सरकार को उठाना पडा। हाई कोर्ट में रिट करदी गई और उसके कारण माल स्टेशन पर रोका गया, इस संबंध में परमिट देने वालों को यह सब जानकारी थी, फिर भी शिकायत करने पर एक्शन नहीं लिया गया और इस तरह से उस व्यापारी ने गाडी में माल भर दिया। लेकिन जब कलक्टर के पास लोगों ने जाकर कहा तो कलक्टर ने उस माल को रोक दिया और वह माल कई दिनों तक रुका रहा, बाद में क्या होता है कि डेमरेज के लिये राज्य सरकार से मांग की गई। तो पहले तो सरकार इन्कार कर गई. लेकिन जो महाजन व्यापारी था, उसने कहा आपको देना पड़ेगा, इसलिये देना पड़ेगा कि परमिट में कोई संकेत नहीं था कि किस प्रकार का गल्ला बाहर ले जाना है। परमिट देने में गलती की। उस गलती को अगर उप-मंत्री महोदय तो क्या अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर जांच करेगा तो उसमें पता चलेगा कि छोटे कर्मचारी से लेकर बडे आदमी तक का उस परमिट देने में हाथ था। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी करे कौन, क्योंकि मोटे २, आदमी

(श्री भैरोंसिह)

इसमें शामिल होते हैं इसी प्रकार की शिकायत लेकर कोई अदालत में जा नहीं सकता, उस अधिकारी के खिलाफ दावा नहीं कर सकता, उसके लिये भी इजाजत मांगनी पड़ती है, लेकनि इजाजत मिलती नही है, इसी प्रकार का उदाहरण हमारे सामने हैं उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस सदन के एक माननीय सदस्य मेजर फतेहसिंहजी जो सन् १९५५ में अजमेर विधान सभा के सदस्य थे, उनको सुपरिन्टेन्डेन्ट गुमानसिंह ने नीचा दिखाने के लिये उनके हाथों में हथकडी डालकर गांव २ में उनको घुमाया गया । इस पर जब माननीय सदस्य ने उन गुमानसिंह के खिलाफ केस चलाने की सरकार से इजाजत चाही तो वह नहीं दी गई और यह परमीशन सन् ५५ में मांगी गई थी, लेकिन आज तक नहीं दी गई और न उसके खिलाफ किसी प्रकार की भी जांच की गई । जब इस विषय में विधान सभा में चर्चा हुई तो उस १९५५ में रजिस्टर हुए केस को सन् ५८ की २६ तारीख को कोर्ट में चालान किया गया ।

इस प्रकार की नीचता, मैं समझता हूं, मामूली आदमी नहीं कर सकता । सरकार की नीति निर्धारित करने वाले इस प्रकार की नीचता करने पर उतारू हो गये हैं तो इनसे अच्छा इम्प्रेशन मिलने वाला नहीं है । इसलिये आज इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकद्दमा चलाने की इजाजत देने की व्यवस्था इसमें नहीं रखी जाती है तो सरकारी अधिकारी यह सोचते हैं कि चलो कुछ भी करो, हमारा प्रोसीक्युशन तो होगा नहीं, Leave it for the judiciary to decide, तो यह अधिकारियों के लिये होना चाहिये । उनकी इन्टेन्शन मैलाफाइड है या नहीं यह देख सकते हैं ।

इसलिये निवेदन करूंगा कि इस सेविंग के क्लॉज को लेकर जो अनुभव हमने प्राप्त किया है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि उन पर इस तरह का बन्धन डालना और उन पर भी प्रोसीक्यूशन की परमीशन देना, उन अधिकारियों को मानवोचित कार्यों के लिये सुविधा देने वाला क्लाज है । इससे उनको यह भय रहेगा कि अगर वे कानून के विपरीत किसी के साथ कुछ भी व्यवहार करने लगें तो मुझे भी कोर्ट में अपराधियों के कटघरे में खडा होना पडेगा, मुझे भी ज्युडिशियल कोर्ट में अपराधी के रूप में खडा होना पडेगा । तो वह कानून की सीमा में रहकर काम करेगा उनके दिमाग सही दिशा में काम करेंगे, कभी भी जनता के साथ अभद्र और अत्याचार पूर्वक व्यवहार नहीं कर सकेंगे । मैं कहता हूं यह क्लॉज उनको सभ्य बना देगा और जिस भ्रष्टाचार को आप नहीं रोक सके, उनके शासन को व्यवस्था को आप नहीं रोक सके अगर उसको आपने इन पर कोर्ट में केस चलाने की इजाजत दे दी तो दो महीने में, मैं आपको इसका नतीजा बताऊंगा कि आपके भ्रष्टाचार में कितना फर्क पडता है । पर हम यह काम नहीं करते और इसलिये नहीं करते कि मंत्री महोदय को भी सन्देह है, भय है, कि कहीं उनके खिलाफ भी मुकद्दमे नहीं बन जावें और उन का भी कहीं कोई प्रोसीक्यूशन न कर दे । इसलिये अपनी बचत के लिये एडमिनिस्ट्रेशन के हित को ताक में रखकर डेढ करोड जनता की परेशानियों की कीमत पर वे इस क्लाज को रखना नहीं चाह रहे । ऐसी स्थिति में हम चाहे कोई कानून बनावें, उसका उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है । फिर एक बात निश्चित तौर से हमें मान कर चलना चाहिये कि आज के कानून बनाने में हम वह दृष्टिकोण मानकर नहीं चल सकते जो अंग्रेजों के जमाने में था ।

इस तरह से वेटस् और मेजर्स, ये दो छोटे २ औजार होंगे, उन पर मोहर लगाने की आपने व्यवस्था की है । पर वह मोहर किस तरह से लगेगी ? गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करेगी कि अमुक तारीख तक हर व्यक्ति मोहर लगवा ले । मैं मानता हूं कि इस अपराध को रोकने के लिये जितना सख्त कदम उठाया जाय, उतना ही अच्छा है । लेकिन सख्त कदम का यह मतलब नहीं होना चाहिये कि लोगों के सामने एक समस्या खड़ी हो जाय । इसमें कौनसी धारा में ऐसी व्यवस्था की गई है कि गांवों में जो वेट और मैजर्स हैं या इस प्रकार के जितने औजार हैं उन पर मोहर किस तरह से लगेगी । वह मोहर किस जगह लगाई जावेगी।

पिछली बार जो इसके अन्तर्गत एक कानून बनाया था । उसके अन्तर्गत जो कार्यवाहियां की गई हैं उनको लेकर आज भी गांवों के लोग

(श्री भैरोंसिंह)

परेशान हूं । इसके एक नहीं सैंकड़ों उदाहरण हैं । आप अपने डिपार्टमेंट का अनेलिसिस करें, उसके कामों के प्रति आई एप्लीकेशनों को निकाल कर देखें, आपको स्वयं को पता लगेगा कि आज तक जो व्यवस्था की थी, उसमें वह कहां तक सफल हुई है ।

विचारने का प्रश्न है । विचार आपका सुन्दर है, भावना अच्छी है । पर इससे जनता को वास्तव में लाभ होगा या नुकसान यह सोचने की बात है और इस मायने में मैं तो यह मानकर चलता हूं कि यह कानून अधूरा है, अपर्याप्त है । जो कानून बना है, वह बड़े २ आदमियों का शोषण करने वाला नहीं, बल्कि उनके द्वारा छोटे आदमियों का शोषण कराने वाला है । ऐसी स्थिति में कोई भी कानून बने मैं उसके पक्ष में नहीं होऊंगा । मुझे इस बात में भी संदेह नहीं कि माननीय उप मंत्रीजी ने जिस तरह क्लॉज ३७ में व्यवस्था दी थी कि कंपनी या कंपनी के जितने भी आदमी होंगे, उनमें जो जानकारी में होगा उनका ही प्रोसीक्यूशन होगा लेकिन उन्होंने पेनल्टी for sale or delivery by weights or measures other than standard weights or measures; क्लाज २५ के एक्सप्लेनेशन २ में दिया है और उसमें व्यवस्था दी है

"Where any weight or measure or weighing or measuring instrument is used or possessed in contravention of this section by any employee or agent of a trader on behalf of such a trader, such trader shall, unless he proves that the offence under this section was committed by his employee or agent without his knowledge or consent, be also deemed to be guilty of the offence."

अब उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह समझ में नहीं आता कि कम्पनी के बारे में हम इस प्रकार का खयाल कर सकते हैं कि जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी होती है, डॉइरेक्टर, मैनेजिंग डॉइरेक्टर होते हैं और कई अधिकारी होते हैं । कोई अधिकारी कलकत्ते में रहता है, कोई दूसरे स्थान पर रहता है, मैनेजिंग डाइरेक्टर दूसरा है । वैसी स्थिति में कम्पनी एज़ ए होल इस बात को मान ले कि कम्पनी का अपराध हुआ है और कौन से अधिकारी ने अपराध किया है, उसको सजा देने की व्यवस्था कर देंगे । पर यहां प्राइवेट डीलर का प्रश्न है । उसमें भी यह एग्ज़म्प्शन रख दिया जावे तो यह मैं ठीक नहीं मानता । यदि वह साबित कर दे कोर्ट में कि उसकी जानकारी में यह अपराध नहीं हुआ तो वह सारी सजा से बच सकता है । भावना आपकी यह बड़ी सुन्दर है । मैं इसकी सराहना करूंगा, इस भावना की कि जो व्यक्ति अपराध करे उसको सजा मिलनी चाहिये । मैं चाहूंगा कि इस भावना को लेकर कानून बने । पर आपके पास ऐसा कौनसा बरोमीटर है कि जिसके जरिये आप उसकी नॉलेज में यह अपराधजन्य काम था या नहीं, यह जान सकें । एक दुकानदार जयपुर के जौहरी बाजार में बैठा है और वह वहां से थोडी देर के लिये उठकर सेक्रेटरियट में चला जाता है और पीछे जब आता है तो दुकान पर एक इन्सपेक्टर को खड़ा पाता है और वह एक गज़, हाथ में लेकर कहता है कि यह गज़ आपकी दुकान से पकड़ा गया है जो कि निर्धारित माप से कम है । अब वह कह सकता है कि मैं जब गया तो दूसरा गज़ था मेरी अनुपस्थिति में दूसरा गज़ रख दिया गया है । एक डिस्प्यूट सामने खड़ा होगा और वह इस केस को चालान नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी नॉलेज में तो वह था ही नहीं और उस नॉलेज को जानने के लिये कोई बैरोमीटर नहीं । अब जिसके हाथ में से वह गज़ पकड़ा गया, वह कोर्ट में जाकर यह एविडेन्स भी दे सकता है कि यह गलती स्वयं मैंने की थी । जैसे दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मोटर ड्राइवर एक मोटर चला रहा है, उसका मालिक उसमें बैठा है, उसके मालिक को यह पता है कि इस ड्राइवर के पास लाइसेन्स नहीं है । वह ड्राइवर गाडी को अच्छी तरह नहीं चलाता, फास्ट ड्राइविंग करता है, यह सब नॉलेज में होने के बाद भी, जब एक्सीडेंट होता है तो चालान किस का होता है । कानूनन मालिक का होना चाहिये पर मालिक पर नहीं चालान किया जाता । वह स्वयं खड़ा होकर कहता है मैंने गलती की मुझे

(श्री भैरोंसिंह)

दंड दिया जावे । इसमें भी यह केवल इसलिये रक्खा गया था कि मालिक का चालान होता नहीं । मालिक जितने होते हैं पैसे वाले होते हैं, गरीब नहीं होते । गरीब मोटर नहीं रख सकते । गरीब के पास साइकिल होती है । साइकिल वाले का एक्सीडेंट होने पर जरूर चालान होता है और तुरन्त होता है । पर मोटर में बैठने वाला चूंकि पूंजीपति है या उन लोगों में से है, जिनको सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, ऐसे व्यक्ति अगर कोई अपराध करें तो उसकी सजा भुगतने वाला वह नहीं, उसका गरीब ड्राईवर है । इस तरह उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून में जो व्यवस्था दी है वह भी ऐसी ही है । दुकानदार, मालिक कह सकता है कि चूंकि यह मेरी नॉलेज में नहीं था, इसलिये मेरा कसूर नहीं । इस नौकर ने कम दिया होगा, या इस मुनीम ने कम दिया होगा, मेरे जाने के बाद यह इन बांटों को या नाप को लाया होगा और भी कई तरीके के बहाने बनाकर, वह राज्य सरकार से कहेगा कि मेरा कोई कसूर नहीं, मेरी जानकारी में नहीं था इस व्यक्ति ने यह कसूर किया है, इसके लिये सजा दो । वास्तविक अपराधी मनीम नहीं होता, नौकर नहीं होते । नौकर क्या है ? वह तो जो सही होगा वह माप करेगा, कम क्यों तोलेगा ? कम तोलेगा तो उसे कुछ मिलने से रहा, अधिक तोलेगा तो उसका कुछ जाने वाला नहीं, तो जब उसकी तनख्वाह पर इन चीजों से कोई असर नहीं पडने वाला है तो फिर वह बिचारा अपना ईमान बेचेगा क्यों ? वास्तव में जो सही तोल होगा, वही देगा । पर उसकी बात पर सन्देह किया गया है और गुंजाइश रक्खी गई है ट्रेडर्स को बचाने की कि किसी रूप से वह ट्रेडर बच जावे और सारा भार गरीब आदमियों पर नौकरों पर मुनीम गुमास्तों पर पडे । ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहूंगा कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है, वह उन छोटे कर्मचारियों के लिये अभिशाप सिद्ध होगी और इस अभिशाप से उनको बचाना आवश्यक है ।

ऐसी स्थिति में मैं यह सोचता हूं कि यह कानून आप जिस प्रकार बना रहे हैं, वाकई में इस प्रकार का है जिस पर मोहर लगानी पड़ रही है जो इस सदन को नहीं लगानी चाहिये, इस पर गहराई से विचार करना है ।

एक इसके अन्दर अजीब व्यवस्था है और उसका मुझे पूर्णतया विरोध करना है । उपाध्यक्ष महोदय क्लॉज १ (४) में लिखा है:—

"An Inspector or Assistant Inspector may seize and detain any weight or measure or weighing or measuring instrument regarding which an offence under this Act appears to have been committed or which appears to have been or which might be used in the commission of such an offence, and may also seize and detain any articles sold or delivered or caused to be sold or delivered by means of such weight or measure or weighing or measuring instrument together with any documents or records relating thereto."

पढ़ने में बड़ा सुन्दर है, भाषा भी अच्छी है, भाव भी अच्छे हैं । लेकिन यह भाषा और भाव जिस प्रकार से व्यक्त किये जा रहे हैं, वह बिलकुल अशुद्ध है । यह बात सही है कि किसी इन्सपेक्टर को ऐसा पता चले कि यहां पर नाप तोल के कितने भी औजार हैं, वह प्रेसक्राइब्ड नाप तोल के अनुसार नहीं हैं, इसलिये वह उनको जप्त कर सकता है और केवल इन बाटों को ही जप्त नहीं कर सकता बल्कि इनके द्वारा कोई सामान तोला हुआ है, उस सामान को भी जप्त कर सकता है । इस कानून में यह कहीं नहीं है कि उस सामान को मुक्त कौन करेगा । वह सामान कोर्ट के द्वारा छोडा जायेगा या इन्सपेक्टर छोड सकता है । उसकी जमानत हो सकती है या नहीं, उसको सिक्योरिटी के ऊपर रिलीज किया जा सकता है या नहीं । इसकी कोई व्यवस्था नहीं है । यदि बदकिस्मती से कोई फ्रूटस् का खरीदने वाला आ गया, कोई सब्जी का खरीदने वाला आ गया और खरीदने के बाद पता चले कि नापतोल कम है और इन्सपेक्टर को पता चल गया कि जिस बाट या औजार से यह सामान दिया जा रहा है वह कम है और सामान भी कम है । एक बात तो यह सही है कि वह उन बांटों को गिरफ्त

(श्री भैरोंसिंह)-

कर लेगा और दूसरी बात यह भी सही है कि शहादत के लिये वह उन चीजों को भी गिरफ्त, में ले लेगा जो कि तोली हुई हैं। लेकिन अब इसके आगे चालान कौन करेगा। चालान करेगा सुपरिन्टेन्डेन्ट और सुपरिन्टेन्डेन्ट डिवीजनल हैडक्वार्टर पर होगा, उसकी परमीशन के बिना चालान नहीं हो सकता और जब तक अदालत के सामने जाकर उस सामान के लिए प्रिलिमिनेरी एवीडेंस नहीं हो जाती तब तक कोर्ट नहीं छोडेगा। अब कोई और चीजें हों तो कोई बात नहीं है मगर कोई पैरिशेबल चीज है उसकी क्या व्यवस्था होगी। जो सब्जी पांच दिन में सड कर खराब हो सकती है उसका क्या होगा। उसके बारे में इस बिल में कोई व्यवस्था नहीं है। इन्सपेक्टर छोड सकता है या नहीं इसका भी अधिकार उसको नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमने एक दूसरे क्लॉज में यह व्यवस्था की है कि जो बन्द डिब्बों के अन्दर नाप तोल की चीजें होंगी, उन चीजों के बाक्सेज के उपर या उनका जो आउटर पोरशन है उस पर लेबल नहीं होगा और उस पर स्पष्ट संकेत नहीं होगा कि इस अमुक चीज में कितने नाप और तोल की चीज है। उस समय तो इन्सपेक्टर को अधिकार होगा कि वह उसको कहीं भी जप्त कर ले और यदि उसको इस बात का संदेह है कि जितना तोल इस पर लिखा हुआ है उसमे इस बाक्स में कम है या ज्यादा है, तो उसको अधिकार होगा कि वह उस बाक्स को खोल सकता है। लेकिन वह बाक्स इन्सपेक्टर किसके सामने खोल सकता है इसका पता नहीं; किस अधिकारी से परमीशन लेकर खोल सकता है इसका कुछ पता नहीं और उसकी निगरानी कौन करेगा इसका भी कुछ पता नहीं तो जिस अधिकारी को हम यह अधिकार दे रहे हैं वह अपनी इच्छा से ऐसे बाक्सेज को उनका तोल करने के लिये तोड़ सकता है और उस पर वापिस सील लगा सकता है, और अपना सर्टीफिकेट लगा देगा। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रकार का संदेह है कि कहीं इस अधिकार का दुरुपयोग न हो और सर्टीफिकेट भी एक इन्सपेक्टर दे कि मैंने इसका सामान तोला है और इस प्रकार का तोल मुझे मिला है। आप अन्दाजा लगाइये कि जो इन्सपैक्टर हमारे उप-मंत्री द्वारा नियुक्त किये जाने वाले हैं, वह कितने ईमानदार होंगे। मैं सबके ऊपर तो संदेह नहीं कर सकता, लेकिन इस प्रकार के फिर भी इन्सपेक्टर्स हो सकते हैं जो बाक्स के माल को जप्त करके उसमें से सामान कम करदें, सामान दूसरा रखदें या सामान की सारी शक्ल ही बदल दें। मैं आपको बताऊं कि आज भी इस प्रकार के अधिकारी हमारे राजस्थान सरकार में हैं। और जब २ उन्होंने इस प्रकार के काम किये हैं तो हमारा एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट उनकी जांच भी करता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में केवल इन्सपैक्टर को इस प्रकार का अधिकार देंगे तो कौन कह सकता है कि वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। लेकिन हमारे माननीय उप-मंत्री जी तो ऐसा समझ रहे हैं कि इस प्रकार की कोई अव्यवस्था हमारे यहां होने वाली नहीं है, किसी भी प्रकार की गफलत् होने वाली नहीं है। मैं तो कहूंगा कि उन्हें काम करने का ज्ञान नहीं है। लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, इसके कारण से हम परेशान नहीं हो सकते। जब उनके ज्ञान का अभाव हमारे ऊपर असर करता है तो हमको दर्द होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस कानून को अच्छी तरह से देखें। यह कानून व्यापारियों का भी है और इससे सारे राजस्थान की जनता भी प्रभावित होने वाली है। इस कानून के अभाव में हम परेशान भी रहते हैं। यदि इस कानून को ठीक तरह से इम्प्लीमेन्ट नहीं किया गया, तो सब परेशान होंगे। अतः मैं उप-मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस कानून में जितनी भी खामियां हैं उनको दूर करने की चेष्टा करें और अगर समय हो तो इस कानून को इस समय डेफर कर दें और अगर आप आज ही इस कानून को पास करने की चेष्टा करते हैं तो मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस कानून को ड्राप कराने की चेष्टा कराई जाये।

**श्री मदनसिंह**:—माननीय उपाध्यक्ष महोदय .....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप डिबेट आरम्भ करें उससे पहले मैं रूल १३३ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं :

Page No.60



(श्री उपाध्यक्ष)

"The discussion on a motion that the Bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill. In making his speech a member shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of his arguments which shall be of a general character."

I hope you will not be discussing men more than the measure itself.

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस बिल के संबंध में, संबंध में ही नहीं इस पूरे बिल के विरोध में, माननीय भैरोंसिंह जी ने वैसे अलग अलग धाराओं को भी समझाते हुए विरोध किया था और अलग अलग धाराओं के संबंध में मैंने भी कुछ अपने विचार प्रकट किये थे । उसके उपरान्त भी माननीय मंत्री महोदय ने इसका पूरी तसल्ली से जैसा जवाब हो सकता था, वह नहीं दिया और इसके कारण इस पूरे बिल का ही मुझे विरोध करना पड़ेगा । पहले तो यह देखना होगा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी । क्या आज कोई चार सौ बीसी करता है तो उसके लिये कोई कानून मौजूद नहीं है ? मैं तो समझता हूं कि जो चार सौ बीसी करते है या जनता को ठगते हैं उनको सजा देने के लिये आज भी कानून मौजूद है । इस बिल की मंशा यह है है कि आज जो कानून मौजूद हैं उनसे गवर्नमेन्ट ठीक तरह से व्यवस्था नहीं कर पाई और इसी कारण अब उसको नये बिल लाने पड रहे हैं । एक आदमी तोल या मेजर करता है और वह ठीक ढंग से नहीं तोलेगा उसको सजा देने के लिये यह कानून बनाया है । जैसे आज तक कानून बने हैं और कोर्ट में उनका फैसला होता है और पुलिस कुसूरवार लोगों को सजा देती है । मैं समझता हूं कि वह तरीका ही ठीक रहता और ज्यों ज्यों आप नये २ कानून और नये २ ढंग के डिपार्टमेंट खोलेंगे त्यों २ लोगों को बुद्धि भी नये २ ढंग से चार सौ बीस करने और बदमाशी करने में बढेगी । मैं तो यह समझता हूं कि इन कानून के तोडने वालों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया जाता तो ठीक था, ताकि गलती करने वालों का कोई हौंसला नहीं होता कि इस तरह के जब नाप और बाट बन चुके है, उसके विरोध में कोई चीज करे । अगर इस तरह के बिल बनते हैं तो फिर मैं तो यही समझूंगा कि नये २ सुपरिन्टेन्डेन्ट और इन्सपैक्टर्स को रखने का मकसद यही है कि आगामी 'चुनाव' में पुन: आ सके । इस सरकार ने आज तक जितने भी काम किये हैं वो इसी दृष्टि को सामने रख कर किये हैं कि वह पांच वर्ष बाद चुनाव में आ सकते हैं या नहीं ....।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान पुन: रूल १३३ की तरफ आकर्षित करूंगा । आप इस बिल के ऊपर ही बोलें ।

**श्री मदनसिंह** : बिल के विषय में ही बोल रहा हूं । इसके अन्दर प्रावधान रखा गया है कि यह इन्सपैक्टर जिनको चाहेंगे छोड सकते है, सजा दिला सकते हैं । इसलिये मुझे इसका विरोध करना था । वैसे जब यहां पर एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट की स्थापना हुई थी उस समय यह मन्शा थी गवर्नमेंट की कि यहां कोई ईमानदार आदमी राजस्थान में नहीं है, इसलिये नया आई. जी. पी. आया । मैं समझता हूं कि इसके लिये भी नये अधिकारी आने वाले हैं उनका नाम हो या नहीं, लेकिन इसमें भी बहुत ईमानदार आदमी की जरूरत होगी । उस नये आदमी की क्वालिफिकेशन, उसकी ईमानदारी की क्वालिफिकेशन कुछ नहीं हो, लेकिन मैं जानता हूं कि वह ऐसा होना चाहिये जो कि ज्यादे से ज्यादा अधिक वोट दिला सकता हो । उन्हीं लोगों को यहां लिया जायगा जो ज्यादे से ज्यादा इसमें चतुर होगा कि किस तरह से बचना होगा । वैसे लोगों को यहां पर नॉमीनेट करेंगे जो कि ज्यादातर ऐसे होंगे । यह तो निश्चित रूप से है कि यह बिल जब बनाया गया तो उस वक्त शायद बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं उनकी राय लेकर बनाया गया है । क्योंकि जहां कंपनियों का सवाल है पहले जब कि इस धारा पर विचार हो रहा था, उस वक्त उस धारा में यह दिया गया है कि अगर कोई गलती होती है कंपनी की या किसी व्यक्ति की गलती हुई और साबित हुई

(श्री मदनसिंह)

तो उसको सजा होगी तो इसके लिय तरीका दे दिया गया है कि जहां बड़ी २ फर्म्स और कम्पनीज हैं वे लोग नौकर रखते हैं और नौकर पर आफत आयगी तो नौकर को कुछ न कुछ देकर समझा देंगे तो वह जाकर हामी भर सकता है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो तरीका पुलिस के जरिये जांच का है वही होना चाहिये, अन्यथा जैसा कि अभी सब्जी की एक मिसाल दी थी कि सब्जी वाले ने गलत तरीके से तोलकर सब्जी दी और आज जिस तरीके के अधिकार होते हैं कि चलते हुए सिपाही को कह दिया जाय कि सब्जी में ४२० की है, सब्जी के तोलने में गलती की है तो आज जैसा कि पुलिस का नियम है पुलिस का अधिकार है हस्तक्षेप करने के मौके पर तो वह कुछ नहीं उसको ठीक तौर से सब्जी तो दिला सकता है, अन्यथा वह पकडा जाता है और जो तरीका इसमें वह अनुपयुक्त होगा कि वह इन्सपेक्टर साहब के पास जायगा और फिर जाकर जांच होगी और जांच होकर सब्जी पकडी जायगी, और अगर सब्जी को कोर्ट में ले जाना पड़ गया प्रूव करने के लिये, तो उसकी वही हालत होगी जैसी कि एक माननीय सदस्य ने बताया था । अगर इसमें ऐसी व्यवस्था होती कि जो सब्जी या ऐसी चीजें हैं, जिन के गलने की संभावना हो, खराब होने की संभावना हो तो उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाय । रूल्स में ऐसी व्यवस्था हो कि कोई ऐसी जगह हो कि जहां उनका नाप तोल वैसे का वैसा रहे तो हम समझ सकते हैं कि ठीक ढंग से कोर्ट में, उसको बताया जा सकता है, अन्यथा जो आज पटवारियों की हालत हो रही है कि मिनिस्टर को ज्यादा पावर्स नहीं है बल्कि वह पटवारी को हैं । वह चाहे तो जिस खेत को, चाहे जिस के नाम लगा सकता है हजारों रुपये इधर या उधर करके ।

**श्री उपाध्यक्ष:** मैं माननीय सदस्य का ध्यान डिबेट के नियमों के अन्तर्गत आकर्षित करता हूं ।

**श्री मदनसिंह दांता:** इस कानून का सम्बन्ध उसके अधिकारी से सम्बन्ध रखता है ....

**श्री उपाध्यक्ष:** (श्री मदनसिंह दांता के खडे रहने पर) माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि आसन अपने पैरों पर खड़ा है । मैं बडी नम्रता के साथ माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वादविवाद के नियमों का पालन करते हुए इसके फौर और अगेन्स्ट (for or against) में बोलें, एक्स्ट्रानूअस मेटर अपनी डिबेट में न आने दें ।

**श्री मदनसिंह दांता:** उपाध्यक्ष महोदय, आज तक जो कानून बने हैं और कानून में जो गलतियां हुई हैं और जिन लोगों को नियुक्त किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कैसी २ गलतियां हुई हैं । आप एक नया डिपार्टमेन्ट खोलने वाले हैं । इधर गवर्नमट कह रही है कि हमारे पास में पैसा नहीं है और हम टैक्स पर टैक्स दे रहे हैं । आप एक नया डिपार्टमेंट खोल रहे हैं, उसमें नये इन्सपैक्टर पैदा होंगे, नये २ आदमी आयेंगे, नये २ ऑफिसेज कायम होंगे और जैसा कि हम चाहते हैं वैसे उस कानून का पालन नहीं होगा और भ्रष्टाचर बढ़ेगा इस डिपार्टमेंट में जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचर बढ़ रहा है । जिस प्रकार से कि पटवारियों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसी मुताबिक इस डिपार्टमेंट के इन्सपेक्टर्स की भी वही हालत होगी कि चाहे जिस को सजा दिला देंगे और चाहे जिस को नहीं । इसलिये अगर यह कानून पास होता है कि जिन कानूनों के लिये हमारे प्रधान मंत्री नेहरू जी कहा करते थे कि एक दिन हमारा राज्य होगा, जिसके अन्दर ऐसे कानून बनाये जायेंगे कि जहां रुपये की सजा नहीं होगी लेकिन ४२० के मामले में चौराह पर फांसी लगेगी ।

**श्री उपाध्यक्ष:** यह आपने नेहरूजी का रेफरेन्स किस तरह से प्राप्त किया ?

**श्री मदनसिंह दांता:** यह जहां तक मेरा राजनैतिक जीवन है और उनसे मैं मिला तो उनकी भावना से लिया गया ।

**श्री उपाध्यक्ष:** वैसा रेफरेन्स नहीं देंगे जैसा कि हाउस के सामने नहीं है ।

**श्री मदनसिंह दांता**: अगर वे कभी आयेंगे तो उनसे पुछवा दूंगा कि उनसे यह प्राप्त हुआ था। उनकी मन्शा नहीं होगी, लेकिन हमारी मन्शा है कि वैसे जितने भी कानून हों, जितनी भी व्यवस्था हो वह पुलिस के अन्दर होनी चाहिये और ठीक ढंग से उस कानून से व्यवस्था लाने की बात हो। अभी २ एन्टी-करप्शन के अन्दर काफी रुपया बढ़ाया गया है, और यह कम से कम उनको देते तो मैं समझता हूं कि रुपया ठीक बढ़ा है और एन्टीकरप्शन को काम मिलता है। आज एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट ऊंघ रहा है, सो रहा है। कम से कम यह काम उनको दिया जाता तो एन्टीकरप्शन को नया काम मिलता और ठीक ढंग से रात दिन व्यवहार में आने की जो चीज है तोलने की उसके अन्दर जो दिन रात ४२० होती है उसके अन्दर एन्टीकरप्शन का ठीक ढंग से काम होगा। इसमें एक नया डिपार्टमेंट खुलेगा और नया तरीका होगा। जैसे कि कई जगह तोल के अन्दर नम्बर बाट रखे हैं और जो बड़े २ व्यापारी हैं मोती और जवाहारात तोलते हैं, उनका नम्बर नहीं आता है। कहते हैं कि मार्किंग में फर्क हो सकता है जितना नम्बर ऊंचा होता है। तो आज तो साइन्स काफी बढ़ा हुआ है और जितने नम्बर का वजन हो सकता है उतना रिड्यूस होकर मार्क लग सकता है। केवल ऐसी चीज के लिये ऐसा डिपार्टमेंट इसलिये खोला जाता है कि केवल किसी विरोधी दल को फंसाने के लिये हो।

**श्री उपाध्यक्ष**: I disapprove the aspertion.

**श्री मदनसिंह दांता**: मर्जी आपकी, पर होगा ऐसा ही।

**श्री उपाध्यक्ष**: आप ऐसे एक्प्रेशन्स प्रयोग में न लावें।

**श्री मदनसिंह दांता**: आपकी ऐसी ही मन्शा हो तो मैं बैठ जाता हूं और इसको पास होने दें।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल की उपयोगिता और इसकी आवश्यकता का संबंध है, मैं नहीं समझता हूं कि जब कि संसद इस प्रकार की व्यवस्था सारे देश में नाप तोल के मेजर्स के संबंध में मेट्रिक प्रणाली की करने जा रही है, यह व्यवस्था अपने प्रान्त में ही नहीं संपूर्ण प्रान्तों में लागू होगी। तो अपने यहां कम से कम एक ही बात के लिए बिल बनाने की आवश्यकता थी कि इस प्रणाली का ठीक ढंग से पालन किया जाता है या नहीं। जहां तक पालन कराने का सवाल था, उसका प्रोवीजन इस बिल में कर दिया गया है कि जो नाप के गज़ और तोल के बाट बनें तो उन पक्के बाटों पर ठीक तौर से नाप तोल लगाया जाता है या नहीं, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जायगा। यह जरूरी नहीं था कि संसद की स्वीकृत प्रणाली यहां पर लागू होगी। यह राजस्थान में ही नहीं सारे देश में लागू होने वाली है। ज्यादे से ज्यादा बाट जो बनाये जायं वह केवल राजस्थान प्रान्त में उन्हें बनाने वाले नहीं हैं बाहर भी वे बनेंगे। इस तरह के बाट सारे देश के लिए बनने वाली चीज है। वह अपने प्रान्त में आयेंगे तो उनका उपयोग किस प्रकार से होगा। जो बेईमानी होती है वह इस प्रकार होती है कि आज भी देश के अन्दर सब जगह बाट इस प्रकार से कम बनाये जाते हैं। परन्तु वास्तव में देखना यह है कि जहां व्यापारी कम तोलता है या कम नापता है तो उस व्यवस्था को किस प्रकार से लागू किया जाय। उसके संबंध में जो व्यवहारिक पक्ष है, उसको इस बिल के अन्दर कमजोर कर दिया गया है। व्यापारी को किस तरह से सजा दी जाय, किस प्रकार की सजा दी जाय और कौन अधिकारी इसको सजा दे इसके संबंध में जो प्रोवीजन हैं, वह ढीले हैं। इन्सपैक्टर को शिकायत करेगा तो वह जांच के लिए जायगा। छोटे से गांव के अन्दर भी दुकान होती है और वहां पर अगर वह कम तोलता है तो गांव की दूकान के बारे में इन्सपेक्टर को शिकायत करने जायं, तो इन्सपेक्टर तहसील हैडक्वार्टर पर नहीं होता है, इन्सपेक्टर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर नहीं रहेगा और यदि रहेगा तो इसका अर्थ यह हुआ कि इससे प्रशासनिक खर्चा नया लादा जा सकता है। साधारण तौर से जिलेवार या तहसील वाइज यदि इन्सपेक्टर एपॉइन्ट किये जायेंगे इसका अर्थ यह होगा कि एक नया खर्च बढ़ेगा और नये आदमी

(श्री जगदीश प्रसाद माथुर)

नियुक्त किये जावेंगे । क्योंकि नापने तोलने की गड़बड़ियां एक छोटे से गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक होंगी । अगर वे तहसीलवाइज ही नियुक्त नहीं किये जाते हैं तो फिर कानून बनाने से लाभ नहीं होगा और यदि नियुक्त किया जाता है तो खर्चा अनावश्यक रूप से बढ़ेगा । हमारे पास ऑलरेडी पुलिस की मशीनरी है, उसको ही यह काम क्यों नहीं सौंप दिया जाय । साधारणतः कम तोला जाता है या कम नापा जाता है तो पुलिस में शिकायत की जा सकती है और मान लीजिये कि किसी जगह कम नापा गया है या कम तोला गया है तो एक आदमी इन्सपेक्टर के पास शिकायत करने जयपुर आयगा या उसके केन्द्र स्थान पर जायगा तब वह आवेगा उतनी देर में तो वह व्यापारी अपने तोल और नाप के गज बदल डालेगा । इसलिये साधारण तौर पर जुर्म की शिकायत चौकी में या पुलिस थाने में की जा सकती है तो उसका तुरन्त फल मिल सकता है । लेकिन यहां जो व्यवस्था की गई है और जिस रूप में कानून बनाया गया है उस रूप में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है सिवाय इसके कि विधान सभा के समय को मंत्रीजी ने खराब किया है या जो चीज लागू कराई जा रही है उसकी जानकारी देनी थी इसलिये यह यहां लाया गया है । वास्तव में यह बिल रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है इसलिये इसका कोई उपयोग नहीं है । यदि इसको लागू ही करना है तो इन धाराओं को जोडकर फिर लागू किया जाय । हम यह नहीं कहते कि इसको पुलिस के अधिकार में ही दिया जाय, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप किसी काम का नहीं है, इसलिये इसको अस्वीकार किया जाय ।

**श्री जनार्दनराय नागर** (मावली): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के तीसरे वाचन को लेकर माननीय मित्रों ने जो बातें कही हैं, मैं मानता हूं कि उनमें से बहुत सी बातें समय समय पर सदन में कही जाती हैं उन सब में अजीबो गरीब बात वह है जो अभी उन्होंने कही । बड़ी मजेदार बात कही गई है कि इस प्रकार के बिल को लाकर एक विशेष प्रबन्ध नाप तोल के इन्तजाम का नहीं किया जाना चाहिये, बल्कि वह प्रबन्ध पुलिस के जरिये करना चाहिये था । मैं इस दलील को सुनकर हैरत में पड़ गया । हम यह मानकर चलते हैं कि धीरे २ बहुत सी बातों में हम स्वायत्त इन्तजाम करना चाहते हैं, वे ही इन्तजाम, आप कहते है कि पुलिस के जरिये कराने चाहिये । मेरी समझ में नहीं आता है कि नाप तोल का प्रसंग इतना हल्का फुलका क्यों लिया जाता है । मैं कहना चाहता हूं माननीय मित्रों से कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है । नाप तोल को यह समझते कि यह मामूली बात है वैसी बात नहीं है । जैसे रुपया, इकन्नी, दुअन्नी, चौअन्नी या अठन्नी चलती है, उसके चलन को लेकर यह दलील देने लगे कि यह तो मामूली चलन है तो मैं समझता हूं हमको बड़ा मुगालता होगा गांवों की झोंपड़ियों से लेकर राजधानी के महलों और प्रासादों तक असर करने वाली जो चीज है, उसकी दलील वे इस प्रकार से देते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिये । पुलिस की मशीनरी के जरिये कराने पर ये जोर क्यों देते हैं । सही बात तो यह है कि यह दलील उस दिशा से आनी चाहिये थी कि स्वतंत्र मशीनरी कायम करनी चाहिये । पुलिस जिस तरह के नियमों और कानूनों से बंधकर चलती है, जांच करती है और आगे बढती है तो उसी तरह की भारी भरकम मशीनरी की ओर आप ले जाना चाहते हैं ।

नाप तोल का विषय मामूली से मामूली लोगों को स्पर्श करने वाला है । यदि किसी को इसकी वजह से कष्ट है, किसी के साथ अन्याय हुआ है, किसी को मुगालता हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिये और इसके लिये राज्य का फर्ज है कि वह स्वतंत्र मशीनरी कायम करे ।

अब कहा गया है कि एक इन्सपेक्टर नियुक्त किया जायगा और उसको बहुत से अधिकार दिये जायेंगे । यदि आप हर तहसील के लिये यह चाहते हैं कि वहां पर एक अधिकारी हो जो इसकी व्यवस्था करे, तो आपकी दलील से ही जवाब मिल जाता है । उधर तो आप कहते हैं कि अधिक खर्चा नहीं करना चाहिये और इधर आप कहते हैं कि स्वतंत्र व्यवस्था कायम की जाय । सच बात यह है

(श्री जनार्दनराय नागर)

कि माननीय मित्रों ने इसके महत्व को समझा नहीं है । बहुतसी बातें अत्याचारों को लेकर और इधर उधर की बातों को लेकर कही गई और राजनैतिक दुरभिसंधी की बातें कही गई हैं । इसके वैज्ञानिक रूप को और काम चलाने के लिये व्यवहारिक क्षेत्र में किस चीज की आवश्यकता है, उसको नजरंदाज किया गया है । इसकी जोर से और भावना से विरोध करने की क्या आवश्यकता आई ? सभी लोग जानते हैं कि सारे भारतवर्ष में मुद्रा और नाप तोल की नीति में परिवर्तन हो रहा है । मुझे भारत के प्रधान मंत्री जी की बात याद आती है ।

**श्री मदनसिंह दांता** (दांता रामगढ़) : कौन से अखबार में है ?

**श्री जनार्दनराय नागर** : उन्होंने कहा था कि हमारे देश ने दशमलव प्रणाली को स्वीकार करके, अपने आप में क्रान्ति की है । मैं यह मानता हूं कि मुद्रा में दशमलव प्रणाली के साथ ही साथ नाप तोल में भी एक सी दशमलव प्रणाली लाने की अखिल भारतीय नीति है । वह इस देश में आयेगी । यदि उसको नहीं मानते हैं तो बहुत से विचार हमारे दिमाग में आयेंगे और सही विचार करने से हम रुकेंगे । जब हम यह मानते हैं कि एक ही प्रकार का नाप तोल हमारे देश में होना चाहिये और ठीक तरह से उसको व्यवहारिक रूप में लाना चाहिये ।....

**श्री मदनसिंह दांता**: किसी ने इसका विरोध नहीं किया ।

**श्री उपाध्यक्ष** : Will not guide the Chair, the Hon'ble Member please.

ऑर्डर प्लीज, प्रांगण उनके अधिकार में है, आप दस्तंदाजी नहीं करेंगे ।

**श्री मदनसिंह दांता** : हमारे लिये गलत कहा जा रहा है ।

**श्री जनार्दनराय नागर** : मैं यह कह रहा हूं कि सारे भारत में जो नाप तोल की एक नीति भारत में आ रही है, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है । उसके लिये राज्य को स्वतन्त्र मशीनरी क़ायम करनी चाहिये, ताकि नाप तोल के व्यवहार में जनता शिक्षित हो और उसके विरोध में जो प्रचार और चर्चा हो रही है उसके विरुद्ध कार्यवाही हो। राज्य की पुलिस को इसकी व्यवस्था करने का काम सौंपना व्यवहारिक नहीं मालूम होता है क्योंकि पुलिस, राज्य में होने वाले अनेक तरह के अपराधों को मालूम करने और नियमन करने में लगी रहती है। यह मानते हैं कि जहां मामूली अपराध हैं वहां पुलिस अच्छी तरह से सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुद्रा और नाप तोल बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं।

मुद्रा के माध्यम से हम चीजें ख़रीदते हैं लेकिन नाप तोल से मिक़दार निश्चित होती है। यदि इनका ठीक तरह से व्यवहार नहीं किया जाय तो आप मानेंगे कि कई तरह की हानि रोज़मर्रा हो सकती है। इसलिये मैं मानता हूं कि निष्पक्ष रूप से इस वैज्ञानिक प्रणाली को हमें अपनाना होगा। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए और ख़ास तौर से राजस्थान में अभी तक कई तरह के नाप तोल चल रहे हैं। उदयपुर में अब भी १०५ रूपये भर का सेर चलता है, कहीं १०० भर का, तो कहीं ६४ भर का और कहीं ८० भर का बंगाली तोल चल रहा है। इस नाप तोल के साथ साथ राजस्थान में हमारा मस्तिष्क भी बदल रहा है। हमने अलग अलग तरह से....

**श्री उपाध्यक्ष** : You mean the Hon'ble Members.

**श्री जनार्दनराय नागर** : Including myself.

यह तो एक नई धारणा है जो देश में आरही है। यह वैज्ञानिक तरीक़े की चीज है, जिसका व्यवहार लाभदायक सिद्ध होगा। आपको यह छोटी चीज मालूम होती है। सूक्ष्म चीज मालूम होती है, जो लोग भारी भरकम विचारों के आदि हैं उनको सूक्ष्म चीज छोटी मालूम होती है। दिमाग में जो चीज होती है उससे कई तरह की दलीलें पैदा होती हैं। लेकिन सही बात तो यह है कि इसमें ऊहा पोह और शक की गुन्जाइश नहीं है। छोटी सी

(श्री जनार्दनराय नागर)

बात के लिये इस तरह का शक करें तो उचित बात नहीं है। कहा गया कि इन्सपैक्टर्स के ज़रिये पक्षपात किया जायगा, मेरी समझ में नहीं आता कि नाप तोल के विषय में मुग़ालता और पक्षपात और गड़बड़ की कहां गुन्जाइश है?

या तो यह दिमाग की कल्पना और सूझ हो सकती है, जिससे यह विचार हो गया होगा कि हर बात में गड़बड़ है, दुरभिसंधी है, कहीं न कहीं पेच है, कहीं न कहीं मन्तव्य पूरा करने की वृत्ति है। मैं समझता हूं नाप तोल के संबंध में इस तरह की बात नहीं आती है। मैं माननीय सदस्यों को, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि यदि सही नाप तोल से, संतुलित विचारों को व्यक्त करने की दृष्टि नहीं हुगी, तो विवेकशील विचारों की गति नहीं होगी। इस छोटी सी बात पर इस तरह विचार करते हैं, तो मैं समझता हूं कि किसी महत्वपूर्ण तरीके से ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते और जिस मकसद को आप चाहते हैं, जिस मकसद को सिद्ध करना चाहते हैं उसे इन दलीलों से हल्का कर देते हैं,। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि यह निष्पाप बिल है जो नाप तोल के संबंध में है। मैं कहना चाहता हूं कि तोल और नाप का जहां संबंध है, वहां नाप तौल से विचार करना चाहिए और भड़कना नहीं चाहिए। तोल को आप हिमालय का और नाप को गंगा का जितना रुप देंगे, तो इस उहापोह में, इस अटकल में, अपने विचार रख कर चलेंगे तो अपने विचारों से विह्वल जायेंगे, इधर उधर चले जायेंगे। मैं समझता हूं कि हमारे विचारों का यह नाम आ जायगा, तोल आजायगा तो आप डोल जायेंगे. मैं भूडोल नहीं कहता। आपका जो गज है, वह मेरी समझ में आया नहीं।

**श्री मदनसिंह**: दिमाग की जरूरत है।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री पी. के. चौधरी।

**श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो सदन में लाया गया है, उसका उद्देश्य यह है कि जहां एक ओर मैट्रिक सिस्टम को कायम करेंगे, वहां जो स्टेन्डर्ड वगैरह है, उसके चैकिंग का अच्छा इन्तजाम करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ल्यूपोल है, वह मैं समझता हूं कि जो इसमें डिसीजेज के प्रीवेन्शन का तरीका रखा है, लेकिन कैसे निरोग रखा जाता है, उसके बारे में बिल के जो मेकर्स है, जिन्होंने बिल को ड्राफ्ट किया है, उन्होंने इस बारे में विचार नहीं किया है। उसका नमूना जब इस बिल पर विचार करते हैं, तब भी आता है। यह बिल आता है, इसके साथ ही साथ अमेंडमेन्ट भी आते हैं। यह इस बात का द्योतक है कि जो इस बिल को लाये हैं, उन्होंन इस बिल को बनाने से पहले इस पर विचार नहीं किया है। They have given no prior thoughts to it. यह एक नजीर है कि बिल के साथ २ दो पन्ना लम्बा अमेन्डमेंट आता है मूवर की तरफ से। मैं समझता हूं इसके एनफोर्समेंट के लिये जो स्टन्डर्ड वेट्स एन्ड मैजर्स की मशीनरी एस्टेब्लिश की जा रही है, उसको अफेक्टिवली एनफोर्स करने के लिये जितना खर्चा होगा, मैं समझता हूं एनफोर्समेन्ट के इतने खर्च की परेशानी से सरकार बच सकती है। अगर मेन्यूफेक्चर के खर्च को अपने हाथ में ले ले। इसमें प्रोवीजन रखा है कि वेटस् एण्ड मजर्स का सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम कायम करने, लागू करने जा रहा हैं. उसको फैसिलिटेड करने के लिये, प्रोपरली मैट्रिक सिस्टम का, वेटस् एण्ड मैजर्स का प्रचलन हो जाय, जो वेटस् एण्ड मेजर्स का स्टन्डर्ड होगा, इसके लिये आपने सारे के सारे प्रबन्ध किये हैं। मैं समझता हूं कि जितने सारे प्रवन्ध किये हैं, ये सारे क्योर के लिये किये है लेकिन जैसी इडियम है Prevention is better than cure. प्रिवेन्शन की बात नहीं है. क्योर के सारे इन्तजाम हैं, कैसे डिसिप्सिन को रोक सकते है कैसे लोग-बाग को पकड़ सकते हैं जो गलती करें, इन सबके इन्तजाम करें। मैं नम्र निवेदन करता हूं कि सारे झगडे मिट जाते और सरकार को परेशानी मिट जाती अगर मेन्यूफेक्चर को प्रोहीबिट कर देत हैं, यह कर देते हैं कि स्टेन्डर्ड वेटस् एण्ड मैजर्स को प्राईवेट इन्डिविजूअल नहीं बनायेंगे। इसके लिये चाहे सरकार फैक्ट्री कायम करती। मैं समझता हूं ऐसा करने से दो चीजें होती हैं, एक तो स्टेन्डर्ड

(श्री पी. के. चोधरी)

वेटस् एण्ड मेजर्स गवर्नमेंट के स्पेसिफिकेशन से निकलते, दूसरे गवर्नमेंट फैक्ट्री से जो वेट्स एण्ड मेजर्स निकलते उससे स्टाम्पिग हो जाता और जो प्राइवेट कंपनी वेटस् एण्ड मेजर्स बनाये, वहां इन्सपेक्टर जाकर स्टाम्प लगाये, पास करे, यह झगडा भी खत्म हो जाता। अगर सरकार की तरफ से ऐसा कारखाना कायम कर दिया जाता तो हमारे देश का अनएम्प्लायमेन्ट का सवाल हल होता और उससे राहत मिलती। साथ ही साथ डिसेप्सन के चान्स भी कम हो जाते। अगर एक दफा गवर्नमेंट की तरफ से, मेन्युफेक्चरिंग यूनिट की तरफ वेटस् एण्ड मैजर्स से निकलते तो प्राईवेट इन्डिविजूअल जो चोरी छिपे उसकी नकल करने की, डिसेप्टिव मैजर्स एण्ड वेटस् का व्यवसाय करने की हिम्मत नहीं होती। मैं समझता हूं कि इस बिल में सबसे ज्यादा ल्यूपोल है, जो कमी है, वह इस बात की है कि मेन्यूफेक्चर करने का काम प्राइवेट इन्डिविजूअल्स पर छोड़ दिया है। इस पर सिर्फ इतना कंट्रोल रखा है कि उसको सरकार लाइसेन्स देगी। मैं समझता हूं कि लाइसेन्स देने से कंट्रोल नहीं होता है, इससे आप रिश्वत का रास्ता रखते हैं, बदमाशी करने का रास्ता खुला रखते हैं। आज तक लाइसेन्सिग और परमीटिंग सिस्टम कंट्रोल करना चाहते हैं, वह नहीं होता है। मेरा सुझाव है कि यदि आप वाकई इस चीज को करेक्टली और आर्नेस्टली इम्पलीमेंट करना चाहते हैं, तो मेन्यूफेक्चर को पहले अपने हाथ में लें, प्राइवेट इन्डिविजूअल से बनाना बन्द कर दें। बस मेरा इतना ही निवेदन है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री हीराभाई।

**श्री हीरा भाई (कुशलगढ)**: मैं इस बिल का विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष, इस माप तोल के बिल को देख कर हमें बडी खुशी हुई और हमने समझा कि हमारे देश में ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा और अब हमारे अनपढ लोंगो के लिये अच्छा प्रबन्ध हो रहा है। लेकिन वाकई उसमें इतनी गलतियां हैं, कि उसके डिपार्टमेंट का ठिकाना नहीं है। मैं साथ ही साथ उदाहरण बता दूं कि आप देखते हैं के जो मशीन काम कर रही है, जो कुऐं के पत्थर तोड़ रही है, जिससे हजारों कुएं खोदे जाते हैं, उससे पहले तो मुंह चोड़ा हो जाता है और तले तक जाते २ सकड़ा हो जाता है। यदि लोग शिकायत करने जाते हैं तो उसकी शिकायत कहां करें। कहीं शिकायत की तो उसकी सुनवाई नहीं होती। अब अनपढ लोग उसके लिये बांसवाड़ा जायेंगे

**श्री उपाध्यक्ष** : आप इस बिल की शिकायत कीजिये, साहब। दूसरे प्रश्न पर क्यों जा रहे हैं।

**श्री हीरा भाई** : माननीय उपाध्यक्ष. .

**श्री उपाध्यक्ष** : आप इस बिल के संबंध में बोलिये।

**श्री हीराभाई** : इस बिल का तरीका यह है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप इधर उधर न जाइये और इस बिल के फोर और अगेन्स्ट में जाइये, बांसवाड़ा मत जाइये।

**श्री हीरा भाई** : माननीय उपाध्यक्ष, इस तरह से होने वाला है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आरम्भ रखिये।

**श्री हीरा भाई** : यह जो कूएं की हालत होती है, उससे लोगों को परेशानी होती है। इससे इतने लोगों को ठगा जायेगा। मैं नये पैसे के बारे में बता दूं, इसी प्रकार इस बिल में होने वाला है। नये पैसे के बारे में बता दूं कि अगर आप दो पैसे की चीज लो, तो नये चार पैसे देने पड़ते हैं नये तीन पैसे में माल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार पोस्ट ऑफिस में है, पोस्ट ऑफिस में एक पैसा, कहीं दो पैसा ज्यादा देना पड़ता है, अगर लिफाफा लेना हो, कार्ड लेना हो। उसी तरह से इस बिल में है, इसके लिए डिपार्टमेंट की जरूरत है, जहां डिपार्टमेंट रहेगा वहां पर लोगों को जाने में दिक्कत रहेगी। इसलिये छोटे छोटे कस्बों में यह नहीं लगाते और बड़े बड़े कस्बों में इस चीज को करते तो यह चलती रहती। बड़ी बड़ी जगह के लिये यह बिल पास हो जाता और गांवों के लिए ये अधिकार ग्राम पंचायत को और म्यूनीसिपैल्टी को दिया जाता या

Page No.67



(श्री हीराभाई)

पुलिस वालों को दिया जाता, तो इस बिल का ढंग से इस्तमाल हो सकता था, बाकी यह होने वाला नहीं है । यह तो ऐसा कि नाम मात्र को लड्डू बता दिया और दूसरी तरफ से पकड़ रखा, तो वह खाने में नहीं आयेगा, मरने में आयेगा । इसी तरह का यह बिल है । इस बिल से लोगों को फायदा तो नहीं होगा, बल्कि इतना जरूर होगा कि बड़े बड़े ऑफिसरों को धन पैदा करने के लिए, आमदनी करने के लिए होगा । आम लोगों को इस बिल से फायदा नहीं होगा । इसलिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं । वैसे यह बिल अच्छा है, लेकिन इसका इस्तेमाल अच्छा नहीं है । किसी ढंग से बेइमानी को दूर करना चाहते हैं, लेकिन बेइमानी को दूर करने के लिये डिपार्टमेंट को बहुत दूर रखा है, गांव का आदमी वहां कब जायगा, कब वह माप देगा । इस बीच जो कुछ भी तोल होगा, वह बदल देगा, वह नहीं बताने वाला है । इसलिये एक हाथ से पकड़ कर, दूसरे हाथ से बदला जायगा । कर्मचारी के पास अगर २५ रुपये आ जायं तो वह अपनी रोजी भूल जायेगा । इस हालत में लम्बे चौड़े डिपार्टमेंट के जिम्मे नहीं होना चाहिये और ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी की रक्षा में रह सके, पुलिस के जिम्मे इसकी रक्षा रह सके, तो कानून की पूरी तरह पाबन्दी हो सकती है । इतना मुझे कहना था वैसे जो मंत्री महोदय की मर्जी होगी, वे उसी तरह से करेंगे ।

३ म. प.

(दो तीन माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री शिवचरणदास ।

**श्री शिवचरणदास** (मांडल) : माननीय उपाध्यक्ष, बाट और माप विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसके विरोध में मुझे कुछ निवेदन करना है । जो भावना इसमें दी गई है और जिसके लिये यह बिल पास करना चाहते हैं, मैं समझता हूं इसमें दो बातें हैं । एक तो यह कि जो गलत उपयोग करेंगे उनको दण्ड किस तरह से दें और दूसरी यह कि बाट और पैमाने किस तरह से तैयार किया जाय और किस तरह से उपयोग में लिया जाय ।

अभी बोलने वाले एक माननीय सदस्य ने ऐसा अच्छा सुझाव दिया था कि यदि इसको बनाने का ढंग, इसको बनाने का कारखाना सरकार के हाथ में रहता है तो इससे बेकारी दूर होती है और एक सही ढंग इनके बनाने का होता है जिससे दूसरों को, किसी को गरीबों का शोषण करने का मौका नहीं मिलता और कई तरह की शिकायतें गलत बाट और पैमाने बनाने की हो सकती है, वह दूर हो सकती है । इसी तरह सजा का प्रोविजन रखा गया है वह भी अजीब ढंग से है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भारतीय दण्ड संग्राह में एक धारा है कि जो गलत बाट पैमानों को बरतेगा, इस्तेमाल में लायेगा, इसकी सजा उसमें ऑलरेडी मौजूद है, उसके मौजूद होते हुए और पुलिस द्वारा इसकी कार्यवाही होती है तो फिर इसको उसमें से निकाल कर अलग महकमा कायम करें और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा उस पर खर्च करें यह कहां तक उचित कहा जा सकता है । गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो करों के रूप में सरकार द्वारा लिया जाता है, जिसके लिये सदन में कई बार कहा जाता है और कई बार मन्त्री मण्डल से निवेदन किया गया था कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो आप जनता से लेते हैं उसका उपयोग ठीक ढंग से होना चाहिये, पर हम देख रहे हैं कि उस पैसे का सही ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है और हमारे नागरिक मारे जाते हैं, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती । तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का अलग महकमा बना कर जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का गलत उपयोग होगा ।

कार्यवाही का ढंग ऐसा रखा है कि इन्सपेक्टर एक जगह रहेगा, पुलिस आज हर जगह मौजूद है, और इस प्रकार की शिकायत के उठते ही हर जगह कार्यवाही की जा सकती है पर इसमें जो प्रोविजन रखा गया है वह इतना गलत है कि जैसे भ्रष्टाचार का महकमा है, एक गरीब आदमी इस महकमे तक नहीं पहुंच सकता और शिकायत का प्राविजन नहीं करवा सकता, इसी तरह का [illegible] और यह महकमा शिकायतों को दूर नहीं कर सकेगा । [illegible] कि

(श्री शिवचरण दास)

जो प्रोविजन इसमें रखे गये हैं और एक अलग महकमा रखने जा रहे हैं वह गलत रहेगा । यदि पुलिस के हाथ में यह काम नहीं रखना चाहते और नागरिकों को सहूलियत देना चाहते हैं तो इसके लिय एक बहुत ही अच्छा और उपयोगी तरीका हो सकता है, वह यह है कि आप पंचायतों के हाथ में और नगरपालिकाओं के हाथ में यह काम सौंप दीजिये पंचायता में और नगरपालिकाओं में हमारे सही रूप में चुने हुए सदस्य आते हैं, उनके हाथ में यह काम सौंप दीजिय, इससे नागरिकों को बडी सहूलियत रहेगी । एक गांव में शिकायत पैदा हुई तो आसानी से साबित करा सकते हैं और नागरिकों को इसमें बड़ी सुविधा हो सकती है । यदि हम इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के अधिकार पंचायतों और नगरपालिकाओं को नहीं देते हैं तो उनका जिम्मा रह जाता है केवल बुहारी झाड़ू का और इससे कुछ होने जाने को नहीं है । एसी हालत में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिकाओं और पंचायतों का उपयोग करें, उनको यह अधिकार दें । जब आपने टैक्स बढ़ाने के अधिकार पंचायतों को दिये हैं तो यह अधिकार भी पंचायतों और नगरपालिकाओं को दें । पर माननीय उपाध्यक्ष मैं आपके द्वारा मन्त्री मण्डल से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो पंचायतों को टैक्स लगाने के अधिकार दिये हैं, वह इस भावना से प्रेरित हो कर दिये हैं कि आप पंचायतों और नगरपालिकाओं को यह अधिकार दे कर बदनामी से बचना चाहते हैं, जनता का मुंह बन्द करना चाहते हैं, पर जनता आज अपनी स्थिति को और अपने अधिकारों को समझ गई है कि किस तरह वह सात्विक रूप से अपना जीवन बिता सकती है, इन बातों को जानने में आज के नागरिक सतर्क हो चुके हैं । और ऐसे बिल को लायेंगे तो यहां तो इसका विरोध होता ही है, जनता की ओर से भी इसका विरोध होगा और आपको मजबूर होकर इसको दुबारा सुधारना पड़ेगा ।

तो मैं समझता हूं कि आप इस पर ध्यान देंगे और इस बिल को इस सदन में नहीं लेंगे । इस बिल में जो नाप तोल हैं उनका विरोध तो क्या करूं, मैं तो सारे बिल का ही विरोध करता हूं, जिसमें नाप तोल सब आ गये । इसमें जो और और बातें हैं उनके बारे में मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने विस्तार से निवेदन कर दिया है । इसके बनाने का मैंने विरोध किया है क्योंकि यह बिलकुल गैर जरूरी चीज है, अगर हम इसको पास करेंगे तो बिना वजह जनता पर बोझा डालेंगे ।

इसलिये इसका विरोध करते हुए, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इसे वापिस लेलें ।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, . . . . . . . . . . . . . . . .

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बोलेंगे क्या इस पर, और कुछ विचार रह गये हैं क्या ? बहुत कुछ कहा जा चुका है इस विषय पर ।

**एक माननीय सदस्य** : १० दिन बाद आये हैं, साहब ।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हाउस के सामने नाप-तोल का बिल पेश हुआ है, इससे गांवों में रहने वाले लोग, जो हम देखते हैं कि आज जिस तरह से सेल्स टैक्स, इन्कम टैक्स और दूसरे टैक्सेज के मारे परेशान हैं, उसी तरह इस नाप तोल के बिल से और परेशान होंगे ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप इस बिल के पक्ष में बोल रहे हैं ?

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : इसके खिलाफ बोल रहा हूं । नाप तोल के पक्ष में हूं, पर बिल के अन्दर कुछ क्लॉजेज ऐसे रखे गए हैं जिनके खिलाफ हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : कौन कौन से क्लॉजेज हैं वे ?

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : ४२, ३६ और ३७

(हंसी)

साहब मैंने देखा नहीं है, ज्यादा बिल का ही विरोध कर रहा हूं ।

(हंसी)

# Page No.69



(श्री मुक्तिलाल मोदी)

तो माननीय उपाध्यक्षजी, इस बिल के अन्दर इन्सपैक्टर को जो पॉवर दिये हुए हैं जब कि एक तरफ तो राजस्थान सरकार इसमें यह करना चाहती है कि पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलें और दूसरी तरफ कोई बिल पेश कर के जनता को परेशान करना चाहती है, यह कहां का न्याय है ? अगर राजस्थान सरकार जनता को सुविधा देना चाहती है और उसको परेशानियों से मुक्ति दिलाना चाहती है तो उसका तरीका यह है कि यह जो बिल हाउस में पास करने जा रही है, उसके सारे के सारे अधिकार पंचायतों को दे दे।

**श्री उपाध्यक्ष**: वह भी सुझाव दे दीजिये कि कौन कौन से अधिकार पंचायतों को दे दें। ताकि आगे सुविधा हो जाय।

(हंसी)

**श्री मुक्तिलाल मोदी**: वह भी मैं दे देता हूं, बताता हूं, बनियां हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, पंचायतों को जो अधिकार दिये जायं वे ये हैं कि आज इन्सपैक्टर्स के बारे में जो तय किया है राजस्थान सरकार ने कि इन्सपैक्टर्स बाटों के बारे में जांच करेंगे, परन्तु माननीय उपाध्यक्षजी, आज से करीब दो ढाई वर्ष पहले भी, यह बिल पेश किया था....

**श्री उपाध्यक्ष**: जो विगत है, बीत चुका है, उसको यहां नहीं लायेंगे।

"बीति ताहि बिसारिये आगे की सुधि लै"।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**: याद दाहनी दिलाने के लिये अर्ज किया है महाराज, इस बिल के अंदर जांच करने के लिये इंसपैक्टर जायेगा गांव के अन्दर और आज राजस्थान के अन्दर करीब ५० प्रतिशत से कम आदमी ऐसे हैं जो बगैर लिखे पढ़े हैं और फिर पूरी दुनिया की जानकारी है उसे वे नहीं जानते हैं और गांवों के अन्दर कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने गांव को छोड़ कर दूसरे गांव में भी नहीं गये हैं; ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो इन बातों को नहीं जानते होंगे। वहां पर इन्सपैक्टर जावेगा और दुनियां भर की धमकियें और परेशानियें बतावेगा और सबसे ज्यादा क्या काम होगा माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा रिश्वत का बाजार गरम होगा और इसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रिश्वत और सिफारिश ज्यादा होगी और परेशानियें पब्लिक को बढेंगी। क्योंकि हम लोग आज भी गांवों में यह नहीं जानते.....

**श्री उपाध्यक्ष**: आप गांवों की चर्चा करने लग गय।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**: उपाध्यक्ष महोदय, गांवों की बदौलत तो आज यह असेम्बली चल रही है, नहीं तो यह असेम्बली भी कैसे चलती ? गांवों में दुकानदार रहते हैं, गांवों में आदमी पैदा होते हैं, गांवों से नाज आकर हम लोगों को पालता है और गांवों के पीछे ही तो हम लोगों को आज २००) माहवार मिलते हैं। यह सब गांवों की बदौलत ही तो है।

(हंसी)

**श्री उपाध्यक्ष**: आप अपना भाषण शुरू रखिये।

**श्री मुक्तीलाल मोदी**: माननीय उपाध्यक्षजी, वे इन्सपेक्टर यह नहीं जानेंगे कि गांवों में कम तोल के बाट हैं या घिस गये हैं या दूसरे ठप्पे के जो कि दूसरी तरह के ठप्पे के होते हैं, आज राजस्थान सरकार में भी तीन-चार तरह के बाट मौजूद हैं इस वक्त भी..

**श्री उपाध्यक्ष**: सरकार के कितने ठप्पे हैं।

**श्री मुक्तीलाल मोदी**: जयपुर का अलग ठप्पा है, जोधपुर और उदयपुर का अलग है, अंग्रेजी का अलग ठप्पा है। ये अभी भी मौजूद हैं।

राजस्थान सरकार ने दो वर्ष पहले इस प्रकार का बिल पास किया था और उसके अनुसार इन्सपैक्टर भी हैं और दूसरे अधिकारी भी हैं और वे लोग अपनी तनख्वाह पा रहे हैं

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

मगर उनके पास काम कुछ नहीं है । सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि वे वेकार बैठे हैं और उनके पास काम कुछ नहीं है, यानी काम कुछ नहीं हो रहा है । यह सबसे बड़ी दुख की बात है । इसलिये यदि पंचायतों को यह अधिकार दे दिये जावें तो उससे आदमी को मालूम पड़ेगा कि किस आदमी के पास पूरे बाट हैं और कौन आदमी इतने साल के बाद अपने बाट बदलता है या नहीं । इन्सपेक्टर तो जावेगा या नहीं । या तो इससे रिश्वत का बाजार गर्म होगा या लोग जावेंगे उस समय वे लोग अपने बाट छुपा लेंगे और उनको मालूम नहीं पड़ेगा । उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इन्सपेक्टर कुछ भी नहीं कर सकेगा । चोरी ज्यादा बढ़ेगी, बेईमानी ज्यादा बढ़ेगी और जो काम सरकार करना चाहती है, वह नहीं पूरा होगा । वैसे ही मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आज पटेल है उनके बारे में जो नाजिम को अधिकार दिया गया है । मिसाल के तौर पर बता रहा हूं . . . . . . .

**श्री उपाध्यक्ष:** कौन सा विषय है ।

**श्री मुक्तिलाल मोदी:** यह जो इन्सपेक्टरों का विषय है । इन्सपेक्टरों को सारी बातों का अधिकार दिया गया है इसी तरह के दूसरे कामों के बारे में भी पंचायतों को अधिकार दिया जाना चाहिये मगर वे पंचायतों को न देकर किसी ऑफिसर को दिये गये हैं । उपाध्यक्षजी, पंचायतें चुनी हुई होती हैं । इसलिये या तो पंचायतों को हटा दिया जावे या जब सरकार पंचायतों को मान्यता देती है तो उसको ये पॉवर दिये जाने चाहिये ।

**श्री उपाध्यक्ष:** रूस में क्या व्यवस्था है ?

**श्री मुक्तिलाल मोदी:** रूस में पंचायतों और म्युनिसिपेलिटीज का ज्यादा अधिकार हैं । टैक्सों के बारे में, सरकार एक तरफ इनकम टैक्स लगाती है और बाकी के सारे टैक्स म्युनिसिपल और पंचायतें लगाती हैं । सरकार की तरफ से सेल्स टैक्स है जो म्युनिसिपेलिटी लगाती है ।

**एक माननीय सदस्य:** तोल के सिस्टम का क्या है ?

**श्री मुक्तिलाल मोदी:** जिस तरह से आप जानते हैं पंडित जवाहरलालजी नेहरू के विचार हैं, उन विचारों के साथ मैं सहमत हूं । मगर जो टैक्स राजस्थान सरकार लगाती है वे पंचायतों को देने चाहियें क्योंकि जब आप पंचायतों को अधिकार देंगे तो वे लोग गल्तियां नहीं करेंगे और करेंगे तो भी उसको सुधारेंगे क्योंकि जब वे गल्तियें करेंगे तो उनको मालूम होगा कि उन्होंने गल्तियें की हैं और उनको सुधारेंगे क्योंकि आगे के लिये उनको पब्लिक से वोट लेने होते हैं । इसके अलावा उनको जितनी जानकारी वहां की पब्लिक की हो सकती है दूसरे इन्सपेक्टर या अन्य किसी भी व्यक्ति को नहीं हो सकती । इसलिये मेरा राजस्थान के माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो बिल रखा है उसके अन्दर जो सरकार को पॉवर है इस बिल में पंचायतों को यह अधिकार रहने दिये जावें लेकिन जिस बिल के अन्दर पंचायतों के संबन्ध का बिल है उसके लिये पंचायतों को ज्यादा जानकारी में आने के लिये ज्यादा अधिकार दिये जाने चाहियें और अगर पंचायतों को अधिकार नहीं दिये और सरकार ने अपने हाथ में ही रखे तो भी इस बिल में यह एड करना चाहिये कि पंचायतों को भी अधिकार होगा और उस पर हमारा इन्सपेक्टर होगा दोनों चीजें भी सरकार कर दे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है । परन्तु सरकार सब चीजें अपने हाथ में रखे, यह तो उचित नहीं है । एक कागज को ६ दफा इधर से उधर बदल देना होता है ।

**श्री उपाध्यक्ष:** आप तो विषयान्तर हो रहे हैं ।

**श्री मुक्तिलाल मोदी:** ऐसी हालत में, माननीय उपाध्यक्ष, जो मैं निवेदन कर रहा हूं वह सब इसीलिये तो कर रहा हूं । मेरे अन्दर से आत्मा से आग निकलती है ।

**श्री उपाध्यक्ष:** आत्मा को मत बुलाइये, आप स्वयं बोलिये ।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : वह स्वयं बोलती है । उपाध्यक्षजी, आज इस तरह का जो बिल हाउस के सामने रखा गया है, उसके लिये मैं माननीय सदस्यों से आपकी मारफत यह निवेदन करूंगा कि आप इसको आज न पास कर के, कल करें और इस पर सोच विचार करें और उसके बाद हाउस में पास करें । इसमें आॅपोजीशन की तो क्या बदनामी है, ठीक है होती है मगर आपकी ज्यादा बदनामी होती है, क्योंकि आप ज्यादा तादाद में हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष**: Hon'ble Deputy Minister.

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** (उप मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं ऐसा समझता हूं कि यह ऐसा बिल है जिसमें लम्बी चौड़ी बहस नहीं होनी चाहिये थी, क्योंकि इसमें लंबी चौड़ी बातों में तथ्य नहीं है और मैं तो यह समझता था कि इस पर कोई बहस नहीं होगी और माननीय सदस्य जो अपने संशोधन यहां पेश नहीं कर सके उन्होंने इसको लेकर, माननीय भैरोंसिंह जी ने बहुत लंबी चौड़ी बातें कह डालीं ।

**श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ): माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन में किसी को नाम से नहीं पुकारा जाता है, उसकी कान्स्टीट्युएन्सी से पुकारा जाता है ।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल**: मैं खुद भी समझता हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य को कान्स्टीट्युएन्सी से पुकारा जावे, न कि नाम से, यही परम्परा है ।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल**: श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं, मैं समझता हूं कि इस में दिक्कत क्या है पहले भी इस प्रकार का एक्ट मौजूद है जो सन् १९५४ में पास किया गया और उसके अन्तर्गत नियम बने हुए मौजूद हैं । उसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से उनका पालन होगा और किस प्रकार से यह मशीनरी काम करेगी । ये सारी की सारी बातें वहां मौजूद हैं और जो कुछ भी इस एक्ट की तहत में काम करने वाली मशीनरी है और अभी तक सन् १९५४ के एक्ट की तहत में काम करते हुए चले आ रहे हैं, इन्सपैक्टर, सुपरिन्टेन्डेन्ट आदि काम करते हैं । इस प्रकार से मशीनरी बराबर चली आ रही है । आपको यह सजेशन देना चाहिये था कि जो मशीनरी काम कर रही है उसमें इस प्रकार से काम नहीं हो रहा है और उसमें इस प्रकार की शिकायत और करप्शन है । आमतौर पर आम बात को लेकर यह कह देना कि इससे भ्रष्टाचार फैलेगा यह तो मानने की बात नहीं हो सकती । मैं तो यह कहूंगा कि माननीय सदस्य हर चीज को इस माप दंड से देखते तो मैं कह सकता हूं कि इसके लिये हर व्यक्ति के लिये यह कहा जा सकता है । लेकिन मैं यह निवेदन करूं कि इसके अन्दर यह कहा गया है कि इसके बारे में यह कहा गया है कि इसको काग्नीजेबिल आॅफेन्स बनाना चाहिये, इस बारे में निवेदन है कि हमारा जो इन्डियन पीनल कोड है, उसमें प्रोविजन्स हैं । अगर कोई आदमी किसी नाप तोल को गलत तौर पर इस्तेमाल करता है, कोई गलत तरीके से तोलता है तो उसके खिलाफ प्रोविजन्स के आधार पर कार्यवाही की जाती है । उसको नान्कॉग्नीजेबिल बनाया है । आपने फरमाया कि यह तो उस वक्त बनाया जब कि अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने इसको बनाया, कुछ कारण, परिस्थितियां ऐसी हो गई है अब कि उसमें परिवर्तन करना चाहिये । यह दलील मेरे समझ में नहीं आयी । एक व्यवस्था शुरू से चली आ रही है, अब कोई ऐसे जीनस कारण नहीं है जिनके कारण नॉन्कॉग्नीजन्स आॅफेन्स को कॉग्नीजेन्स बनाया जाय : इंडियन पीनल कोड में, offences to certain properties, offences to certain persons ऐसा प्रोविजन है । इन आॅफेन्सेज को देखते हुए कॉग्नीजेबल बनाया है बाकी को नॉन्कॉग्नोजेबल बनाया है । एक आदमी तोल को ठीक तरह इस्तेमाल नहीं करता है, मेन्यूफेक्चर करने वाला है स्टेन्डर्ड वेट के अनुसार मैन्युफेक्चर नहीं करता है, नहीं बनाता है, रिपेयर करने वाला रिपेयरिंग में गलती करता है उन सारों के लिए यह कह देना कि उनको कॉग्निजेबल नहीं बनाया है इसलिये ठीक नहीं है, मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त नहीं है ।

# Page No.72



(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

आप इस ख्याल में हों कि एक आदमी बनाये, तकडी में बाट डालकर गवर्नमेंट किसी चीज को तुलवाती हैं वह ही इस्तेमाल होता हो, यह सही नही है । कई तोल हैं जिनको इस्तेमाल करना पड़ता है । ऐसी अवस्था में जो कुछ भी प्रावधान इसमें रखा गया है कि इन्सपैक्टर इस बात की जांच करेगा कि स्टेन्डर्ड वेट से क्या कम वेट है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या मेन्युफेक्चर करने वाला गलत तौर से कर रहा है, रिपेयर करने वाला ठीक तरह से रिपयर नहीं कर रहा है, वह इन सारी चीजों को देखेंगे और कार्यवाही करेगा । मैं यह निवेदन करूं और प्रावधान की ओर तवज्जह दिलाऊं कि जो मेन्युफेक्चर करने वाले हों, चाहे किसी से करायें, उसको गवर्नमेंट की सेट अप मशीनरी के पास जाकर स्टेम्प लगवानी पड़ेगी । छोटे वेट बनते हैं, कम तोल के बनते हैं जिनको स्टेम्प कराना पड़ता है, बहुत से ऐसे केसेज में, किलोमिटर या किलोग्राम हैं, ये छोटे २ मैंजर्स होते हैं जिन पर स्टाम्प नहीं लगाई जाती है, जिन पर स्टाम्प लगाने का कोई तरीका नहीं है उनको इससे एग्जम्प्ट किया गया है । दूसरी बात सबसे बडी इसके अन्दर कही गई है कि·····

**श्री पी. के. चोधरी** (फुलेरा): किलोग्राम एग्जेम्प्ट किया है स्टेम्पिंग से ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैं कहता हूं कि एग्जेम्प्शन्स ऐसे हैं for certain measures they cannot be stamped, then they will not be stamped.

**श्री भैरोंसिह**: These can be manufactured.

**श्री रिखचन्द धारीवाल**: Beg your pardon ?

**श्री भैरोंसिह**: स्टैम्प नहीं लगती है तो वह मैंन्युफैक्चर किया जा सकता है ।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : आपने कहा कि मेंन्यूफेक्चर किया जा सकता है लेकिन ऐसे एग्जेम्पशन्स रख कर एग्जंम्प्ट करना चाहते हैं और यह एक प्रकार से करप्शन करने का तरीका हो सकता है, इसलिये मैंने कहा कि वे ऐसे मैजर्स हैं जिन पर स्टेम्प नहीं लगेगी ।

**श्री भैरोंसिह**: स्टाम्प नहीं लगेगी, उनको मैन्यूफेक्चर कराया जा सकता है ।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : आप बतायें क्या तरीका हो सकता है ।

**श्री भैरोंसिह** : तरीका किसी से पूछे तो हो सकता है ।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, वे कुल ऐसे छोटे २ मैंजर्स है जिन पर स्टाम्प किसी तरह से लगाई नहीं जा सकती है, उनको एग्जेम्प्ट करने का है । यह नहीं है कि एक मन के बाट को एग्जेम्प्ट कर दिया जाय ।

**श्री पी. के. चोधरी** : आपने फरमाया कि किलोग्राम को एक्जेम्प्ट किया है ।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल**: छोटे २ जितने मेजर्स हैं, उनको एक्जेम्प्ट किया है ।

**श्री पी. के. चौधरी** : किलोग्राम को एग्जेम्प्ट किया है या नहीं ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : इसके बारे में रूल्स बनाये जावेंगे कि कोन २ से मैंजर्स होंगे ।

**ठा० मदनसिंह दांता** (दांता रामगढ़) : छोटे २ से ही गल्ती होती है, क्योंकि कितनी चीजें होती हैं छोटी २ से ही तुलती है ।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल**: प्रेक्टिक्ली वह नहीं किया जा सकता है, that is impossibility. You cannot possibly stamp a microscopic mea sure. How can you stamp it ?

**ठा० मदनसिंह दांता** : उपाध्यक्ष महोदय, ये चाहें तो बता सकते हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष**: एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं।

**ठा० श्री मदनसिंह दांता**: मिनिस्टर पूछ रहे हैं, इसलिये बता रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: Order ; Order ; The Minister will now not put any question to you.

**श्री रिखबचन्द धारीवाल**:—आपने यह भी कहा है कि जो लोग यह काम करेंगे, उनको बचाया गया है, उनके खिलाफ कोई श्यूट दायर नहीं होगा और इस प्रकार से यह कहा गया कि पहले इस बात को सेपरेट की गई है, अब यह मालूम हुआ है कि दरअसल जो इसके अन्तर्गत काम करते हैं उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस एक्ट के अन्तर्गत अथोरिटी दी गई है कि कोई आदमी सही तरीके से काम करता है तो उसके खिलाफ कोई श्यूट नहीं लाया जावेगा। लेकिन जो मैलाफाइडी से करता है तो वह इससे वंचित नहीं है। इस एक्ट का यह मतलब निकाला कि जो मैलाफाइडी से काम करता है उसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है, यह उचित नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट, इन्सपेक्टर काम करते हैं, गुड फेथ में काम करते हैं उनके खिलाफ कोई श्यूट नही होगा। यदि यह प्रूव किया जाय कि मैलाफाइडी किया है तो प्रोसिक्यूशन हो सकता है, बचाने का सवाल ही नहीं है।

इसके बाद यह कहा गया कि रूल्स हमारे सामने आते नहीं हैं। जितने रूल्स बनाये जाते हैं यहां आते हैं यहां रखे जाते हैं यह इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है। पहले भी रूल्स बने हुए हैं। पहले जितने मैजर्स एक्ट के लिए रूल्स बने थे, वे सब हमारे सामने मौजूद हैं। वे रूल्स बनेंगे, in consonance to the provisions of this Act.

एक बात यह कही गई कि लाइसेन्स फीस का इसमें प्रावधान नहीं है। यह भी नहीं बताया गया कि कितनी होगी या अधिकार देने के बाद फीस बढा दी जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि ये माइनर चीजें हैं जो एक्ट में नहीं बतायी जाती हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो रूल्स से ही गाइड होती हैं। प्रोसीजर इसमें बता दिया गया है। कोई मेन्युफेक्चर करेगा, सेल करेगा, रिपेयर करेगा, उसकी जो लाइसेन्स फीस होगी वह देनी होगी और वह क्या होगी समय समय पर यह दूसरी चीज है।

इसके बाद बहुत जोर से यह कहा गया कि नाप तोल के औजारों में जो बेचने वाले हैं या मेन्युफेक्चर करने वाले हैं उनके ऊपर पेनल्टी में कोई फर्क नहीं है। मैंने इसको खूब गौर से देखा है और मैं समझता हूं कि कुछ जगह ऐसी पेनल्टी लगाई है जो मनी के रूप में हो सकती है, फाइन के रूप में हो सकती है, ऐसी पेनल्टी भी हो सकती है जिनमें सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। दोनों ही हैं, फाइन और सजा हो सकती है। आशंकायें बतायी गयी लेकिन जो अलग अलग प्रकार की पेनल्टियां इसमें बतायी गई हैं, प्रसक्राइब की गई हैं, मेरे ख्याल में वे न्याय-संगत हैं और उनमें तरमीम करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को लेते हुए यह कहा गया कि जो कुछ भी बात होगी, जो कुछ भी इसके अन्दर बताया जायगा, एक नया डिपार्टमेन्ट खोल दिया है और नया डिपार्टमेन्ट खोल करके उसके अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। मैं कहता हूं कि यह डिपार्टमेन्ट एक अर्से से काम रहा है। इसके लिये अलग से डिपार्टमेन्ट कायम करने की आवश्यकता नहीं। पुराना जो मैजर्स एक्ट है उसके प्रावधान भी इस एक्ट में मौजूद हैं। उन प्रावधानों में कुछ तरमीम करके कन्सोलीडेट फॉर्म में इसको यहां रखा जा रहा है ऐसी अवस्था के अन्दर ऐसी कोई बात नहीं इन पॉवर्स का मिसयूज होगा। इस बारे में कोई उदाहरण सदन के सामने नहीं रखे गये कि फलां फलां जगह इसका मिसयूज हुआ है। एक यह भी बात कही गई कि ग्राम पंचायतें जो होती हैं उन पंचायतों के मार्फत कोई आदमी इस प्रकार के ओफेन्स करता है तो पंचायत के जरिये सजा मिलनी चाहिये, यह न करके इस में राज्य सरकार की मशीनरी के जरिये कार्यवाही करने का प्रावधान है।

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

मैं निवदन करूंगा मैजर्स के बारे में स्टैंडर्ड वट्स के बारे में जहां तक होता है किसी टेकनिकल आदमी के जरिये ही उनकी जांच हो सकती है जिसको हरेक आदमी नहीं कर सकता । गलत तरीके से अगर कोई तोलता है तो उसके लिये इन्डियन प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत सजा मौजूद है उस पर किसी प्रकार कार्यवाही नहीं कर सकते, यह बात नहीं है । ऐसी अवस्था के अन्दर जो कुछ भी प्रावधान रखे गये हैं व सोच समझ कर रखे गये हैं और काफी विचार करके रखे हैं । जो रूल्स वगैरह बनाये जायेंगे, प्रचलित रूल्स है वे तो दिखाये हुए हैं उसके अलावा एक्ट के प्रोवीजन के अनुसार रूल्स बनाये जायेंगे तो हाउस के सामने आयेंगे ही, ऐसी अवस्था के अन्दर मेरा निवेदन है कि इस बिल को पारित किया जाय ।

**श्री भैरोंसिह** : On a point of clarification Sir.

उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज २१ जो है वह लेवी ऑफ फीस के बारे में है 'The state Government may charge such fees as details given below.."

मैं इस संबंध में उपाध्यक्ष महोदय यह चाहता हूं, इस क्लॉज द्वारा हम लेवी ऑफ फीस कर रहे हैं, वैसी हालत में यह बिल मनी बिल की तारीफ में आजाता है । जब यह मनी बिल की तारीफ में है तो इस सम्बन्ध में मैं माननीय उप मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि इसमें गवर्नर का परामर्श लिया गया है या नहीं ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा, यह मनी बिल की तारीफ में नहीं आता । इसलिये इसमें गवर्नर की पर्मीशन लेने की आवश्यकता नहीं है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं, इस पर गवर्नर की आज्ञा है ।

**श्री मदनसिंह** : तब मन्त्री महोदय कैसे कहते हैं आज्ञा की जरूरत नहीं ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : आपके ऑब्जेक्शन मीट करने के लिये आज्ञा ले ली गई ।

**श्री मदनसिंह** : क्या इसके इन्ट्रोडक्शन के पहले ली गई या बाद में ?

**श्री उपाध्यक्ष** : पहले ही ले ली गई थी ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वेट्स एण्ड मैजर्स (एन्फोर्समेन्ट) बिल, १९५६ को पारित किया जाय ।

(मतदान के पश्चात् 'हां' पक्ष जीता)

**श्री भैरोंसिह** : 'ना' पक्ष जीता ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप डिवीजन चाहते हैं ।

**श्री भैरोंसिह** : जी हां ।

**श्री उपाध्यक्ष** : It is just an invitation to the other members.

(विभाजन घंटी के पश्चात् पुनः)

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है . . . .

**श्री भैरोंसिह** : उपाध्यक्ष महोदय, इन माननीय सदस्यों को यह बता दीजिये कि किस बिल पर मत लिये जा रहे ह क्योंकि ये सो कर आये हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप इसकी चिन्ता न करें । किसी को बतलाने की आवश्यकता नहीं ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वेट्स एण्ड मेजर्स (एनफोर्समेन्ट) बिल, १९५६ को पारित किया जाय ।

(विराम)

**रा. प्रेमिसेज कंट्रोल आफ रेन्ट एण्ड एविक्शन संशोधन विधेयक १९५८**

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

३.३७ माप

विधेयक पारित किया गया

राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ़ रेन्ट एण्ड एविक्शन) संशोधन विधेयक, १९५८ (विचारार्थ एवं पारित)

**श्री रामकिशोर व्यास** : (गृहमंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ़ रेन्ट एण्ड एविक्शन) संशोधन विधेयक, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(विराम)

(स्वीकृति)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

**श्री भैरोंसिह** : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को विचारार्थ लेने से पूर्व मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस बिल की हिन्दी प्रतियां नहीं दी गई, इसलिये हिन्दी जानने वालों के लिये यह समस्या है।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं आपकी जानकारी के के लिये निवेदन कर दूं हिन्दी की प्रतियां दे दी गई हैं। इसके अलावा यह विचारार्थ ले लिया गया है इसलिये अब स्थिति दूसरी ही है।

**श्री रामकिशोर व्यास** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ग्राफ रेन्ट एण्ड एक्विक्शन) संशोधन विधेयक, १९५८ को पारित किया जाय।

(विराम)

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

**राजस्थान गोदाम विधेयक, १९५८**

(प्रवर समिति को निर्दिष्ट)

३.४० माप

**श्री नाथूराम मिर्धा** : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान गोदाम विधेयक, को विचारार्थ लेने के लिये मैंने पहले ही प्रस्ताव कर दिया था।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, श्री तनसिंह।

**श्री तनसिंह** (बाडमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव यह है,

"That the Rajasthan Ware Houses Bill, 1957, be referred to a Select Committee (the names to be announced later) which shall submit its report in the first week of the next session."

उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून ऐसा कानून है जिसको यदि बिल्कुल गौर से देखा जाय तो यह प्रतीत होता कि इसमें इतनी जगह खाली है कि जिसमें सरकार चाहे जितने ए. बी. सी. भर सकती है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि सरकार जो कुछ भी बातें चाहे, इसमें रख सकती है। इतने पावर्स इसमें रखे हैं इसीलिये इस कानून में प्रेसक्राइब्ड शब्द का उदारतापूर्वक प्रयोग किया गया है। इसके स्टेटमेंट ग्राफ ग्रोब्जेक्टस् एण्ड रीजन्स में भी यह बातने की कोशीश नहीं की। ३५ क्लॉज का यह बिल है जिसमें ४५ जगह कम से कम प्रेसकाईब्ड शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका नमूना क्लॉज ६ में आपके सामने रखता हूं। क्लाज ६ में है:

"Every licence granted under section 5 shall be valid for the prescribed period, and may, on application and payment of the prescribed fee, be renewed from time to time by the prescribed authority and for the prescribed period."

एक दूसरा इसी तरह का नमूना है क्लॉज २३ को देखेंगे तो मालूम होगा।

Page No.76



(श्री तनसिंह)

"The prescribed authority may, on application made in the prescribed manner and on payment of the prescribed fee, issue licences to persons possessing the prescribed qualifications..........."

अब इसके बाद में २४ वां क्लॉज और देख लीजिये ।

"Every licence granted to a weigher, sampler or grader under section 23 shall be valid for the prescribed period and may, on application and payment of the prescribed fee, be renewed from time to time for the pre cribed period by the prescribed authority."

और यह तो मैंने चार २ बार प्रेस्क्राइब्ड शब्द का प्रयोग किये हैं व उदाहरण दिये हैं । बाकी दो दो और तीन २ बार जिनमें यूज किये गये हैं, ऐसे क्लॉज तो कई हैं और ऐसा तो कोई क्लॉज नहीं कि जिसमें कम से कम एक आध बार प्रेस्क्राइब्ड शब्द न आ गया हो ।

एक क्लॉज २९ तो ऐसा है कि जो इसे प्रेस्क्राइब्ड शब्द के बार बार प्रयोग से और भी अधिक रोचक बन गया है ।

"An appeal against any order of the prescribed authority refusing to grant or renew a licence or suspending or cancelling any such licence inrespect of a warehouseman shall be made to such authority and within such time as may be prescribed."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आरिजिनल आर्डर आने वाला है जिस की ओर से आने वाला है वह भी प्रेस्क्राइब्ड आथोरिटी है । उसकी जो अपील जिसके पास जाने वाली है वह भी प्रेस्क्राइब्ड ओथोरिटी है । न पुत्र का जन्म है और न पुत्री का और ये उनका विवाह कराने जा रहे हैं । (हंसी) तो मेरा मतलब यह है कहने का आपने जो कानून बनाया है और जिसे हमारे पास आप लाये हैं पास कराने को, तो हम यह तो जानना चाहेंगे कि आपकी वह प्रेस्क्राइब्ड आथोरिटी क्या होगी, आपका वह प्रस्क्राइब्ड मैनर क्या होगा और बिना इन सबके जाने हुए हम कैसे इस स्थिति में हो सकते हैं कि इसे अच्छा होते हुए भी पास करें । जब तक यह हमें स्पष्ट रूप से मालूम नहीं होता कि सरकार की मंशा क्या है । केवल इतना कह देना कि राजस्थान वेअर हाउस बिल के ओब्जक्ट्स और रीजन्स में हमने यह दिया है कि "programme of planned development of co-operative processing and marketing of such commodities, इनको बढाने और इनकी तरक्की के लिये यह प्रावधान रक्खा है ।

लेकिन मेरा यह निवेदन है कि केवल इस दृष्टिकोण को देखते हुए कि क्यों कि हमें प्लान्ड इकोनोमी पर चलना है और कुछ एग्रीकल्चरल कोमोडिटीज के लिये प्रिजर्वेशन की व्यवस्थाएं करनी हैं तो इस दृष्टिकोण से देखा जावे तो खेद के साथ कहना पड़ेगा कि इसमें किसी भी प्रकार से कामयाबी नहीं हो सकेगी । इसका कारण यह है कि सरकार ने इस बिल में यह नहीं कहा कि हम सरकार की ओर से इस प्रकार के कोई वेअर हाउसेज बनाने जा रहे हैं । और जब तक यह नहीं किया जाता तब तक केवल प्राइवेटली चलाये जाने वाले वेअर हाउसेज को रेस्ट्रिक्ट करना उचित नहीं हो सकता, न लाभदायक भी हो सकता है । उनके लिये लाईसेन्स आप रख रहे हैं जिसकी फीस चार्ज करना भी जरूरी है और इसके अलावा और भी कितनी ही बातें हैं जो खर्च के तौर पर उन पर आवेंगी, जिनकी डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा तो यह सब चीजें ऐसी है कि जो आप विकास करना चाहते हैं यह आपका कानून उसके विपरीत जायगा । वे लोग हतोत्साहित होंगे क्योंकि आप इस तरह से तो उनके रास्ते में कई प्रकार के रोड़े अटकाने जा रहे हैं ।

अब डिटेल में जाऊं उससे पहले कुछ ऐसी बातें में निवेदन कर दूं जो इसमें ग्लैयरिंग डिफैक्ट्स की तरह हैं । अब क्लाज ८ (d) है । इसमें लाईसेन्स के लिये बताया गया है कि एवरी लाइसेन्स

"Every licence granted under section 5 or renewed under section 5 or renewed under section 6 shall be

(श्री तनसिंह)

liable to be suspended or cancelled by the prescribed authority if in its opinion the warehouseman has made unreasonable charges for the services rendered by him,...."

यह सस्पेन्शन और कैन्सलेशन के लिये बताया जा रहा है, डी म दिया है ।

"....has made unreasonable charges for the services rendered by him, or...."

तो अब यह अनरीजनेबल चार्जेज की बात कही गई पर इसको भी सारे बिल में कहीं भी प्रेस्क्राइब करने की बात नहीं है। अब वे अनरीजनेबल चार्जेज क्या होंगे, कुछ पता नहीं। एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक चीज रीजनेबिल हो सकती है, और वही चीज दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से अनरीजनेबल हो सकती है और इसी के सब-क्लॉज (जी) में लिखा है

"on any other prescribed ground."

यह तो बताया गया है 'ए' से 'जी' तक। और भी हैं जिनका स्पष्टीकरण नहीं है। अब वे प्रेस्क्राइब होंगे क्लॉज के मुताबिक। अब आप यह बता रहे हैं कि इन कारणों से कैन्सल किया जा सकता है तो फिर यह भी क्यों नहीं बता रहे हैं कि जिनको आप रूल्स के अन्दर प्रेस्क्राइब करना चाहते हैं, वह भी यहां बताते। अगर यह बताना नहीं चाहते तो फिर इनको भी बताने की क्या आवश्यकता थी। तो मेरा निवेदन करना यह है कि सरकार के पास कोई स्पष्ट चीज नहीं है, इसलिये गोलमाल चीज सदन के सामने रखकर इसे पास कराना चाहते हैं। आप फिर धीरे धीरे उनको डवलप करेंगे। जब धीरे धीरे डवलप करेंगे तो उस समय क्या सुझाव हम दे सकेंगे यह स्पष्ट नहीं है। बल्कि यह समझाना चाहिये कि वे रूल्स हमारे सामने आवेंगे ही नहीं। आज इस अवसर पर जो कुछ कन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वही कर सकते हैं। दूसरी बात इस क्लॉज के (ई) में लिखी है।

"has in any other manner become incompetent to conduct such warehouse,"

अब जब आपने ऊपर बहुत सी बातें स्पष्ट कर दी हैं कि वह इन्सालवेन्सी की कोर्ट में जाकर दरख्वास्त दे दे या वेअर हाउस को बेच दे तो इस तरह से एनुमरेट कर दें, तो यह पाबन्दी लगानी आवश्यक नहीं जब कि वह स्पष्ट है

"has in any other manner become incompetent to conduct such warehouse;"

तो इन दूसरी ग्राउन्ड में सब चीजें आ जाती हैं पर ऐसी बैक ग्राउंड को लेकर बिल में इस प्रकार की गुंजाइश रख रहे हैं कि जिससे सरकार उन पर अननेसेसरी कन्डीशन्स इम्पोज़ करके जो लाभ होने वाला है उस लाभ को रोक लेंगे

अब एक बात क्लॉज ९ में है ।

"Before passing an order for cancellation or suspension under section 8, the prescribed authority shall give notice to the warehouseman stating the grounds on which it is proposed to cancel or suspend his licence and calling upon him to show cause why it should not be cancelled or suspended."

अब इसके बाद में अपील का जहां तक सवाल है कोई पाबन्दी नहीं है और इसके अन्तर्गत मैं तो एक और बात भी निवेदन करूंगा आपसे कि जहां कहीं भी इस बिल को देखें हमें लेकूना ही लेकूना मिलता है। क्लॉज १० है जहां वाइन्ड अप करने का सवाल है। सरकार आदेश देगी कि इस समय के अन्दर इस वेअर हाउस को वाइन्ड अप कर दें। लेकिन अगर वह नहीं कर सके तो क्या होगा, यह इसमें नहीं है ।

लाइसेन्स कैन्सल हो गया तो वेअर हाउस का क्या होगा और कमोडिटीज को किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जावेगा, यह साफ नहीं है ।

आगे डुप्लीकेट लाइसेन्स के लिये कहा गया है कि वहां भी प्रेस्क्राइब फीस ली जावेगी । पहले भी फीस का प्रावधान है । वहां मैं समझता हूं कि डटकर वे फीस लेंगे कम से कम दो सो, ढाई सो लेलेंगे । पर अगर वह गुम गया और डुप्लीकेट की आवश्यकता पड़ी तो फिर यह चीज रख दी गई है गोलमाल की जो प्रेस्क्राइब्ड फीस होगी वह ली जावेगी ।

# Page No.78



(श्री तनसिंह)

पर वह फीस क्या होगी । यह बताने तक की भी हिम्मत सरकार में नहीं । इसको तो स्पष्ट रख सकते थे कि एक रुपया होगी, दो होगी या पांच या सात होगी । यह तो स्पष्ट है कि इसके लिये कोई दो सो, ढाई सो की फीस लगाने से रहे । इनका इतना भी डिसाईजिव माइन्ड नहीं कि दुबारा लेने वाले से क्या लेंगे ? इसके बाद में एक क्लॉज पेनल क्लॉज रखा गया है और उस पेनल क्लॉज में एक हजार रुपये का जुर्माना रखा गया है। अब वह हजार रुपया जुर्माना होगा चाहे इस कानून के अन्तर्गत बडे से बड़ा अपराध कर दिया जाय और वही एक हजार रुपया, एक साधारण से साधारण अपराध कर दिया जाय उस पर होगा इसके सिवा और कोई पैनल क्लॉज नहीं है। अब आप देखेंगे उपाध्यक्ष महोदय, एक क्लॉज १२ है :

"Every warehouseman shall take such care of the goods deposited with him as a man of ordinary prudence would take of his own goods under similar circumstances and conditions.

अब मान लीजिए एक आदमी जो उसकी पूरी निगाह रखता है, वैसे रखनी ही चाहिए लेकिन कोई कोर्ट उसको डिलीजेन्स वगैरह को देखते हुए यह होल्ड कर ले कि इसने पूरा ध्यान नहीं रखा है तो उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना हो जायेगा। अब जिसके पास लाइसेन्स नहीं है, उसके ऊपर भी एक हजार रुपया जुर्माना हो जायेगा। मैं आपको उदाहरण बताऊं जिसकी मुझे याद आती है। एक वैद जो सभी बीमारियों के लिए एक ही औषधि देता था। चाहे किसी को निमोनिया हो गया है तो भी एक ही औषधि है और चाहे किसी को डिसेन्टरी हो गई है तो भी एक ही औषधि है। हमने एक पेनल क्लॉज रख कर के उन लोगों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय किया है जो कि साधारण अपराध करते हैं। हमने सारा का सारा काम कोर्ट्स पर ही छोड़ दिया है कि कोर्टस ही तय करें कि अपराध का जो मुद्दा है, कितना है और कितना जुर्माना होना चाहिए। लेकिन कोर्ट्स की गाइडेन्स के लिए ऐसी बात देनी चाहिए जिससे कि कोर्ट को यह अन्दाजा लग सके कि लेजिस्लेचर की क्या मंशा है।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, क नवीन बात है और वह यह है कि यहां एक तोलने वाला व्यक्ति है उसको एक अलग लाइसेन्स लेना पड़ेगा और जो बिना लाइसेन्स तोल करेगा, उस पर भी एक हजार रुपया का जुर्माना होगा। अब उसके साथ में खास तौर से यह बात बैठेगी। समझ में नहीं आता कि जहां तोलने की बात आई है क्लॉज २३ और २४ में एक और वेअरहाउसमैन का उत्तरदायित्व दे रहे हैं कि यदि किसी प्रकार से प्रोपर्टी डिटेरिओरेट हुई उसका उत्तरदायित्व स्वयं वेअरहाउसमैन पर है। अब उसकी वैल्यू किस तरह डिटेरिओरेट होगी या तो वह मोईस्चर ले ले। तो उसके वजन को तोलने के लिए वह स्वयं नहीं तोलेगा बल्कि उस व्यक्ति के पास जायेगा जो कि तोलने का लाइसेन्स लिए हुए है। कई ऐसी भी कमोडिटी हो सकती हैं जो बहुत जल्दी खराब होने वाली हों। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि इस कानून को तैयार करने में सरकार ने बहुत ज्यादा गम्भीरता से विवेचन नहीं किया है और इसका परिणाम यह निकलेगा कि आज आप एक ऐसा कानून पास कर देंगे जिसको बारबार या तो अमेन्ड करना पड़ेगा या फिर बाद में इसके लिए पछताना पड़ेगा। आप देखिये क्लॉज १५ में :

"If the depositor does not, within a reasonable time, comply with a notice given to him under sub-section (1), the warehouseman may cause the goods to be removed from the warehouse and sold by public auction at the cost and risk of the depositor."

एक डिपोजीटर अपना सामान जमा कराता है और वेअरहाउसमैन है वह नोटिस देता है कि तुम अपना सामान हटा लो और वह खराब होने वाला है तो संयोग से ऐसा भी हो सकता है कि डिपोजीटर नहीं आये या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि वह बहुत दूर रहता हो और पहुंचने में समय लग सकता है तो ऐसी परिस्थिति में रीजनेबल टाइम के बाद में पब्लिक आक्शन करा देंगे। अब रीज़नेबल टाइम क्या होगा यह मुश्किल की

(धर्मनरसिंह

चीज हो जाती है और खास तौर से उस व्यक्ति के लिए जो कि इतना बड़ा झमेला पब्लिक आक्शन के लिए करेगा। साथ ही साथ निर्णय करने वाले के लिए बड़ा मुश्किल हो जायेगा। तो यह हमें स्पेसिफाई करना चाहिए था।

दूसरे इसमें एक बड़ा भारी झमेला पैदा होता है। सेक्शन १५ के सब-क्लॉज़ (३) में है कि कोई आदमी वेअरहाउसमन को यह इत्तिला कर दे कि सामान में मेरा हिस्सा है और तुम इस हिस्से का ध्यान रखना। तो उस समय वेअरहाउसमैन के ऊपर यह लाज़िमी है कि उस इन्फार्मेशन को एक रजिस्टर में रखे और उसका ध्यान रखे। अब मान लीजिए कि वह डिपोज़ीटर जिसका कि सामान खराब हो रहा है उसको नोटिस देता है कि तुम्हारा सामान खराब हो रहा है और इसकी कीमत नीचे जा रही है और इसका मेजरमेंट कम हो रहा है या बढ़ रहा है और मान लीजिए कि वह डिपोज़ीटर नहीं आता है और पब्लिक आक्शन करके सारा का सारा रुपया रख लेते हैं अब वह व्यक्ति उस रुपये को जो पब्लिक आक्शन से आया उसे किस को देगा। यह बड़ा मुश्किल है। मैंने सारे बिल को देख लिया। इसमें कहीं भी नहीं है कि जहां यह व्यवस्था दी गई हो कि रुपया वह किस को देगा। इसमें यह बात लिखी हुई है "एट दी कास्ट एण्ड रिस्क आफ दी डिपोज़ीटर" लेकिन कास्ट एण्ड रिस्क तो उसकी होगी लेकिन जो रुपया वसूल होगा उसका क्या होगा वह किस को दिया जायगा क्लॉज़ १५ के सब–क्लॉज़ (३) में भी व्यक्ति वह आता है जिन्होंने कि वेअरहाउसमैन को यह इत्तिला दी है कि मेरा भी हिस्सा है और जो रुपया वसूल हुआ है वह इन्फार्म करने वाले व्यक्ति को भी दिया जाय। इसका परिणाम यह होगा कि मुकदमें होंगे। एक आदमी जो डिपोज़ीटर की बिना स्वीकृति के सीधे ही वेअरहाउसमैन को इत्तिला कर देता है कि मेरा भी हिस्सा है उस व्यक्ति को भी यह रुपया दिया जा सकता है। तो वेअरहाउसमैन के सामने ऐसी बंदिश आती है कि वह रुपया किस को दे डिपोजिटर को दे या उस व्यक्ति को जिसने उसको इन्फार्म किया है। जब इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो निश्चित रूप से उसके सामने चारा यही है कि या तो दावा करके पैसा वसूल करले या फिर आपस में राज़ीनामा करके। हो सकता है कि रज़ामन्दी में और भी घाटा उठाना पड़े। पहले तो उसको पब्लिक आक्शन में ही घाटा पड़ेगा और फिर रज़ामन्दी में भी घाटा उठाना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में एक ओर इस व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहते हैं वहां दूसरी ओर इस मार्ग मे रोड़े ही अटकेंगे। मैं क्लॉज़ १७ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

"For the purpose of sub-section (1) and (2) of section 16 and sub-section (1) of section 15, loss of weight or bulk by dryage or shrinkage within the prescribed limits and gain in weight by absorption of moisture within such limits shall not be deemed to amount to deterioration."

यह तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि श्रंकेज एण्ड ड्राईएज की डिटेरिओरेशन तारीफ में नहीं लिये गये हैं लेकिन अब आप यदि क्लॉज १५ के एक्स्प्लेनेशन को देखे तो उसकी सब–क्लॉज (१) में लिखा है कि—
"Loss of weight or bulk by shrinkage or dryage or gain of weight or bulk by absorption of moisture shall be deemed to amount to deterioration within the meaning of this sub-section, if the loss or gain exceeds such limits as may be prescribed."
जहां एक ओर तो उसी बिल के अन्दर १७वीं क्लॉज में तो कहते हैं कि इस तरह का श्रिंकेज आर ड्राइएज डिटेरिओरेशन की तारीफ में नहीं आएंगे और दूसरी क्लॉज के अन्दर, क्लॉज १५ के अन्दर इसे कुछ लिमिट तक माना है तो मैं समझ नहीं सकता कि इस प्रकार से एक कानून में ही कन्ट्राडिक्टरी बातें देखते हैं। वे स्पष्ट नहीं है तो इसका नतीजा यह होगा कि भिन्न २ ढंग से वह इन्टरप्रेट किया जायगा।

(श्री तनसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, अठारहवीं क्लॉज में कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन बताया गया है कि हर व्यक्ति जो अपना सामान वहां जमा करेगा उसके लिए लाजिम होगा कि वह अपने माल का बीमा कराये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बीमे को जो व्यवस्था है, यह बीमे का जो ढंग है और कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन में यह हमें बहुत नुक्सान दे सकता है। आपको मालूम होगा कि मोटर वेहीकल्स में भी इस तरह से कम्पलसरी इन्श्योरेंस होता है। उसका परिणाम क्या होता है कि एक ओर तो जहां कंपनी को रुपया खूब जाता है। हर मोटर का कम्पलसरी इन्श्योरेंस होने के कारण लेकिन उसके बहुत कम एक्सीडेंट हुआ करते हैं और यदि एक्सीडेंट भी हो जाय तो बहुत कम रुपया है कि वह लोगों को मिलता है। लेकिन जहां तक वेयर हाउस का सवाल है मोटर वहीकल्स में जो एक्सीडेंट होते हैं वे ही बहुत कम हैं, लेकिन वेअरहाउस में तो .००१ या .००४ परसेन्ट तक एक्सीडेंट होने की संभावना है, और उस एक्सीडेंट होने की संभावना के विरुद्ध नहीं इतना कम रुपया मिलेगा उसके बदले में इन्श्योरेंस कंपनी को कि अनाप शनाप रुपया जुदा जुदा रूप में देते रहेंगे। तो इस प्रकार से यह क्लॉज १८ है। जहां तक इस में बीमें की व्यवस्था है, उसका लाभ देखने की बात है कि वहां दरअसल में बिगड़ता है क्या कुछ? इसलिये मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि कम्पलसरी इन्श्योरेंस का जो प्रावधान है वह, बिल्कुल अनुपयुक्त है। होना यह चाहिये क्योंकि वेयर हाउस में बहुत कम आग लगने की संभावना रहती है, और आग लग जाय तो सारी रेसपान्सिबिलिटी उस व्यक्ति पर डालते हैं कि जो व्यक्ति इसका स्टोरेज रखता है और एक दूसरे व्यक्ति को इन्श्योरेंस कंपनी को इतना लाभ देकर, वास्तविक लाभ उठाना चाहते हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटीज का तो मैं नहीं समझ सकता कि वह किस तरह से प्राप्त हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कन्सेशनल रेट्स के बारे में भी बतलाया है और वह कोआपरेटिव सोसाइटी के लिये है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव सोसाइटी यदि उसमें कुछ स्टोरेज करती है तो, अच्छा है उन्हें करना चाहिये, उन्हें कुछ कन्सेशन रेट देते हैं। लेकिन उनके और दूसरे के बीच फर्क रखने का कोई कारण नहीं है। फर्क तभी रखा जाना चाहिये जबकि वेयरहाउस स्वयं गवनमेंट रेन्डर करती हो। यदि कोई प्राईवेटली मेनेज्ड इन्स्टीट्यूशन वेयरहाउस रेन्डर करती है तो उनके ऊपर बन्दिश नहीं लगानी चाहियें, और यदि लगाते हैं तो इसका परिणाम दूसरा पडेगा। प्राइवेट व्यक्ति हैं, वह जो लोग सामान रखेंगे उनके ऊपर उनका असर पड़ेगा। इसलिये जहां कोआपरेटिव सोसाइटी को कन्सेशनल रेट पर देना चाहते हैं वहां दूसरी ओर उन लोगों पर उसका प्रभाव पडेगा।

इसके अतिरिक्त मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि यह दूसरे लाइसेन्सेज हैं वेअरर्स, सेम्पलर्स और, गर्डर्स वगैरह, हैं, यह बिल्कुल ही अननेससरी हैं, और केवल इसमें सरकार का पैसे बटोरने का दृष्टिकोण है कि उसने लाइसेन्स देकर फीस लेने की व्यवस्था कर रखी है। बाकी और कोई सवाल नहीं है। बाकी मैं समझता हूं कि इससे बहुत ज्यादा गड़बड़ पैदा होगी और जो लाभ मिलने वाला है उसको बहुत नुक्सान पहुंचेगा।

अब इसके अतिरिक्त एक और रोचक बात है कि वेअरहाउस में हर डिपोजिटर को रसीद देगा। यदि डिपोजिटर रसीद खो देता है तो उसके बाद में डुप्लीकेट रसीद पाने का अधिकार है, लेकिन वेअर हाउसमैन को क्लॉज २८ में ऐसा अधिकार दिया है कि वह एडिशनल कन्डीशन इम्पोज कर सकता है।

"If a receipt is lost, destroyed, or damaged, the warehouseman shall on application by the depositor and payment by him of the prescribed fee, issue a duplicate receipt on such conditions as he may think fit to impose, being conditions included in rules for the purpose."

अब रसीद के अन्दर जो कन्डीशन्स पहले शुरू में नहीं थी जब कि मूल में आपने जब रसीद दी लेकिन जब दूसरी बार रसीद लेने गया तो उस वक्त इन रूल्स के अन्दर चाहे पहले ओरीजनल मसौदे के अन्दर यह बात नहीं थी, लेकिन रूल्स के अन्दर यह दिया हुआ है तो

(श्री तनसिंह)

बाद में एडिशनल कन्डीशन्स इंपोज की जा सकती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कन्डीशन बिल्कुल बेकार है। केवल मात्र डुप्लिकेट रसीद लेने के लिये यह कन्डीशन इम्पोज करना बिल्कुल गलत है, और संभवतया किस मन्शा से रखा गया है यह भी स्पष्ट नहीं है।

इस के अतिरिक्त—

"Every contract or agreement which it inconsistent with the provisions of this Act, or the rules, shall to the extent of such inconsistency, be void."

अब एग्रीमेन्ट और कान्ट्रैक्ट जो है वह सारा वायड होगा, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? कई ऐसी बातें हो सकती हैं कि जिनको कन्टम्प्लेट इस समय नहीं कर रहे हैं। ऐसी बात हो सकती है कि आज इस कानून के अन्तर्गत यह मान लें कि वेअर हाउस मेन वेअर हाउस चला नहीं रहा और उसके कारण यदि कोई कान्ट्रेक्ट या एग्रीमेंट हुआ और वह इस कानून के किया होगा, और क्योंकि वह नहीं चला रहा है, तो वह लागू न हो एक विचित्र सी समस्या पैदा होती है, मेरे खयाल से वह खुद करके पैदा करने की क्या आवश्यकता है।

सबसे विचित्र बात यह है कि क्लॉज ३४ में यह है कि:—

"The State Government may, by notification in the official gazette, or reasons to be recorded, exempt any person from all or any of the provisions of this Act."

मैं नहीं समझ सकता कि सरकार क्लाज़ ३४ रखकर किन के ऊपर अपनी कृपा करने का विचार रखती है? मैं समझता हूं कि कानून के रूह से यह जरूरी है कि इस तरह के वेअर हाउसेज़ बनाना बहुत लाज़मी है और लाज़मी के अन्दर ठीक तरह से व्यवस्था होनी चाहिए जिसके नियम बनाये हैं। उन्हीं नियम में और इस कानून से किसी खास वेअर हाउस को एक्जम्प्ट कर देते हैं तो समझ में नहीं आता कि कानून के बनाने का अभिप्राय क्या है। सारे राजस्थान में लागू नहीं करके कुछ लोगों पर लागू करें और जो ऐसे हैं जिन पर हम समझते हैं कि हमारी कृपा है वहां उन लोगों पर लागू नहीं करें तो यह बात डिस्क्रिमिनेटरी होगी, और यह क्लाज़ स्वयं इतनी खराब है कि उसको यहां से हटा दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, इसकी जो पोलिसी या जो इसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स हैं उसके अनुसार जो लाभ करना चाहते हैं वह इस कानून के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है हम किसी एक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर दें तो लाभ नहीं हो सकता बल्कि कुछ कन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम पर चलना पड़ेगा और वह कन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम कहीं भी नहीं है अगर हम कहीं रेस्ट्रिक्टिव और डेस्ट्रिक्टिव प्रोग्राम को लेकर चलें तो न तो उत्पादन हो सकता है और न प्रिजर्वेशन हो सकता है और न उसके हमें कोई लाभ मिल सकता है। जब कि गवर्नमेंट स्वयं आज कोई वेअरहाउस नहीं बना रही है और कन्डीशन्स फिक्स करके लगाती है और उसके अनुसार यदि वेअर हाउस बनने वाले हों और उनके ऊपर जो चेक लगाते हैं तो वे निरुत्साहित होते हैं तो सरकार को उनका स्थान लेकर वेअर हाउस बनाना चाहिये। और जब तक स्वयं सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं होती कि अपनी ओर से वेअर हाउस बनायेंगी उन पर भी वे रूल्स और नियम लागू होंगे तब तक न तो उससे कोई वास्तविक लाभ हो सकता है और न जिस लक्ष्य को लेकर चला गया वह पूरा होगा। हम केवल उन लोगों के काम में कुछ बाधा डालना चाहते हैं जो कि आज खुले रूप में चल रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यदि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के अन्दर भेजा जाय तो बड़ी गम्भीरता से इसका अध्ययन हो सकता है और उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है और सदन के सामने भेजा जा सकता है वहां कुछ हैल्दी क्रिटिसिज्म और कुछ कन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी आ सकते हैं जिसके आधार पर जो बिल हम पास कर रहे हैं उस बिल में कुछ विशेषता आ सकती हैं और जो वास्तव में हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं।

यह बात बताना क्योंकि कानून बहुत जरूरी है और जल्दी से पास किया जाना चाहिए

# Page No.82



(श्री तनसिंह)

माननीय अध्यक्ष, यह बहुत पुरानी दलील हो गई है, और मैं समझता हूं कि अब इस दलील में कोई जोश नहीं रहा। इसलिए मंत्री महोदय को इस बात के लिए ओपन माइन्डेड रहना चाहिए कि इस प्रकार के किसी कानून को जिससे कि सदन का समय जाता हो उसको सिलक्ट केमटी में रेफर करें तो उससे ज्यादा हो सकता है, और विशेषतया वह कानून जिसका कि असर ग्राम जनता पर और ग्रामीण जनों पर पड़ता है। यदि कहा जाय कि जल्दी में पास कर दिया जाय तो लाभ होगा तो मैं समझता हूं कि इससे कई झगड़े और टन्टे पैदा हो सकते हैं अत आवश्यकता यह है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करूं कि हमारे यहां यदि सदन का एक घंटा भी लिया जाता है और उसके बदले सिलेक्ट कमेटी के १० घंटे भी लिये जाते हैं तो वे बराबर नहीं पड़ते हैं। यदि आप केलकुलेशन करें तो हमारे यहां १ मिनट में करीब ३३ रुपये खर्च पड़ते हैं और एक सैंकड में आठ आने से ऊपर पडते हैं। अब यह बिल यदि सलेक्ट कमेटी को जाता है और एक घंटा हमारा लिया जाता है तो ४४० रुपयों का नुकसान होता है। ये तो मैंने सिर्फ भत्ते ही भत्ते की बात सोची है। इसके अलावा कितने ही कागज सर्कूलेट होते हैं उन पर खर्चा होता है, छपाई और दूसरी चीजों पर खर्चा होता है, स्टाफ वगरह का खर्चा नहीं लगाया है। हमारे समय का इस तरह से यहां पर वेस्टेज होता है। सिलेक्ट कमेटी में जाने से हमारे समय का सदुपयोग हो सकता है। सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद उसका गौर से अध्ययन करेंगे, उसमें थोड़े लोग बैठते हैं वहां पार्टीबाजी का भी सवाल नहीं है, यहां पर मंत्री जी भी कोई बात मानने में झिझकेंगे। लेकिन वहां पर इस प्रकार की चीज नहीं रहेगी और कोरिडियल एटमोसफियर होता है, इसलिये मैं समझता हूं कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात को स्वीकार करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये।

**श्री बहादुरसिंह** : मेरा पृथक-प्रस्ताव है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : दोनों ही प्राइडेन्टिकल प्रस्ताव हैं, आप चाहें तो अलग मत करने के बजाय उसके फेवर में बोल सकते हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : इनका प्रस्ताव नहीं है, कब आया ?

**डॉ० चन्द्रकला** : सिलेक्ट कमेटी के लिये जो प्रस्ताव आता है, उसके लिये नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : नोटिस की आवश्यकता है।

**डॉ० चन्द्रकला**: आप रूल्स देख लीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : Yes, allowed.

**श्री बहादुरसिंह (धौलपुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है वह इस प्रकार का है कि हमारे व्यापारी जो व्यापार करते हैं उन पर इसका प्रभाव पडता है, जैसे कपास तिलहन आदि का जो व्यापार करने वाले हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा इसलिये इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि इससे हमारे यहां के व्यापारियों पर क्या असर पड़ने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह तो मालम ही है कि गांवों में भी इस प्रकार का व्यापार, लोग करते हैं और छोटा सा व्यापार चलाते हैं और छोटे छोटे गांवों के लोग अपने यहां पर चीजें इकट्ठी करके शहरों में ले जाते हैं। यहां पर इस बिल में प्रोविज़न है कि यदि इस तरह से छोटा व्यापार करने वाले लोग भी लाइसेन्स नहीं लेंगे तो वे जुर्म के भागी हो सकते हैं। मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार के लोगों को रियायत देने के लिये इसमें व्यवस्था होनी चाहिये थी, जिससे साधारण लोग भी व्यापार करते रहते और उनको कोई दिक्कत नहीं होती।

यह बात ठीक है कि आप वेअर हाउसेज़ को साइन्टिफिक तरीके पर चलाना चाहते हैं। लेकिन यदि इनको साइंटिफ़िक तरीके पर चलाना चाहते हैं तो कोओपरेटिव बेसिस

(श्री बहादुरसिंह)

पर चला सकते हैं, इसमें ऐतराज़ नहीं है। लेकिन आप कानून की बिना पर व्यापारियों को बांध लेते हैं इसलिये व्यापारी आप के कानूनों से परेशान हैं आपने पिछले दिनों एक क़ानून पास किया था और फिर दूसरा पास किया और इसी प्रकार सेल टेक्स आदि दूसरे कानूनों से भी वे लोग बंधे रहते हैं। यदि एक और क़ानून बन गया तो व्यापारी बड़ी परेशानी में पड़ जायेंगे।

मेरा दूसरा निवेदन यह था कि लाइसेन्स की प्रथा तो आपने डाली पर लाइसेन्स लेने के लिये कोई व्यवस्था नहीं होती। लाइसेन्स फ़ीस क्यों होगी, ५ रु० होगी, १० रु० होगी या ५० रु होगे या क्या होगी। इसी तरह सीक्योरिटी की बात आती है। छोटे व्यापारी क्या सिक्योरिटी देंगे। इसी तरह रिटर्न देने की बात है। जो लोग देहात में व्यापार करते हैं वे लोग क्या रिटर्न देंगे। इसलिये छोटे व्यापारियों के लिये यह व्यवस्था होनी चाहिये कि उनको इससे मुक्त किया जा सके। जहां यह अधिकार दिया गया है कि लाइसेन्स देने वाले व्यक्ति को कि यदि किसी प्रकार की कमी देखे तो वह उसके लाइसेन्स को समाप्त कर सकता है। यह ठीक है कि लाइसेन्स समाप्त किया जा सकता है यदि किसी प्रकार का जुर्म करे तो लेकिन जहां एक व्यवस्था करदी है कि किसी इर्रेगुलेरिटी के आधार पर लेकिन यह समझ में नहीं आया कि इर्रेगुलेरिटी के आधार क्या होंगे? यह निर्धारित करदें कि इन इन बातों पर लाइसेन्स समाप्त कर दिया जायगा। इसके अतिरिक्त दूसरी बातें आई तो बड़ी अड़चन में व्यापारी पड़जायेंगे।

इसी प्रकार की बात तोलने वालों के बारे में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक जाति विशेष है। कोली उनका काम ही तोलने का है। वे खास कर के गल्ला तोलने का काम करते हैं। अब उन को वह कहेंगे कि तुम लाइसेन्स लो वे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वे क्या लाइसेन्स लेंगे और नहीं लेंगे तो उनका काम नहीं चल सकता। इसलिये उनके लिये लाइसेन्स की बार समाप्त करानी चाहिये खास कर उन ग़रीबों के लिये जिनका मुख्य धंधा ही तोलने का है, ये गरीब तोलने पर ही आश्रित हैं, इसलिये लाइसेन्स की प्रथा को समाप्त करना चाहिये। इसको प्रवर समिति को सौंपने का मतलब विशेष कर यह था कि इसमें जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है और छोटे छोटे व्यापारी भड़सार का काम करते हैं उनको राहत मिल सकेगी फ़ीस वग़ैरह के बारे में भी अपना कटु अनुभव है इसलिये फ़ीस निश्चित करनी चाहिये। यदि विधान सभा द्वारा फ़ीस निश्चित की जायगी तो निश्चित ही वह रीज़नएबल फ़ीस होगी। फ़ीस निश्चित करना उचित होगा। स्पष्ट होना चाहिये कि फ़ीस क्या होगी। तोलने के लाइसेन्स का जो प्रावधान है उसको समाप्त करना चाहिये, क्योंकि उससे ग़रीबों को नुक्सान होगा। इसलिये मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसमें थोड़ी बहुत जो कमियें हैं उनके बारे में प्रवर समिति में अच्छी तरह से सोचा जा सकता है इसलिये इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करने की बात मानलें।

४।१८ म.प.

(डॉ० चन्द्रकला, सभानेत्री, पदासीन)

**श्री प. के. चौधरी (फुलेरा)** : मैं इस बिल को प्रवर समिति में सौंपने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इसका समर्थन करने की कई वजह हैं, एक वजह यह है कि मुझे लगता है कि इस बिल को डिपार्टमेन्ट ने बड़ी जल्दबाज़ी से बनाया है और उसका सबूत यह है कि पुरःस्थापित होने के साथ साथ ही डिपार्टमेन्ट की तरफ़ से अमेन्डमेन्ट आ गया है। सही माने में मैं समझता हूं इनकंसीव प्रडक्ट है डिपार्टमेन्ट और मिनिस्ट्री का।

दूसरी बात इसके जो ओब्जेक्ट्स हैं वेअर हाउस के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि इसे समझने की डिपार्टमेन्ट ने या मिनिस्ट्री ने कोशिश नहीं की या उनकी समझ में नहीं आया। इसके ओब्जेक्ट्स में बताया है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिये फ़िसिलिटिज़ फोर स्टोरेज और प्लॉन्ड डवलपमेन्ट और मार्किटिंग के लिये बनाया जाता है। लेकिन इन दोनों चीज़ों की इम्पोरटेन्स कितनी है और इनका डेवलपमेन्ट वेअर हाउसेज़ पर कितना डिपेन्ड करती हैं मैं समझता हूं इसकी महत्ता या इंपोरटेन्स या अहमियत को मिनिस्टर साहब ने रियलाइज़ नहीं किया है।

Page No.84



(श्री पी. के. चौधरी)

आज हिन्दुस्तान की एग्रीकल्चर डवलपमेन्ट की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के डवलपमेन्ट की सबसे बड़ी कठिनाई हमारे सामने है, सबसे बडा आब्सटिकल है, वह आज तक एग्रीकल्चर क्रेडिट का है, कृषि ऋण का है। काश्तकारों को क्रेडिट नहीं मिलता है। आज क्रेडिट का सवाल सबसे बड़ा है। वेअर हाउसिंग है, मैं मानता हूं कि ६५ पर्सेन्ट वेअर हाउस डवलपमेन्ट चाहते हैं, वे क्रेडिट एक्सपेन्शन करना चाहते हैं। इस बारे में रिजर्व बैंक ऑफ़ इन्डिया ने भी किया है। उसने कहा है कि रूरल क्रेडिट का डवलपमेन्ट उतना नहीं हो पा रहा है, जितना हमें करना चाहिये। उसकी ही वजह है कि आज हम देखते हैं कि हमारा जो क्राइटेरिया है क़र्ज़ा देने का, लोन्स देने का क्राइटेरिया है, वह क्राइटेरिया क्रेडिट वरजीनेस का रखा है, क्रेडिट वरजीनेस के लिये मेटिरियल सिक्योरिटी रखी है, वह कितनी सिक्योरिटी दे सकता है। आज कल गांव में मेटिरियल सिक्योरिटी का इन्तज़ाम है, उसका जो लैंड है, इससे ज्यादा उसके पास कोई सिक्योरिटी का इन्तज़ाम नहीं है। तो वह ज़मीन की सिक्योरिटी देगा और पैसा लेता है, वह लौग टर्म डवलपमेन्ट के लिये है। आज एग्रीकल्चर के डवलपमेन्ट के लिये शोर्ट टर्म क्रेडिट, कोल मनी का इन्तज़ाम नहीं है। उस की वजह से सबसे बड़ी दिक़्क़त है, वह हम महसूस करते हैं, वेअर हाउसिंग सिस्टम है, जो विज़ुलाइज़ करता है, उसकी तरफ़ देते हैं तो आप वेअर हाउसिंग का डवलपमेन्ट कर पायेंगे। शोर्ट टर्म डवलपमेन्ट के लिये क्रेडिट, कोल मनी का डवलपमेन्ट, आज से १०० टाइम ज्यादा हो सकता है, इसलिये वेअर हाउसिंग को लाना चाहते हैं, पेश करना चाहते हैं। इसका डवलपमेन्ट कैसे होगा, उसको कैसे विज़ुलाइज़ करते हैं, उसको एग्रीकल्चरल एक्सपर्टस कैसे देखते हैं, उसका मैं आप से ज़िक्र करना चाहता हूं जो इस बिल में भी है। वेअर हाउस की जो रिसीट होगी वह नेगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट होगी। मैं आपका ध्यान क्लॉज़ २७ की तरफ आकर्षित करता हूं। उसमें लिखा है :

"The receipt issued by a warehouseman shall unless it is otherwise specified thereon, be transferable by endorsement and shall entitle the lawful holder thereof to receive the goods specified in it on the same terms and conditions as the original depositor."

यानी जो बिल पेश कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य, उसका पाइवोटल पाइन्ट है, वह क्लाज २७ है और उसके अन्दर है कि वेयर हाउसिंग की जो रिसीट्स होगी उनको निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट बनाना चाहिये उससे क्या होता है ? उससे क्रेडिट एक्सपेन्सन हो सकता है। ऐसा होता है कि वेअर हाउस में हम १० मन अनाज रखते हैं, १० मन की क़ीमत १०० रुपये होती हैं, उस अनाज की रसीद आपको दे दी, आप उस रसीद को दूसरे आदमी को देकर १०० रुपये ले सकते हैं। मैंने १०० रु० लिये, तो क्योंकि सीद निगोशियेबल इन्सट्रूमेंट है, वह रसीद में तीसरे आदमी को दूंगा और तीसरे आदमी से १०० ले लूंगा इस प्रकार १०० रु० के अनाज पर १००० रुपये का ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं इससे भी ज्यादा क्विक ट्रान्सफ़र होगा, हैन्ड टू हैन्ड, उतना ही फ़ायदा होगा और इस प्रकार क्रेडिट एक्सपेन्शन होगा। हमारे डवलपमेन्ट के लिये जो ख़ास सवाल है वह क्रेडिट एक्सपेन्शन का सवाल है। हम वेअर हाउसिंग बिल के जरिये नेगोसियेबिल इन्स्ट्रूमेन्ट क्रियेट करना चाहते हैं, जिससे क्रेडिट एक्सपेंशन हो जाय और एग्रीकल्चरल डवलपमेन्ट के लिये, जिसे शोर्ट टर्म मनी कहते हैं, ६ महीने के लिये, एग्रीकल्चर के लिये, बीज ख़रीदने के लिये, और चीज़ लाने के लिये, बलद ख़रीदने के लिये शोर्ट टर्म मनी इसमें से मिलता है, काल मनी मिलता है। यह प्रावीज़न इसमें रखा है कि अनाज वेजीटेबल्स, फ्रूट्स वेअर हाउसेज में रख सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि फ्रूट्स को डिपोजिट रखना चाहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में ज्यादा नहीं पैदा होता है, उसका मकसद यह नहीं है कि, इसका मकसद यह है कि फ्रूट्स डिपोजिट कर के रिसीट लेकर पैसा ले सके और दूसरे काम कर सके। इसे कॉल मनी कहते है....

**श्री नाथूराम मिर्धा** : माननीय सदस्य कहें कि कहा पैसे का जिक्र आता है?

**श्री पी. के. चौधरी** : इसमें प्रावीज़न है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : आप दिमाग से निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट बना रहे हैं, इसका जिक्र नहीं है।

**श्री पी. के. चौधरी** : आप क्लॉज़ २७ को देखिये।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : आप इसको ध्यान मे देखिये।

**श्री पी. के. चौधरी** : आपने नहीं बताया, लेकिन मतलब यही निलकता है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मतलब आपके कहने से नहीं होता है।

**श्री पी. के. चौधरी**: क़ानून में निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट होना चाहिए।

**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय सदस्य, परस्पर वार्तालाप न करें।

**श्री पी. के. चौधरी** : मेरा निवेदन है कि आपका बिल है उसका परपज़ तब तक सर्व नहीं होता है जब तक कि एग्रीकल्चर के लिये निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट न बना सके। हम वेअर हाउसेज़ चाहते हैं लेकिन वेअर हाउस इस वजह से हों कि क्रेडिट एक्सपेन्शन हो, नहीं तो वेअर हाउसेज़ की जरूरत नहीं है। वेअर हाउसेज में अनाज, फ्रूट्स रखने की वेजिटेबल्स रखने की जरूरत नहीं है, उसके लिये तो स्टोर हाउस बना सकते हैं। रिसीट को ट्रान्सफ़रेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रान्सफ़रेबल इस लिये बनाते हैं कि निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट बने, जैसे हुंडी होती है, जैसे बैंक ड्राफ्ट होता है, वैसे ही वेअर हाउसेज़ की रिसीट को हम निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं . . .

**श्री नाथूराम मिर्धा** : अभी तो आप फ़र्मा रहे थे कि निगोशियेबल इन्सट्रूमेन्ट है, अब आप चाहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिये।

**श्री पी. के. चौधरी** : आप इन्टरप्रेट कर रहे हैं कि निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट नहीं है, जो ट्रान्सफरेबल होता है, वह निगोशियेबल होता है।

**श्रीमती सभानेत्री** : मैं माननीय मन्त्री जी, से निवेदन करूंगी कि वे आपस में बहस न करें।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं माननीय सभानेत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य सोच कर, बिल को समझ कर, देख कर भाषण करें, तो उसके लिये न तो इतना कहने की आवश्यकता है और न फालतू बातों का जवाब देने का मौका मिलेगा।

**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय मंत्री को जवाब देने का मौका मिलेगा, उस वक्त जवाब दे सकते हैं। उनकी बात पहले आप सुन लें।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : बात सुन रहा हूं, समय का सवाल है।

**श्री भैरूंसिंह** : आपको समय की चिन्ता नहीं करनी चाहिये, माननीय चेअरमैन स्वयं देख लें। आप चिन्ता से दुबले क्यों होते हैं?

**श्री पी. के. चौधरी** : मेरे ख्याल में माननीय मंत्री जी ने इस बिल को समझा नहीं। मैं समझता हूं कि इस बिल को लाने का मकसद है, वह हमारे एग्रीकल्चर क्रेडिट को एक्सपेन्शन के लिये तैयार करने के लिए है, मैं समझता हूं इस बिल में जो प्रोवीजन रखा है, उसका परपज सर्व नहीं होता है। सबसे पहले जो वेअर हाउसेज का सिस्टम रखा है, वह प्राइवेट बेसिस पर है, प्राइवेट बेसिस पर वेअर हाउसेज बनेंगे और उसमें लोग बाग डिपोजिट करेंगे। मैं समझता हूं कि प्राइवेट इन्डीविजूअल द्वारा वेअर हाउसेज बनाये जायेंगे, तो वेअर हाउस की जो रिसीट होगी, उस पर लोगों का कभी कान्फीडेन्स नहीं होगा। अगर उस रिसीट को निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं, तो निगोशियेबल

(श्री पी. के. चौधरी)

इन्स्ट्रूमेंट तब ही बना सकते हैं, ट्रान्सफर ऑफ रिसीट तब ही हो सकती है, जब लोगों को कान्फीडेन्स हो। जैसे किसी बिजनेस फर्म का बिल होता है, वह ट्रान्सफरेबल होता है, निगोशियेबल बिल होता है, जब उसके ऊपर लोगों का कान्फीडेन्स हो, तब ही होता है। इसी प्रकार फारिन ट्रेड है, बिल एक्सचेंज होते हैं, पैसे से ट्रान्जेक्शन नहीं होता है, बिल भेज देते हैं, उसने पेमेन्ट हो जाता है। इसी प्रकार गुड्स की डिलीवरी हो जाती है। यह भी एक किस्म का क्रेडिट है, उसमें करेन्सी का एक्सपेन्शन न करके क्रेडिट का एक्सपेन्स कर लेते हैं और ज्यादा ट्रान्जेक्शन कर लेते हैं। यह बिल लाया जा रहा है, इसी वजह से लाया जा रहा है, यह एग्रीकल्चर डवलपमेन्ट के लिये जरूरी है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिये ज़रूरी है। अगर हम यह मक़सद हासिल करना चाहते हैं तो हमको ऐसे वेअर हाउस बनाने चाहिये। उसकी रिसीट नेगोशियेबल हो और जिस के ऊपर लोगों को कान्फीडेन्स हो। यह होगा तो डिपोजिट रखेंगे, उस डिपोजिट की रिसीट लेकर, दूसरों को देंगे, दूसरा आदमी उसे करेन्सी नोट जैसा मानेगा, इस प्रकार इसका असली मक़सद है, उसे कर सकेगा और एग्रीकल्चर डवलपमेन्ट के लिये शोर्ट टर्म क्रेडिट, काल मनी प्राप्त कर सकेगा। हमारे सामने जो प्रोबलम है एग्रीकल्चरल डवलपमेन्ट की, एग्रीकल्चरल क्रेडिट की, जो सबसे बड़ी प्रोबलम है, प्रॉक्टीकल है, उसको हल कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि यह बिल जल्दी-बाज़ी से बनाया गया है, यह इनकम्पीटेड बिल है, इसलिये इसको सिलैक्ट कमेटी में जाना चाहिये और यह जो पहलू मैं आपके सामने रख रहा हूं जो बिल मेकर्स का, मिनिस्टर इन्चार्ज का मक़सद है, अगर वेअर हाउसेज नेगोशियेबल नहीं होंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस बिल का कोई मतलब नहीं है, इस बिल को सभा द्वारा पारित नहीं करना चाहिये क्योंकि इसको लाने के बाद उसके इम्प्लीमेन्टेशन में जो तकलीफ होगी, जो डिफ़िकल्टीज़ हमारे सामने आयेंगी, जो एक्जरसन करेंगे, जो एफर्टस करेंगे, उसका रिटर्न इस माफ़िक नहीं होगा, प्रपोरशनेटली नहीं मिलेगा। इसलिये मेरी जो दलील है, वह माननीय मन्त्री महोदय के क्लेरीफ़िकेशन के बाद और मजबूत होती है, सिलैक्ट कमेटी में जाने की जैसा मन्त्री महोदय बताते हैं रिसीट नेगोशियेबल नहीं होगी, तो मैं समझता हूं मेरी दलील और मजबूत होती है। मैं वाक़ई समझ गया हूं कि रिसीट निगोशियेबल है, क्योंकि जिस भाषा में रखा है, जो ट्रान्सफर का एन्डोर्समेन्ट है, तो निगोशियेबल होती है, ट्रान्सफ़र मुफ्त में नहीं कर देते हैं। वेअर हाउस १० मन अनाज लेते हैं तो उसकी रिसीट माननीय मेम्बर ट्रान्सफर नहीं कर देंगे जब तक वह पैसा नहीं देगा····

तो आगे एन्डोर्समेन्ट पैसा दिया जाता है उस रिसीट से उस गुड्स की डिलिवरी मिल जाती है तो वह निगोशियेबल होती है पर मन्त्री महोदय कहते हैं कि निगोशियेबल नहीं है तो जरूरी है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जाय। यह सिस्टम है एग्रीकल्चर के डवलप करने का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रिसीव करने का, इसके लिये हमें वेअर हाउसेज को इम्प्रूव करना चाहिये। आज रिजर्व बैंक ने कह दिया कि हम लोन्स देने को तैयार नहीं, वेअर हाउसेज डवलप करिये ताकि हम लोन्स दें, इन वेअर हाउसेज में गुड्स डिपोजिट करा के बैंक से लोन ले सकते हैं। जो वेअर हाउस इस ढंग से, अच्छे ढंग से बनायेंगे तो उस रिसीट से डिपोजिट वहां होता है, उस रिसीट पर कर्जा भी ले सकते हैं।

मेरा निवेदन है कि वेअर हाउसेज की रिसीट की सैंक्टिटी है वह तभी होगी जब कि वेअर हाउसेज का मैनेजमेंट प्राइवेट पार्टीज को न देकर या तो सरकार अपने हाथ में रखे, या कॉओपरेटिव सोसाइटीज फार्म करके उनको वेअर हाउसेज का मैनेजमेंट दे और उनकी तरफ से रिसीट दी जाय; तब उसकी क्रेडिट एक्स्पेन्शन के लिये सैंक्टिटी प्राप्त हो सकती है।

दूसरी बात जैसे मैंने कहा इस रिसीट को एक तो प्राइवेट रखा है जिससे जितना क्रेडिट, जितना कान्फीडेन्स आप लोगों का होना चाहिये उतना नहीं होता और साथ साथ क्लाज में रखा जाता है, क्लाज ८ की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं····

**श्रीमती सभानेत्री** : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगी कि वे समय की सीमा का ध्यान रखें ।

**श्री पी. के. चौधरी** : माननीय सभापति महोदय, यह एक बहुत इम्पोर्टेन्ट बिल है, और मैं समझता हूं इसके हर एक पहलू पर बोलने का मौका देंगे । जल्दबाजी करना और इसे जल्दबाजी में पास कर देना ठीक नहीं होगा, ड्यू कन्सिडरेशन मिलना चाहिये । यह एक बहुत इम्पार्टेन्ट बिल है, इस पर हर एक माननीय सदस्य को बोलने का पूरा मौका देना चाहिये ।

तो सभापति महोदय, इसमें क्लाज ८ है, इसमें बताया गया है कि किस किस हालत में सस्पेन्शन होगा, केवल यही नहीं, इसके दूसरे भी इम्प्लीकेशन्स हैं, इसमें (बी) में यह बात है:

"has parted, in whole or in part, with his control over the warehouse."

ऐसे आदमी को वेअर हाउस मिलेगा जो अपने नाम से ट्रान्सफर कर सकेगा ।

(*c*) has ceased to conduct such warehouse, or

(*d*) has made unreasonable charges for the services rendered by him, or

(*e*) has in any other manner incompetent to conduct such warehouse.

(*f*) has contravenced, or failed to comply with, any of the terms of the licence or any of the provisions of the Act and the rules, or"

मेरे कहने का मतलब यह है कि जो कन्डिशन्स रखी जाती हैं उनका नतीजा यह होगा कि जो लाइसेंस देने जा रहे हैं उनमें यह खामिया रहेंगी, वे अपने नाम से ट्रान्सफर कर देंगे, चार्जेज गलत देंगे । आज जो लाइसेंसी हमारे होंगे, वेअर हाउसमैन होंगे, उनमें तमाम ये खामियां रह सकती हैं । और हम इस प्रिजम्प्शन पर चलते हैं कि जो भी लाइसेंस देने जा रहे हैं, उनमें यह खामियां रहेंगी तो वेअर हाउसेज की रिसीट को जो सेंक्टिटी मिलनी चाहिये वह नहीं मिलेगी ।

८ का प्रोविजन जो किया जा रहा है उसमें आप प्राइवेट आदमी का वेअर हाउस रखना चाहते हैं, और वह वेअरहाउस किस तरह का होगा, इसकी कल्पना करें तो उसमें इतनी अधिक अकोमोडेशन होगी कि हर एक इन्डिविज्युअल का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उसमें डिपोजिट होगा, और हर एक व्यक्ति का वेराइटी आफ प्रोडक्ट है वह अलग अलग रहेगा, उसका इन्डेन्ट मेन्टेन करना होगा, उसको मेन्टेन करने का इसमें प्रोविजन है, एक गांव के अन्दर हजार किसान हैं, उनका अलग अलग वेराइटी का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मेन्टेन करने का प्रोविजन उसमें होगा, इसका मतलब है कि उसमें बहुत बड़ा एकोमोडेशन रहेगा, इट विल बी ए बिग एस्टेब्लिशमेंट और यह कोई मामूली आदमी नहीं चला सकता । और इसका नतीजा यह होगा कि जिन महाजनों के हाथ से, जो कि तस्कर हैं, उनके हाथों से गांव के गरीब आदमियों को आप और हम छुड़ाना चाहते हैं उनको इन महाजनों के हाथ में ये वेअर हाउसेज दे कर छोड़ देंगे और सरकार की ओर से उन महाजनों को उन गरीब लोगों को लूटने का पट्टा दे देंगे । गांवों के गरीब लोगों को इन महाजनों के कर्ज से छुड़ाने के लिये विलेज इन्डेब्टेडनेस का कानून बनाया, और कानून बनाये विलेज के डेब्ट के सवाल को हल करने के लिये कानून बनाये और दूसरी तरफ, वेअर हाउसेज बना कर, कौन इन वेअर हाउसेज को बनावेगा, गांव के गरीब आदमी इनको मेन्टेन नहीं कर सकते, इसमें कितना बड़ा एस्टेब्लिशमेन्ट रहेगा, रिसीट का अलग रहेगा, इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट रहेगा, पंचायतों के सरपंच या दूसरे मामूली आदमी वह एस्टेब्लिशमेंट नहीं रख सकते, इसमें लाइसेंस उसी को मिलेगा जिसमें कि इसको चलाने की केपेसिटी है, इसको बनाने की केपेसिटी है, जिसमें केपेसिटी है इतना बड़ा वेअरहाउस बनाने

Page No.88



(श्री पी० के० चौधरी)

के लिये, इसमें महाजन लोग ही आगे आयेंगे, और डेट इन्डेब्टेडनेस कानून बनाने से महाजनों का धंधा बन्द हो गया है, उनको मौका मिलेगा वेअर हाउसेज बनाने का और अपने रुके हुए पैसे को इन्वेस्ट करने का और इस प्रकार, जिन महाजनों के चंगुल से गरीबों को निकालने के लिये इतना शोर किया, कानून बनाये, उनको दूसरे जरिये से, वेअर हाउसेज के जरिये से महाजनों के चंगुल में डालेंगे।

**श्री नाथूराम मिर्धा** (कृषि मन्त्री): माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने न तो इस बिल को अच्छी तरह से पढा है, न देखा है और न समझा है बिलकुल इरिलेवेन्ट ढंग से बोल रहे हैं।

**श्रीमती सभानेत्री**: मैं सोचती हूं माननीय मन्त्री महोदय माननीय सदस्य के लिये ऐसा नहीं कह सकते। आप उनकी बातों को सुनलें और जवाब देते समय उन बातों का उत्तर दे दें।

**श्री नाथूराम मिर्धा**: मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि इस सदन का समय काफी अमूल्य है।

**श्री पी. के. चौधरी**: इसका ख्याल सब को है, हम को भी इसका ख्याल है।

**श्रीमती सभानेत्री**: मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगी कि उन्हें समय का ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पर और भी माननीय सदस्य अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं, उन्हें भी समय तो मिलना चाहिये।

आप ५ मिनिट में अपनी बातों को कह दें।

दूसरा इसका जो क्लाज १५ है उसमें

**श्रीमती सभानेत्री**: माननीय सदस्य जब क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन हो उस समय भी इस पर कह सकते हैं। इस समय तो माननीय सदस्य को जनरल बातें ही कहनी चाहिये।

**श्री पी. के. चौधरी**: इसमें कहा गया है;

"*Goods deteriorating in warehouse and their disposal.*—(1) Whenever goods deposited in a warehouse deteriorate from causes beyond the control of the warehouseman, he shall forthwith give notice of such deterioration to the depositor, requiring him to take delivery of the goods immediately, after surrendering the receipt duly discharged and paying all charges due to the warehouseman."

इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान इस क्लॉज के सब-क्लाज (३) की ओर आकर्षित करता हूं– "Any person having an interest in any goods deposited in a warehouse or in the receipt for such goods may inform the warehouseman in writing of the fact and nature of his interest, and the warehouseman shall keep record thereof; and if such person requests in writing that intimation be given to him regarding the condition of goods and agrees to pay the charges for giving such intimation, the warehouseman shall give him intimation accordingly," इसके अलावा क्लॉज २७ में आपने एण्डोरस्मेंट के जरिये रिसिप्ट को ट्रान्सफरेबल रखा है और जो एण्डोरस्मेंट के जरिये से उसको रिसिप्ट करेगा वह पहले तो उसका खर्चा देगा और फिर सामान लेगा। मैं समझता हूं कि जिस मकसद से यह ट्रान्सफरेबल की बात इस क्लॉज में रखी है वह परपज गवर्नमेंट का डिफिट होता है।

दूसरी बात मैं आपका ध्यान क्लॉज १७ की तरफ आकर्षित करता हूं, इसमें यह लिखा गया है।

"Liability of warehouseman for shortage or excess in goods stored.

(1) For the purpose of sub-section (1) and (2) of section 16 and sub-section (1) of section 15, loss of weight or bulk by dryage or shrinkage within the prescribed limits and gain in weight by absorption of moisture

(श्री पी० के० चौधरी)

within such limits shall not be deemed to amount to deterioration'

इस क्लॉज में आगे (३) में यह लिखा गया है :

"If there is any shortage in the goods stored in a warehouse by dryage or other causes beyond the control of the warehouseman the warehouseman shall not be responsible thereof".

इसमें यह रखा गया है कि जो लौस होगा वह वेअर हाउसमैन के कन्ट्रोल के बाहर होगा जैसे सूख से या मौसम की खराबी से होगा तो वह उसके कन्ट्रोल के बाहर की बात होगी इस प्रकार की कन्डीशन रखी गई है। तो मैं समझता हूं कि कोई आदमी अपना सामान रखने के लिये तैयार नहीं होगा। इसके अलावा दूसरी बात आपने यह रखी है कि मामला आगे आथोरीटीज को अपील में रेफर किया जा सकता है।

इसके अलावा आपने इन्शयोरेन्स का प्रोविजन रखा है। उसमें आपने फायर, थेफ्ट, रेन आदि का प्रोविजन रखा है लेकिन डिटेरिओरेशन का कोई प्रोविजन नहीं रखा है। जैसे एक माननीय सदस्य ने कहा कि फायर वगैरह कभी लग जाती है इसके लिये एग्रीकल्चरिस्ट के हित में है, मैं इस बात को समझता हूं और इस बात से सहमत हूं मैं यह नहीं कहता कि इन्श्योरेन्स नहीं होनी चाहिये, मैं तो कहता हूं कि होनी चाहिये लेकिन जो डिटिरिओरेशन का कम्पेन्सेशन है वह डिपोजीटर को मिलना चाहिये। आपने डिपोजीटरों को देने के लिये कुछ प्रोविजन नहीं रखा है। और ऐसा आपने रखा है कि कोई भी व्यक्ति वेअर हाउस में अपना गुड्स डिपोजिट नहीं रख सकेगा। नहीं होगा कि जिसके लाइसेन्स होगा उसके मारफत रखा जावेगा और व उसका मिसयूज करेगा। आपने क्लॉज १७ (२) में कहा है, इसमें यह जोडा भी जावे यहां यह भी कहा गया है कि मोइश्चर की वजह से उसकी क्वान्टिटी बढ जावे तो उसके लिये वेअरहाउसमैन अपराधी नहीं होगा और इनडिविजअल डिपाजीटर को वही भार बराबर देगा जैसे एक मन अनाज उसने रखा है तो उसको एक मन ही अनाज देगा। लेकिन जो अनाज या सामान मोइश्चर की वजह से बढ जावेगा, मान लो कि वह १००, ७०० मन देने के बाद पता लगा कि इतना माल बढ गया तो उस पर वह नफा उठावेगा जैसे सैन्टर में सगर पर किया जाता है। उस पर पानी के छींटे दे दिये जाते हैं जिससे उसका वजन बढ जाता है और उसके बाद उसको बेचते हैं। इससे दो चार मन का फायदा हो जाता है।

(घंटी)

कानून बनाने की जरूरत होती है। मगर वेअरहाउस में जो सामान बढेगा उसका लाभ किसको होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसका फायदा डिपोजीटर को नहीं मिलेगा। इसी तरह सभापति महोदय,

**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय सदस्य को अभी इस पर बोलने का बहुत अवसर मिलेगा और मैं समझती हूं कि माननीय सदस्य अब इसे खत्म करदें तो अच्छा हो।

**श्री पी० के० चौधरी** : दूसरी बात क्लॉज ३४ में जो एग्जम्शन की रखी है, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि किसी भी तरह से यह एग्जम्शन नहीं होना चाहिये यदि एग्जम्शन देंगे तो ये लोग मनमाने ढंग से काम करेंगे और उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बिल इस कानूनी बिल है और इसलिये इसको सिलक्ट कमेटी में दे देना चाहिये ताकि इस पर सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद जो जो बातें हमको आज की नीड को ध्यान में रखते हुए रखनी है रखें और इस बिल को सदन के सामने पेश करें। इसलिये इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिये।

# Page No.90



**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय सदस्य श्री अनूपसिंह ।

**श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : सभानेत्री, हमारे सामने वेअरहाउसेज सिस्टम को लागू करने के लिये जो बिल रखा गया है, मैं इसको बहुत अच्छा और शुभ अवसर मानता हूं कि हमारे इस तरह की चीज लाई जा रही है जिसकी कमी महसूस होती है । अब सबसे पहले मैं यह अर्ज कर दूं कि यह वेअर-हाउसों के सिस्टम की हमारे यहां जरूरत क्यों बढ़ने लगी । हमने क्यों महसूस किया कि वेअरहाउस सिस्टम जारी हो । यह बाहर एग्रीकल्चर सेन्टर्स हैं वहां पर हैं । व वहां पर किन सिद्धान्तों पर हैं और कायम किये गये हैं और वे सिद्धान्त हमारे यहां लागू हो सकते हैं या नहीं । क्या उसी तरह की राहत या जो कुछ भी उनकी कमियें थीं और हमारे यहां पर कमियें हैं उसको पूरा करने के लिये यह लागू किया जा सकता है या नहीं । इन सब जरूरतों को देखते हुए हमारे किसानों के लिये इसकी जरूरत है या नहीं । मैं समझता हूं कि हमारे बिल केवल उन जरूरतों पर ही होने चाहिये । हमारे किसानों को किस वक्त वेअरहाउसेज की कमी मालूम होती है । वे किस समय अपना धान बेचें और कब न बेचें । इसके लिये इसकी बहुत जरूरत होती है । अक्सर ऐसा कई बार होता है कि उनके पास माल पड़ा रहता है और पैसे की जरूरत होती है वे उस माल को उस समय बेचना नहीं चाहते मगर फिर भी उनको उस माल को बेचना पड़ता है जब कि कई बार प्राइसेस लेवल नीचे गिरी हुई होती है । वे लोग बेचना नहीं चाहते फिर भी उनको मजबूरी के कारण बेचना पड़ता है और इसके अलावा और भी कई आर्थिक कारण होते हैं जिसकी वजह से उनको बाध्य होकर धान बेचना पड़ता है । इसकी वजह से उनको नुकसान पड़ता है । यदि वह उसी माल को रोक सकें तो उनको अच्छा मौका मिल सकता है और अच्छा पैसा मिल सकता है । मगर उनके लिये आर्थिक ढांचे को बनाये रखना और मारजिन ओफ प्रोफिट को बनाये रखना मुश्किल हो जाता है । इसलिये हर एक आदमी के लिये इतना रेस्ट्रिक्शन हो कि वह अपने माल को रख सके और आर्थिक जरूरत हो जो उस पर दबाव देती हो और फोर्स करती हो उसको पूरा करते हुए रख सके ।

अब प्रश्न आपके सामने साफ हो जाता है कि आया हमारे यहां पर यह चीज आवश्यक है या नहीं । मैं इस बात को मानता हूं कि इसकी हमारे यहां आवश्यकता है । मैं यह मानता हूं कि यह बढा नेक ख्याल से रखा गया है । मगर मेरे से पहले वक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसको सिलैक्ट कमेटी में भेजा जावे क्योंकि दुनिया इतनी आगे बढ गई है कि हमें बहुत सी बातों पर विचार करना होगा । मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिये और एक मात्र यही कारण नहीं है कि हम किसानों के माल को रखने के लिये उनको सहुलियत दे सकें मगर जब तक हम उनके मारजिन ओफ प्रोफिट को नहीं बढा सकते इसका क्या फायदा होगा । कई बार ऐसा होता है कि उनके पास माल पडा रहता है और उनको क्रेडिट नहीं मिलता । वह बनिये के पास जाता है, वहीं बनिया उसी तरह से उसका माल अन्दर पडा रखता है । कहता है माल पडा है, पडा होता है या नहीं, कई बार वह माल को हटा देता है । इसलिये उनके लिये ऐसी जगह होनी चाहिये कि माल स्वतन्त्रता से रखा जा सके ।

वह मौसम से, कीडे मकोडे से बचाया हुआ रखा जा सके । अभी हर एक आदमी वेअरहाउस की चीजों को किस तरह से रखा जाता है, साइन्टिफिक वे में किस तरह से रखा जाना चाहिये, उन सब को पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि साइन्टिफिक तरीके से रख सकें क्योंकि वेअरहाउस में यह होता है कि चीजों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, डिसइन्फेक्टेड हों, और इतनी सारी चीजों के लिये न तो जगह ही होती है और न ही उसके पास पैसा ही होता है । इसलिये एक सेन्ट्रल वेअरहाउस सिस्टम हो

(श्री अनोपसिंह)

मैं यह नहीं चाहता कि उन सब को सेन्ट्रलाइज करके एक जगह पर रखा जाय किन्तु अलग अलग जगह पर भी हो। ऐसे वेअरहाउसेज होने चाहिये जहां पेरिशेबल कन्डीशन वाली चीजें लाई जा सकें, उनको वहां डिपोजिट किया जा सके, उनको लिया जा सके, क्रेडिट पर लिया जा सके और इस तरह से उनको आगे बढाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको अर्ज करूंगा कि जर्मनी में लड़ाई के वक्त की बात है, अन्डों को दस दस वर्ष तक रखा गया और आज भी वहां ऐसे पोल्टरी फार्मस हैं जहां पर अन्डों को एक वर्ष तक के लिये तो रखा ही जाता है, फिर उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं या बेच देते हैं और सारे वेअरहाउसेज इसी सिस्टम पर काम चलाते हैं। हमारे यहां यह हालत है कि यदि आलू किसी किसान के पास हैं, पास होते हुए भी उसको बेचना पड़ता है, अव्वल तो उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि उसको रख सके और दूसरा उनको रख नहीं सकता, ज्यादा रखता है तो सड़ जावेंगे यह डर रहता है, इसलिये उसको बेचना पड़ता है। उसको पैसे की भी जरूरत होती है, क्रेडिट पर कोई लेता नहीं, क्रेडिट मिलती नहीं, जो भाव होता है, सस्ते भाव में, बेचना पड़ता है, हालांकि वह चाहता है कि उसको रख ले, भाव आने पर बेचे लेकिन वह उसको रख नहीं सकता है, आर्थिक कारणों से रख नहीं सकता है सड़ जाने की वजह से रख नहीं सकता है, ऐसी जगह नहीं उसके पास जहां कि रख सके, चाहते हुए भी वह उसको रोककर रखे, उसको बेचना ही पड़ता है। इसलिये ऐसे वेअरहाउसेज होने चाहिये, जहां पर कोल्ड स्टोरेज हों, साइन्टिफिक तरीके से बने हुए हों, साइन्टिफिक तरीके उनमें लागू किये हुए हों, जहां कि आलू आदि जो पेरिसेबिल चीजें हैं, उनको रखा जा सके। इसलिये माननीय मन्त्री महोदय से स्पष्टीकरण के हिसाब से चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो यह बिल लाया गया है वेअरहाउसेज खोलने के बारे में तो क्या ये किसानों के फायदे के लिये खोले गये हैं या बिजनैसमैनके लिये खोले गये हैं, यह कौनसे वर्ग को फायदा करेगा आज तक जो धान का व्यापार करते थे, किसी चीज का व्यापार करते थे, उन पर पाबन्दी लगा देना कि जिस प्रकार से पहले स्टाक रखते थे, किसी चीज का स्टाक रखते थे, अब नहीं रख सकते, हालांकि यह रखा गया है कि डिस्इन्फेक्शन कराना लाजमी है, लाइसेन्स भी उसी रूप में मिलेगा जो उन कन्डीशन्स को फुलफिल करता हो, अन्यथा नहीं, यह उचित नहीं। यह बात भी स्पष्ट नहीं कि ऐसे वेअरहाउसेज कहां कहां पर बन सकते हैं, कितने शहर हो सकते हैं जहां ये बन सकते हैं, क्या ये साइन्टिफिक तरीकों से बने हुए होंगे, कोई उल्लेख नहीं है। इसलिये इसको देखने से यह पता लगता है कि जो व्योपारी है, धान के जो स्टाकिस्टस हैं उन पर इसका बोझ पडेगा, जो इसका बिजनस चलाना चाहते हैं उनको वेअरहाउसेज का परमिट लेना पड़ेगा और परमिट लेकर ही रख सकते हैं, स्टोर रखने का जो तरीका है उसको बदल कर के ही रख सकते हैं। वेअरहाउसेज सिस्टम का जो मतलब है, जनरली जो सिस्टम बाहर के देशों में लागू हुआ है, जहां एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को खराब होने से बचाने के लिये वेअरहाउसेज ने काफी भारी सहयोग दिया है, उन्हीं सिद्धान्तों को हमारे वेअरहाऊसेज में लाग किया जाना चाहिये था, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं होगा। इस बिल में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम मान सकें कि किसानों को भी वही राहत मिलगी, जो कि बाहरी सिस्टम से लागू किये गये, सिद्धान्तों द्वारा मिली है। मेरे से पूर्व वक्ता महोदय ने इस विषय में काफी विस्तार से कहा है। ये एक निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट होने चाहियें, जिसमें किसान माल लाकर क्रेडिट लेने का हक प्राप्त कर सके। हर एक के पास साइन्टिफिक तरीकों से रखने का माद्दा नहीं है, हैसियत नहीं है, पैसा नहीं है और हर एक इसी वजह से रख नहीं सकता है, स्टाक नहीं कर सकता है। इसलिये माल को क्रेडिट पर रख दिया, क्रेडिट पर उसको ले लिया, जब प्राइस लेवल ठीक आई, जब उसको जरूरत हुई, अपनी जरूरत के हिसाब से उसने अपना माल बेच दिया। वेअरहाउसेज सिस्टम का मतलब ही यही होता है कि लोग अपना माल वहां रखकर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें।

# Page No.92



(समय समाप्ति सूचक घंटी)

**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय सदस्य को ध्यान रहे कि उनको दो तीन मिनिट में ही समाप्त कर देना है ।

**श्री अनूपसिंह** : मेरे पास बोलने को काफी है और जब तक मैं समाप्त नहीं कर दूंगा मेरे साथ अन्याय होगा और मेरे विचार हैं, उनको ठीक सामने नहीं रखूंगा तो मैं गुनाहगार हो सकता हूं ।

**श्री श्रीभानसिंह** : गुनाहगार किस बात के ?

**श्री अनूपसिंह** : इस बात का कि मैं जागते हुए भी उन बातों को पेश नहीं कर सकता ।

**श्रीमती सभानेत्री** : इसके बावजूद भी यह ध्यान रखिये कि पांच बजे कार्यवाही पूरी करनी है ।

**श्री अनूपसिंह** : तो फिर कल टाइम मिलना चाहिये । मुझे समय तो इनमें लगेगा ।

**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय सदस्य को सूचित करना चाहती हूं कि उनको आज आगे इसके लिये समय नहीं मिलने वाला है । यह बिल आया है, इसके दूसरी रीडिंग पर, थर्ड रीडिंग पर आपको मौका रहेगा, आप अपने विचार रख सकते हैं ।

**श्री श्रीभानसिंह** : On a point of information, Madam. और सदस्य बोलना चाहेंगे, उनको नहीं मिलेगा ?

**श्रीमती सभानेत्री**: जी हां । यह बहस कल फिर जारी रहेगी ।

**श्री अनूपसिंह** : इसीलिये टाइम मांगता हूं ।

**श्रीमती सभानेत्री** : बहस जारी रहेगी लेकिन माननीय सदस्य का वक्तव्य जारी नहीं रहेगा ।

**श्री अनूपसिंह** : मैं आपकी व्यवस्था को मानने के लिये बाध्य तो होउंगा ही और कोई चारा नहीं है, विरोधी पक्ष का हूं, इसलिये भी कई बातें मान लेनी पड़ती हैं । लेकिन फिर भी इसके साथ साथ यह अर्ज करूं कि इस बिल में कई कमियां हैं जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अर्ज किया । दरअसल जिस मकसद से यह बिल लाया जा रहा है, इससे मकसद पूरा नहीं हो रहा है । एक रास्ते चलते हुए बिल लाकर रख दिया हो जैसा लगता है । जैसे हवा में उड़ता हुआ पन्ना हो और जनता विधान सभा में लाकर रख देगी, काम हो जायगा । यह आपका ख्याल हो सकता है । कोई चीज कहीं चलती हो और सरकार उसको हवा में पकड़ कर ले आये । जिन सिद्धान्तों पर वेअरहाऊसेज रखे हुए हैं, उन सिद्धान्तों के अनुसार आप रखते नहीं और यदि उन सिद्धान्तों पर यह बिल होता तो यह भी समझा जाता कि सरकार राहत देने के लिये यह बिल लाई है । लेकिन मनी में राहत देते नहीं, बिजनेस में राहत देते नहीं, बिजनेस में उल्टे सीधे तरह के रोड़े अटकाये जाते हैं, तुम्हें लाइसेन्स रखना पडेगा, डिसइन्फेक्टेड कराना होगा, यह करो वो करो, कई प्रकार बन्दिशें रखते हैं, आखिर इसका नतीजा क्या होगा ? धान के स्टाक वालों का बिजनेस खत्म हो गया, किसान माल रख सकता नहीं, मर्जी के अनुसार बेच सकता नहीं, जो कन्डीशन्स को पूरा नहीं कर सकेगा उसका सारा बिजनेस खत्म हो गया ।

**श्री श्रीभानसिंह** : Madam will we be sitting after 5 p.m ?

**श्रीमती सभानेत्री** : अभी पांच बजने में थोड़ी सी देर है ।

**श्री अनूपसिंह** : अब मैं इस बिल पर आता हुआ अर्ज करूंगा । अभी तक मैंने इस बिल की खामियां नहीं बताई ।

**श्रीमती सभानेत्री** : मैं ऐसा मानती हूं कि आपने इधर उधर की बातें कहने में ही अपना समय बिता दिया है आपका समय समाप्त हो चुका है, कल भी इस बिल पर वाद-विवाद जारी रहेगा । मैं सदन की कार्यवाही दिनांक ९ अप्रेल, १९५८ के ११ बजे तक के लिये स्थगित करती हूं ।

(तदनुसार सदन की कार्यवाही ५ बजे कर १ मिनट म. प. दिनांक ९, अप्रेल, १९५८ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

## संक्षिप्त विवरण

मंगलवार, ८ अप्रेल, १९५८

### तारांकित प्रश्नोत्तर

कन्या पाठशाला, गुडा बालोतरा (जालोर)

पटेलों व नम्बरदारों को दिया जाने वाला वेतन

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

पाठ्य पुस्तकों की सूचियां

पटवारियों की सीनीयॉरिटी लिस्ट

बहुउद्देशीय हाईस्कूल, सोजत

मिडिल ट्रेण्ड अध्यापक

पाली में हरिजनों के लिये कुए का निर्माण विकास खण्ड सांगानेर

ऐतिहासिक भवन

भूमिहीन हरिजनों को काश्त हेतु दी गई जमीन

साहित्य अकादमी

तहसील आहोर के कर्मचारियों को वेतन का न मिलना

लगान वसूली

किशनगढ सब-डिविजन में प्राथमिक पाठशालाओं को माध्यमिक पाठशालाओं में परिवर्तित किया जाना

भाखरा क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को दी जाने वाली जमीन

विस्तार सेवा खंड. करनपुर

गिरदावर कानूनगो को दिया जाने वाला दैनिक भत्ता

जिन्क स्मेलटर प्लांट

संस्कार केन्द्र, बारा

मांउन्ट आबू के विकास हेतु किये गये कार्य

पुरुषार्थियों को भवन निर्माण हेतु भूमि का दिया जाना, गंगापुर

गृह उद्योग विकास, गंगाशहर

सरकारी पड़त जमीन पर जबरदस्ती की गई काश्त, टोंक

शराब के ठेके, जालोर

अधिकारियों का प्रतिवर्तित किया जाना

विकास खण्ड, बस्सी

सोत कर्मचारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

नागोर में हरिजन बस्ती का निर्माण

दीनवा ग्राम का झुंझुनू या सीकर जिलों में से एक ही जिले में रखा जाना

भिक्षुकों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने की व्यवस्था

अग्निपीड़ितों को दी गई सहायता, तहसील शेरगढ़

--------

# Page No.94



**सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति**

निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई :—

(१) श्री श्रीनिवास दिनांक ४-४-५८ से १०-४-५८

(२) श्री रामकिशन दिनांक ९-४-५८ से २०-४-५८

**(१) जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स के मजदूरों संबंधी स्थगन प्रस्ताव:—** जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड के मजदूरों की समस्या से संबंधित श्री मोहरसिंह के स्थगन प्रस्ताव को, श्रम मन्त्री के वक्तव्य के पश्चात् सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई ।

(२) **श्री टीकाराम के पत्र का वाचन** श्री होतीलाल के प्रस्ताव के संबंध में श्री टीकाराम पालीवाल का पत्र

श्री होतीलाल द्वारा दिये गये प्रस्ताव के संबंध में श्री टीकाराम पालीवाल से प्राप्त पत्र को आज अध्यक्ष महोदय ने सदन के समक्ष पढ़ा ।

१. राजस्थान बाट और माप (प्रवर्तन) विधेयक, १९५८

(अग्रेतर खंडशः विचार-विमर्श एवं पारित)

उपरोक्त विधेयक पर आज खण्ड ३६ से विचार आरम्भ हुआ ।

खण्ड ३६, ३८, ४१, ४३, १ आदि बिना संशोधन के स्वीकार किये गये ।

खंड ३७, ३९ व ४० संशोधित रूप में स्वीकृत हुए ।

खंड ४२ विलोपित किया गया तथा एक नया खंड ४४ जोड़ा गया ।

८ सदस्यों के भाषण के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

**२. राजस्थान प्रेमिसेज ( कन्ट्रोल आफ रेन्ट एन्ड एवीक्शन ) संशोधन विधेयक, १९५८**

(विचारार्थ एवं पारित)

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत हुआ, तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

**३. राजस्थान गोदाम विधेयक, १९५८**

(प्रवर समिति को)

दिनांक २८ मार्च, १९५८ को श्री नाथूराम मिर्धा, मंत्री सहकारी विभाग, द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर आज श्री नरसिंह व श्री बहादुर सिंह ने इस आशय के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

बुधवार, दिनांक ९ अप्रेल, १९५८ की कार्यसूची

(१) राजस्थान गोदाम विधेयक, १९५७ (प्रवर समिति को)

(२) राजस्थान फारेस्ट (संशोधन) विधेयक, १९५८ ( प्रवर समिति को )

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ११८० का उत्तर देखिये)

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY AND MUSEUM, RAJASTHAN

**List of Ancient Monuments & Sites declared protected under Section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904**

**JAIPUR CIRCLE**

| *S. No.* | *Name of Monument on Site* | *Place* |
|---|---|---|
| | DISTRICT JAIPUR | |
| 1. | Yajnashala Column on Varadrajji-ki-Dungri | Jaipur. |
| 2. | Chhatris on Station Road behind Mr. B. L. Dhama's house | -do- |
| 3. | Astronomical Observatory | -do- |
| 4. | Dilaram Bagh | Amber |
| 5. | City Wall (Amber Town) | -do- |
| 6. | Kund of Panna Mian | -do- |
| 7. | Sarai Panna Mian | -do- |
| 8. | Chhatris of past rulers of Amber-Jaipur | -do- |
| 9. | Amber palaces and fort | -do- |
| 10. | Mandir Ram Keshwarji | -do- |
| 11. | Dargah Ghari Bullah Shah | -do- |
| 12. | Rajawatan palaces | -do- |
| 13. | Buildings of No-Lakha Gardens | -do- |
| 14. | Buildings of Khalsa Gardens | -do- |
| 15. | Mandir Harshnath Bhairon | -do- |
| 16. | Mandir Narsinghji | -do- |
| 17. | Bala Bai-ki-Sal | -do- |
| 18. | Mandir Batak Bhaironji | -do- |
| 19. | Sarai Aidyan | -do- |
| 20. | Durgah of Manna Bibi | -do- |
| 21. | Mahals of Hadi Raniji | -do- |
| 22. | Tomb of Momin Salzadi | -do- |
| 23. | Mahal and Gardens of Rai Badaran | -do- |
| 24. | Garden of Kunjgali Badaran | -do- |
| 25. | Gaitore Chhatris, Brahmpuri | -do- |
| 26. | Dargah of Bajazed Pir | -do- |

| | | |
|---|---|---|
| 27. | Fort | Jamwaramgarh |
| 28. | Small Ancient Temple near Mata's Temple | -do- |

DISTRICT DAUSA

| | | |
|---|---|---|
| 29. | Brick Temple infront of School Building | Dausa |
| 30. | Fort | -do- |
| 31. | Bhaumyaji's Palace and Ancient ruins around it | -do- |
| 32. | Banjaron-ki-Chhatri No. 2 | Lalsote |
| 33. | Tomb-stone of some European Gentleman near the Dak Bungalow | -do- |
| 34. | Hans Mahal (Moghul Sarai) | Bugla-Jatwara |

DISTRICT SAMBHAR

| | | |
|---|---|---|
| 35. | Rajaji-Ka-Mahal | Moazamabad |
| 36. | Rajaji-ka-kua | -do- |
| 37. | Marble Enotaph of Rani Kankavatiji of Maharaja Mansingh I | -do- |
| 38. | Temple of Mahadevji | -do- |
| 39. | Mansagar Ghat | -do- |
| 40. | Tripolia Gate | Naraina |
| 41. | Bhojrajji-ki-Chhatri | -do- |
| 42. | Jame-i-Masjid | -do- |
| 43. | Fort | -do- |

DISTRICT TORAWATI-JHUNJHUNU

| | | |
|---|---|---|
| 44. | Brick Temple at the Foot of Bhimji-ki-Dungri | Bairat |
| 45. | Asokan Rock Edict at the foot of Bhimji-ki-Dungri | -do- |
| 46. | Swetambar Jaina Temple in the town | -do- |
| 47. | Ancient Mound near Pilani | Narhad |

DISTRICT MALPURA

| | | |
|---|---|---|
| 48. | Hadi Rani-ka-Mahal | Todaraisingh |
| 49. | Sri Kalyanji's Temple | Diggi |

DISTRICT GANGAPUR

| | | |
|---|---|---|
| 50. | Ancient Pillared Hall at Jagar | Hindaun |
| 51. | Horse Statue near Banega | Wazirpur |

DISTRICT ALWAR

| | | |
|---|---|---|
| 52. | Chhatri of Moosi Maharanjiji | Alwar |
| 53. | Fateh Jung Burj near Rly. Station | -do- |

## JODHPUR CIRCLE

DISTRICT JODHPUR

| | | |
|---|---|---|
| 54. | Jaswant Memorial (Deokund Thara) | Jodhpur |
| 55. | Building and Gardens at Sursagar | -do- |
| 56. | Fort | -do- |
| 57. | Heroes Hall | Mandore |
| 58. | Cenotaphs | -do- |
| 59. | Cenotaphs of Ranis at Panchkund | -do- |
| 60. | Sachia Mata Temple | Osian |
| 61. | Surya Temple | -do- |
| 62. | Harihar Temple | -do- |
| 63. | Vishnu Temple | -do- |
| 64. | Shiv Temple | -do- |
| 65. | Pipla Devi Temple | -do- |
| 66. | Vishnu Sheshasai Temple | -do- |

DISTRICT NAGAUR

| | | |
|---|---|---|
| 67. | Rao Amarsingh's Chhatri | Nagaur |
| 68. | Mosque at Gindani Tank | -do- |
| 69. | Mosque at Shams Tank | -do- |
| 70. | Dargah of Tarkin | -do- |
| 71. | Appaji-ki-Chhatri | -do- |
| 72. | Fort | -do- |
| 73. | Shiv Temple | Pih Thanwla |

DISTRICT BARMER

| | | |
|---|---|---|
| 74. | Temples | Kiradu |
| 75. | Fort | Jalore |
| 76. | Top Khana | -do- |
| 77. | Baradari | Sadri |

DISTRICT MERTA

| | | |
|---|---|---|
| 78. | Badshahi Mosque | Merta |
| 79. | Malkot Fortress | -do- |

## LIST OF PROTECTED MONUMENTS IN RAJASTHAN

**Jodhpur.**

| *S.No.* | | | *Tehsil* |
|---|---|---|---|
| 1. | Temple | Arna | Jodhpur |
| 2. | Mata-ki-sal & Khaka Deval | Ghatiyala | -do- |
| 3. | Khokri Mata Temple | Tinwari | -do- |
| 4. | Siva-Parvati Temple | Buchkala | Bilara |
| 5. | Peplad Mata Temple | Pipar | -do- |
| 6. | Siva Temple | Bhundanva | -do- |
| 7. | Brahmin Goddess & Jaina Temple | Phalodi | Phalodi |
| 8. | Kaiwas Mata Temple | Kin Saria | Parbatsar |
| 9. | Hindu Mosque Temple | Didwana | Didwana |
| 10. | Dadhamati Mata Temple | Goth Manglod | Nagor |
| 11. | Ranchhod Temple | Khed | Pachpadra |
| 12. | Ancient Site | Bhinmal | Jaswantpura |
| 13. | Siva & Jaina Temples | Ratanpura | (Sundha Hill) |
| 14. | Sundha Mata Temple | Bhinmal | -do- |
| 15. | Siva Statue & Siva Temple | Ramsin Nadol | Desuri |
| 16. | Jaina Temple | Narlai | -do- |
| 17. | Siva Temple | Bithu | Pali |
| 18. | Goddess Temple | Bali | Bali |
| 19. | Laxmi Narain Temple (Mahavir Temple) | Nana | -do- |
| 20. | Nilkanth Temple | Nana | -do- |
| 21. | Laxmi Narain Temple | Nana | -do- |
| 22. | Bharuand Saraswati Temple | Bharund | -do- |
| 23. | Mahavir Temple | Sewri | -do- |
| 24. | Siva Temple | Kekinda | Bali |
| 25. | Makal Mata Temple | Bali | -do- |
| 26. | Somnath Temple (Siva) | Pali | Pali |
| 27. | Anand Karug Vishnu Temple | Pali | -do- |
| 28. | Vrah Temple | Sadri | Desuri |
| 29. | Ranpur Surya Temple | Ranpur | -do- |
| 30. | Ancient Site | Hathundi (Bijapur) | Bali |
| 31. | Siva Temple | -do- | -do- |
| 32. | Rata Mahabir | -do- | -do- |
| 33. | Mahavir Temple | Sanderao | -do- |
| 34. | Mahavir Temple & Laxminath Temple | Ghanerao | Desuri |

**Bikaner.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 35. | Dev Kund | Bikaner | Bikaner |
| 36. | Cenotaphs of Rulers | Bikaner | -do- |
| 37. | Eighteen Armed Images | Nagalchiji | -do- |

**Sirohi.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38. | Vishnu Temple | (Ur) Or | Sirohi |
| 39. | Parsvanath Jain Temple | -do- | -do- |
| 40. | Vithalji's Temple | -do- | -do- |
| 41. | Sedheshwara Temple | Datani | Reodar |
| 42. | Surya & Parsvanath Temple | Nitora | Pindwara |
| 43. | Sambhunath & Parasram Temples | Kojra | -do- |
| 44. | Mahavirji's Temple | Bamanvarji | -do- |
| 45. | Temple ruins & Sculptures | Hathal-Hathaladi | Reodar |
| 46. | Inscriptions | Dhandapur | -do- |
| 47. | Temple ruins | Udrat | -do-- |
| 48. | Temple Ruins | Jolpur | -do- |
| 49. | Jaina Temple | Jeraval | -do- |
| 50. | Siva Temple | Verman | -do- |

**Udaipur.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51. | Ancient Ruins and Fort. | Rani Mallia. | Lasadia |
| 52. | Ancient Ruins. | Javar | Girwa |
| 53. | Rishabhadesji's Temple. | Dhulev. | Kherwara |
| 54. | Jagathji's Temple. | Udaipur. | Girwa |
| 55. | Eklingji's Temple. | -do- | Nathdwara |
| 56. | Bundh. | KanKarauli.Khamnor | Rasjsamad |
| 57. | Jagniwas Bagh & Buildings. | Udaipur. | Girwa |
| 58. | Ancient Site. | Bansi | Lasadia |
| 59. | Ancient Site (Magri) Ayad (near Udaipur City). | Ahad Udaipur | Girwa. |

**Dungarpur & Banswara.**

| | | |
|---|---|---|
| 60. | Jain Temple. | Sagwara |
| 61. | Ancient Ruins. | Varriat |
| 62. | Ancient Ruins. | Mjhara |
| 63. | Jain Temples. | Upergaon. |
| 64. | Memorial Scripts. | Devla |
| 65. | Battle Field. | Velpan |
| 66. | Autri Jain Temple of Shantinath. | Autri |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 67. | Vijyamata-ka-Temple. | Madpur | |
| 68. | Brahma,Vishnu & Mahadeva Temple | Banswara | |
| 69. | Temple. | Boreswara | |
| 70. | Temple. | Gamdi | |
| 71. | Tank. | Punpur | |
| 72. | Jaina Temple. | Aspur | |
| 73. | Temple & Fort | Gibya Kot. | |
| 74. | Bhuwareshwata Temple. | Naroli. | |
| 75. | Nil Kantha Temple. | Hathod. | |
| 76. | Sidhnath Mahadeo Temple. | Jhakarda. | |
| 77. | Shiva Temple. | Devki Gamdi | |
| 78. | Jaina & Vaishnav Temple. | Dungarpur. | |
| 79. | Nawa Dera Temple. | Nava Dera | |
| 80. | Old Temples. | Surpur | |

**Jhalawar.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 81. | Temple of Padmanathji. | Jhalrapatan | Jhalrapatan |
| 82. | Temple of Shantenathji | -do- | -do- |
| 83. | Shankhadharee Ancient site. | -do- | -do- |
| 84. | Siva Temple. | KalamndiKalash | -do- |
| 85. | Pepa ji-ka-Bagh Temple. | Manpura(Jhalawar) | -do- |
| 86. | Old Naseyaanaji Jaina Temple. | Jalrapatan | -do- |
| 87. | Shiv Temple. | Pachpahar. | Pachpahar |
| 88. | Ancient Site. | Kotda Village | -do- |
| 89. | Temples. | Rod. | -do- |
| 90. | Temple of Annapurna Mataji | Misroli | -do- |
| 91. | Kaya Verneswar (Shivaji'sTemple). | Kiyasra | Dag |
| 92. | Sri Nageswar Temple. | Unhel Gangadhar | Gangadhar. |

**Jaipur.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 93. | Nahargarh Fort. | Jaipur | Jaipur |
| 94. | Hawa Mahal. | Jaipur | -do- |
| 95. | Jain Temple & Baori. | Sanganer | -do- |
| 96. | Pillar & Siva Lingam in Deswalon -ki-Mosque. | Chatsu | -do- |
| 97. | Lakshmi Narain's.Temple. | Chatsu | -do- |
| 98. | Gurgali Beg-ki-Chhatri | Chatsu | -do- |
| 99. | Siva Dungri Monuments | Chatsu | -do- |
| 100. | Step Well (Baori). | Chatsu | -do- |

# परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ११८१ का उत्तर देखिये)

**सूची लैन्ड लैस हरिजन जिनको अप्रेल ५६ से ३१ जनवरी १९५८ तक भूमि दी गई**

**तहसील सांगानेर**

१. हरी शंकर सिद्धांत शास्त्री बम्बाला

२. मोती ग्रान का बम्बाला

**तहसील दौसा**

१. रेवड वल्द गोबिन्दा कोली सा० घरनवास ४ बीघा १६ बिस्वा

२. परताब वल्द जीवन खटीक सा० चान्दराना ५ बीघा

**तहसील चाकसू**

१. मांगीलाल चमार सा० निमोडिया १० बीघा १३ बिस्वा

**तहसील फागी**

१. काना रेगर सा० गौहन्दी १० बीघा

२. सुखा रेगर सा० गोहन्दी १० बीघा

३. बिरदा रेगर सा० गोहन्दी १० बीघा

४. गोपी रेगर सा० गोहन्दी १० बीघा

५. झूंथा चमार सा० सुलतानिया १० बीघा

**तहसील कोटपूतली**

१. स्योनारायण चमार ११॥ बीघा

२. छोटू चमार १५ बीघा

३. सुरज्या १२ बीघा

४. वंशी १० बीघा

५. मोठू १५ बीघा

६. भोला १२ बीघा

**तहसील बसवा**

१. सुखपाल पुत्र दील्या व गणेश पुत्र मांग्या चमार सा० कोलया ५६ बीघा ७ बिस्वा

२. परभात्या नाथू काल्या, परमा चमारान करनावर ३ बीघा ७ बिस्वा

३. गेन्दा पुत्र हरदेव श्रवण पुत्र ग्यारस्या चमार कोलवा २८ बीघा १३ बिस्वा

४. पुन्या पुत्र कल्लू चमार सा० मऊ कलां २७ बीघा २ बिस्वा

५. सुन्दरिया पुत्र भीमा चमार मऊ कलां २७ बीघा १६ बिस्वा

६. हरजीग्यारला मत्या पुत्र गोबिन्दा चमार मउ कलां ४७ बीघा २ बिस्वा

७. गणेश रामचन्द्र पुत्र नारायण चमार मऊ खुर्द ५ बीघा ६ बिस्वा

**तहसील आमेर**

१. धन्नालाल पुत्र दुर्गादत्त सा. नेवटीवास

२. रामचन्द्र पुत्र भैंरूराम ,,

३. ग्यारसीलाल पुत्र धन्नाराम ,,

४. कर्तारसिंह पुत्र रामसहाय ,,

५. बंशीधर पुत्र विजयलाल ,,

६. कन्हैयालाल पुत्र हरलाल ,,

७. जगन्नाथ पुत्र भोमाराम ,,

८. सूरज पुत्र नाथूराम ,,

९. ग्यासीलाल प्रेमराम ,,

१०. विश्वनाथ पुत्र फकीरा ,,

११. मोहनलाल पुत्र मगनालाल ,,

१२. जीवणसिंह पुत्र भैंरुराम ,,

१३. रामचन्द्र पुत्र बालाराम ,,

१४. हरनाथ पुत्र लच्छूराम ,,

१५. हनुमान पुत्र मांगूराम सा० नेस्तीवास
१६. रामचन्द्र पुत्र भ्रताराम ,,
१७. सोहनलाल पुत्र रामप्रसाद ,,
१८. रामलाल पुत्र स्योलाल ,,
१९. मंगाराम पुत्र धन्नाराम ,,
२०. हरसहाय पुत्र हुकमाराम ,,
२१. महादेव पुत्र भगवान ,,
२२. डालचन्द्र पुत्र कन्हैयालाल ,,
२३. हीरालाल पुत्र स्योनाथ ,,
२४. रामप्रसाद पुत्र चौथूराम ,,
२५. चतुरसिंह पुत्र भंवरलाल ,,
२६. ईशरलाल पुत्र धन्नाराम ,,
२७. किशनलाल पुत्र मांगूराम ,,
२८. सीताराम पुत्र लहरी ,,
२९. भैरुराम पुत्र मंगला ,,
३०. लछमना पुत्र भंवरलाल सा० नेस्तीवास
३१. नर्वदाप्रसाद पुत्र शिवचरण ,,
३२. भंवरलाल पुत्र शिवनाथ ,,
३३. बद्री पुत्र फकीरा ,,
३४. कालूराम पुत्र जीवनराम ,,
३५. रूडा राम पुत्र भैंरूराम ,,
३६. श्री किशोरीलाल पुत्र विजयलाल ,,
३७. श्री हीरालाल पुत्र रामलाल ,
३८. श्री नामाराम पुत्र प्रेमाराम ,
३९. श्री मंगलाराम पुत्र कानाराम ,,
४०. चौसरदेवी पत्नी जीवनसिंह ,,
४१. सुवालाल पुत्र फूसीराम ,,
४२. श्री मांगीलाल पुत्र मंगलराम ,,

नोटः—आठ नाम और पेश नहीं किये गये हैं। इस तरह ५० परिवारों के हेतु की परिवार ५०० बीघा जमीन जीवनसिंह चौहान, मंत्री, राजस्थान, दलित जाति संघ, जयपुर को दी गई।

**तहसील सिकराय**

| | | |
|---|---|---|
| १. | श्री पुनिया पुत्र गंडास्या चमार .. .. | ५ बीघा १९ बिस्वा |
| २. | श्री मंगला पुत्र छाज्या कोली .. | ७ बिस्वा |
| ३. | रामधन वगैरा चमारान .. .. | १६ बीघा १४ बिस्वा |
| ४. | पांचूराम चमार .. .. .. | ३ बीघा |
| ५. | श्रवण पुत्र रामसुख फूलचन्द पुत्र धन्ना हरिजन | ४ बीघा १३ बिस्वा |
| ६. | घासी पुत्र भौंरा धोबी .. .. .. | १ बीघा ६ बिस्वा |
| ७. | तेजा पुत्र चन्दा चमार .. .. .. | ५ बीघा ५ बिस्वा |
| ८. | धन्ना पुत्र भूरा हरिजन .. .. | १० बीघा |
| ९. | पूना पुत्र लाला चमार .. .. .. | १५ बिस्वा |
| १०. | मूल्या पुत्र पांचू चमार .. .. | ५ बीघा २ बिस्वा |
| ११. | दुर्गाप्रसाद मेहतर .. .. .. | २ बीघा १० बिस्वा |
| १२. | नहना पुत्र हुकमा काना पुत्र नहना बलाई .. | १३ बीघा २० बिस्वा |

भूदान यज्ञ द्वारा हरिजनों को दी गई

तहसील दूदू

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | छीतर मोती खटीक | सा. सावूंद | ६ बीघा |
| २. | कामड पुत्र भैंरु | ,, | ५ बीघा ६ बिस्वा |
| ३. | पांचू नानगा बलाई | ,, | ४ बीघा १ बिस्वा |
| ४. | लादू नानगा बलाई | ,, | ५ बीघा |
| ५. | बालू गणेश खटीक | ,, | ६ बीघा ७ बिस्वा |
| ६. | सूरजमल रामा रेगर | ,, | ३ बीघा |
| ७. | धन्ना गणेश खटीक | ,, | ३ बीघा |
| ८. | सोन्या विरदा बलाई | ,, | ३ बीघा १० बिस्वा |
| ९. | श्री गणेशलाल स्वामी रेगर | साखून | २ बीघा ५ बिस्वा |
| १०. | श्री नाथूरामदेव बलाई | ,, | ५ बीघा |
| ११. | रोडं नन्दा खटीक | सा. साली | ६ बीघा १३ बिस्वा |
| १२. | चून्या भूरा खटीक | साली | ३ बीघा |
| १३. | तन्ना मूला खटीक | ,, | ३ बीघा |
| १४. | भवरया लादू बलाई | ,, | ४ बीघा |
| १५. | सुवा भागीरथा रेगर | ,, | ६ बीघा |
| १६. | घीस्या नाथूका रेगर | ,, | ७ बीघा |
| १७. | श्री मंगल्या गंगाराम रेगर | ,, | ७ बीघा |
| १८. | श्री मूल्या मूला | ,, | ५ बीघा १३ बिस्वा |
| १९. | भूरया चौथू रेगर | ,, | ६ बीघा |
| २०. | नारायण नाथू रेगर | ,, | ७ बीघा |
| २१. | हरदेवा भागीरथा रेगर | ,, | ५ बीघा |
| २२. | मोगला थोथू रेगर | ,, | ५ बीघा |
| २३. | चन्द्र भागीरथ रेगर | ,, | ५ बीघा |
| २४. | श्रीनारायण भागीरथ रेगर | ,, | ५ बीघा |
| २५. | रामदेव बीज्या बलाई | विजोलाव | १३ बीघा ३ बिस्वा |
| २६. | भैंरू दुल्ली बलाई | ,, | ४ बीघा १८ बिस्वा |
| २७. | गंगाराम नन्दा रेगर | | १५ बीघा १३ बिस्वा |
| २८. | धन्ना मांगू बलाई | हरसोली | ५ बीघा |
| २९. | ग्यारसा रामनाथ रेगर | ,, | ५ बीघा |
| ३०. | भूरा सेजो रेगर | ,, | ७ बीघा |
| ३१. | ओंकारा लादू रेगर | ,, | ६ बीघा |
| ३२. | लादू तुलस्या रेगर | ,, | ३ बीघा २ बिस्वा |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ३३. | मांगिया भोलू खटीक .. .. .. | हरसोली | ४ बीघा |
| ३४. | ग्यारसा मेदा खटीक .. .. .. | ,, | ४ बीघा |
| ३५. | भीवड़्या खटीक .. .. .. | ,, | ३ बीघा २ बिस्वा |
| ३६. | दूल्यो नारायण खटीक .. .. | ,, | २ बीघा ३ बिस्वा |
| ३७. | गोपी उदा रेगर .. .. .. | ,, | ५ बीघा |
| ३८. | रामनाथ बलाई .. .. .. | ,, | ४ बीघा |
| ३९. | छोटू नन्दा खटीक .. .. .. | ,, | ९ बीघा १० बिस्वा |
| ४०. | मूल्या मांगू बलाई .. .. .. | ,, | ९ बीघा १० बिस्वा |
| ४१. | तुलस्या ओंकार रेगर .. .. .. | ,, | ६ बीघा |
| ४२. | मांगू भोलू खटीक .. .. .. | ,, | ९ बीघा १० बिस्वा |
| ४३. | छोगा गोविन्द बलाई .. .. .. | ,, | १२ बीघा १० बिस्वा |
| ४४. | सोनी घीस्या खटीक .. .. .. | ,, | ३ बीघा १८ बिस्वा |
| ४५. | सुरत्यो चन्दा चमार .. .. .. | ,, | ७ बीघा |
| ४६. | गोदू रामनाथ बलाई .. .. .. | ,, | ४ बीघा ११ बिस्वा |

———

# परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ११८२ का उत्तर देखिये)

अकादमी के निम्नलिखित पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं:—

| | |
|---|---|
| १. अध्यक्ष:—श्री जनार्दनराय नागर | एम. ए., साहित्य रत्न, साहित्य भूषण, विद्यावारिधि, एम. एल. ए., प्रो. वा. चा. राजस्थान विश्व विद्यापीठ, सदस्य राजस्थान एज्यूकेशन एडवायजरी बोर्ड। |
| २. डाईरेक्टर : डा० मोतीलाल मेनारिया एम. ए. डी. लिट. | |
| ३. सचिव : श्री ज्ञान भारिल : | एम. ए. बी. एड. कवि एवं उपन्यासकार। |

अकादमी के निम्नलिखित सदस्य नियुक्त किये गये हैं:—

प्रतिष्ठापक सदस्य :

| | |
|---|---|
| १. श्री हरिभाऊ उपाध्याय : | गांधी साहित्य के प्रमुख विचारवेत्ता, लेखक, राजस्थान की साहित्यिक चेतना के प्रमुख उन्नायक। |
| २. श्री मथुरालाल शर्मा : | एम. ए. डी. लिट, इतिहास और साहित्य के विद्वान आलोचक एवं प्रणेता। |
| ३. श्री अगरचन्द नाहटा : | राजस्थान के प्राचीन साहित्य के प्रमुख शोधक, संपादक एवं अन्वेषक। |
| ४. श्री उदयराय उज्जवल : | राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के प्रमुख चारण साहित्यकार। |
| ५. श्री लक्ष्मीलाल जोशी : | राजस्थान में हिन्दी और संस्कृत के साहित्य और शिक्षा के अधिकारी, विद्वान एवं तत्संबंधी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न करने वाले प्रमुख विचारक। |
| ६. श्री मोतीलाल शास्त्री : | वैदिक साहित्य के आभारतीय धुरन्धर विद्वान, वैदिक साहित्य के इस युग के पुनरुद्धारक। |
| ७. श्री चांदबिहारीलाल सबा : | राजस्थान के उर्दू साहित्य के फारसी शायर एवं उर्दू काव्य के दो युगों के मार्गदर्शक। |
| ८. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत : | राजस्थानी साहित्य की एक प्रमुख साहित्यवेत्ता, लेखिका, सेविका और पुस्तकों की प्रणेता |

# Page No.106



| | |
|---|---|
| ९. पं० मथुरानाथ शास्त्री: | राजस्थान के संस्कृत साहित्य के विद्वान, विचारक और मार्गदर्शक । |
| १०. मुनो जिन विनयजी: | राजस्थान के अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के भाषाविद् एवं प्राचीन साहित्य के प्रमुख अन्वेषण आचार्य । |
| ११. शंभूदयाल सक्सेना: | कवि, नाटककार, उपन्यासकार, संपादक एवं राजस्थान के अर्वाचीन एवं प्राचीन युगों के प्रमुख साहित्यकार । |
| १२. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: | राजस्थान के साहित्य और शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख चिन्तक एवं सेवी, हिन्दी साहित्य के संगठनों के प्रमुख प्रेरणादाता एवं कार्यकर्त्ता । |
| **नामजद सदस्य:—** | |
| १. स्वामी नरोत्तमलाल प्रोफेसर: | प्रथम श्रेणी के आलोचक, प्राचीन साहित्य के शोधक, अन्वेषक, प्राध्यापक, लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार, एम. ए., विद्यामहोदधि । |
| २. डॉ० फतेहसिंह: | लेखक, आलोचक, प्राध्यापक व शोधाचारी । |
| ३. श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमिया: | सुप्रसिद्ध कवियित्री, हिन्दी गद्य काव्य की युगप्रेरक लेखिका, मंगलाप्रसाद पारितोषिक विजेता । |
| ४. श्री रावत सारस्वत: | राजस्थानी भाषा साहित्य के विद्वान, प्रमुख कवि, साहित्यिक कार्यकर्त्ता एवं राजस्थानी भाषा तथा साहित्य के प्रबल समर्थक । |
| ५. प्रोफसर गणपतिचन्द्र भंडारी: | हिन्दी के प्राध्यापक, राजस्थानी भाषा के नई पीढी के प्रमुख कवि एवं लेखक । |
| ६. डॉ० मोतीलाल मैनारिया: | राजस्थान के हिन्दी साहित्य के इतिहास के प्रवर्तक, राजस्थानी भाषा साहित्य के प्रमुख लेखक, आलोचक एवं भाषाविद् । |
| ७. श्री नन्द चतुर्वेदी: | हिन्दी के प्राध्यापक, हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि, लेखक एवं आलोचक । |
| ८. श्री विष्णु अम्बालाल जोशी: | हिन्दी के प्राध्यापक, राजस्थान के सुप्रसिद्ध कहानीकार, लेखक एवं आलोचक । |
| ९. डॉ० कन्हैयालाल सहल: | एम. ए., पी. एच डी. प्रसिद्ध लेखक, आलोचक एवं कवि, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, बिड़ला कालेज, पिलानी । |

## परिशिष्ट ४

( कृपया प्रश्न संख्या ११६७ का उत्तर देखिये )

**List of liquor shops in Jalore District and the amount of auction money in respect of them for the year 1957-58.**

| *S.No.* | *Name of Place* | *Amount* |
|---|---|---|
| 1. | Alore | 2300/- |
| 2. | Kwroda | 1525/- |
| 3. | Gole | 800/- |
| 4. | Chandrai | 3200/- |
| 5. | Deta | 506/- |
| 6. | Jalore | 8000/- |
| 7. | Bokra | 1000/- |
| 8. | Bhanwrai | 1800/- |
| 9. | Bhodrajun | 2335/- |
| 10. | Mondwala | 1005/- |
| 11. | Bagra | 875/- |
| 12. | Siyana | 2200/- |
| 13. | Sendariya | 1010/- |
| 14. | Harji | 2000/- |
| 15. | Chitrodi | 1200/- |
| 16. | Jaswantpura | 1800/- |
| 17. | Barudi | 400/- |
| 18. | Bhiarumal | 8020/- |
| 19. | Modran | 700/- |
| 20. | Bokhatapura | 6205/- |
| 21. | Pal | 1000/- |
| 22. | Raniwara | 9000/- |
| 23. | Ramseen | 1000/- |
| 24. | Mahoora | 2700/- |
| 25. | Chitalwana | 355/- |
| 26. | Zab | 300/- |
| 27. | Bhwatra | 600/- |
| 28. | Sanchora | 7450/- |
| | TOTAL | 69286/- |

## परिशिष्ट ५

( कृपया प्रश्न संख्या ११६८ का उत्तर देखिये )

**List of R.T.S. Officers who Formerly were Officiating against R.A.S Posts and have now been reverted due to the posting of R.A.S. Probationers**

| | *Tehsildars* | *Place of seniority.* |
|---|---|---|
| 1. | Shri S. L. Sarda | 136 |
| 2. | ,, Harnarain Singh Rajpurohit | 87 |
| 3. | ,, Abdul Latif | 64 |
| 4. | ,, M.L.Dia | 138 |
| 5. | ,, Bhonrilal Patni | 75 |
| 6. | ,, Dina Nath Sharma | 126 |
| 7. | ,, Surya Karan | 92 |
| 8. | ,, Mahavir Sahai Bairathi | 105 |
| 9. | ,, Roopsingh Solanki | 166 |
| 10. | ,, Motilal Gupta | 116 |
| 11. | ,, Anandilal Mathur | 83 |
| 12. | ,, Mannalal Mathur | 133 |
| 13. | ,, Prayojan Singh | 72 |
| 14. | ,, Rameshwar Pd. Gupta | 73 |
| 15. | ,, Meghraj Ujwal | 85 |
| 16. | ,, Lila Dhar Pathak | 121 |
| 17. | ,, Satwant Singh | 84 |
| 18. | ,, Dulichand Jain | 107 |
| 19. | ,, Dharam Veer Dube | 94 |
| 20. | ,, Phani Bhushan Thakore | 56 |
| 21. | ,, Abdul Hariz Beg | 58 |
| 22. | ,, Vikram Singh | 57 |
| 23. | ,, Ram Pratap Sharma | 47 |
| 24. | ,, Ranjeet Singh | 60 |
| 25. | ,, Tej Narain Sharma | 49 |
| 26. | ,, Deoki Nandan | 53 |
| 27. | ,, Balkrishna Rao | 39 |
| 28. | ,, Prayag Rai Mathur | 55 |
| 29. | ,, M.N. Banerji | 103 |
| 30. | ,, Panney Singh | 174 |

**तालिका प्रश्न संख्या २**

१. श्री विशम्भर नाथ पाठक
२. श्री गिरिराजसिंह
३. श्री देवीसिंह
४ श्री ज्ञानचन्द
५. श्री रिषभचन्द भंडारी
६. श्री गुरुवक्ष राय
७. श्री चाणक्यप्रसाद
८. श्री कल्याणमल जवालिया

९. श्री दिग्विजयसिंह
१०. श्री मोहम्मदखां
११. श्री हिम्मतसिंह
१२. श्री हरिनारायण माथुर

## INTERLACED SENIORITY LIST OF TEHSILDARS

1. Shri Rawat Tej Singh
2. Shri Kalyan Narain Sharma
3. Shri Lun Singh
4. Shri Hiralal Pancholi
5. Shri Daulat Singh
6. Shri Gaurishanker Acharya
7. Shri Madan Pratap Khunteta
8. Shri Shambhu Singh
9. Shri Chaman Singh
10. Shri Ganga Dhar Modi
11. Shri Jainarain Singh
12. Shri Labbu Ram
13. Shri Hanuman Sahai Purohit
14. Shri Navratan Verma
15. Shri Dan Singh
16. Shri Ganesn Dutt Changani
17. Shri Jaswant Singh
18. Shri Abdul Moid Khan
19. Shri Brij Nath Pancholi
20. Shri Jai Singh
21. Shri Gajraj Singh
22. Shri Pannalal Mahasani
23. Shri Sawai Singh Mehta
24. Shri Kesri Singh Despura
25. Shri Gaurishanker Jha
26. Shri Abdul Razak Khan
27. Shri Chand Ratan Mishra
28. Shri Mohd. Hussain Khan
29. Shri Devilal Bolia
30. Snri Budh Singh
31. Shri Shamsher Singh
32. Shri Gordhanlal Pandey
33. Shri Ratan Singh
34. Shri Champalal Vyas
35. Shri Deviram Gupta
36. Shri Kushal Singh
37. Shri Hukam Chand Sharma
38. Shri Chhater Singh
39. Shri Bal Krishan Rao
40. Shri Changan Mal Kochar
41. Shri Goverdhan Das
42. Shri Kan Singh
43. Shri Rameshwar Lal
44. Shri Takhat Singh
45. Shri Mokham Singh
46. Shri Shabir Hussain
47. Shri Rampratap Sharma
48. Shri Jagdish Prasad
49. Shri Tej Narain
50. Shri Ganga Singh
51. Shri Hari Shanker Snarma
52. Shri Tej Singh Choudhari
53. Shri Devkinandan Chaturvedi
54. Shri Gopal Lal Mathur
55. Shri Prag Rai Mathur
56. Shri Phannibhushan Thakur
57. Shri Vikram Singh
58. Shri Abdul Hafiz Beg
59. Shri Govind Singh
60. Shri Ranjit Singh
61. Shri Bishan Kumar
62. Shri Sat Guru Charan Mathur
63. Shri Prithvi Singh
64. Shri Abdul Latif
65. Shri Bhuralal Pancholi
66. Shri Guru Dutt Prasad
67. Shri Laxman Singh Dhabhai
68. Shri Devendra Mohan Kasliwal
69. Snri A. Sharman (Ajmer)
70. Shri Kishan Beharilal Nigam
71. Shri Raghuvar Dayal Sharma
72. Suri Prayojan Singh
73. Shri Rameshwar Pd. Gupta
74. Shri Shambhu Singh
75. Shri Bhonrilal Patni
76. Snri Ramchandra Singh
77. Shri Kan Singh
78. Shri Syed Abdullah
79. Shri Madan Mohanlal Trivedi
80. Shri Murlidnar Bohra
81. Shri Surendrapal Garga
82. Shri Girdhar lal Gupta
83. Shri Anandilal Mathur
84. Shri Satwant Singh
85. Shri Meghraj Ujwal
86. Shri Syed Abdul Gaffar
87. Shri Harinarain Singh Rajpurohit
88. Shri Agam Singh
89. Shri Mohan Singh
90. Shri Visheswarlal Pandey
91. Shri Jawahar Singh Rao

92. Shri Surya Karan
93. Shri Shri Krishan Tak
94. Shri Dharm Vir Dube
95. Shri Om Prakash
96. Shri Devi Singr
97. Shri Jalaludin Khan
98. Shri Shiv Gopal Kamthan
99. Shri Jagnath Sharma
100. Shri Prakashnarain Bhargava
101. Shri Anandilal Pareek
102. Shri Jai Narain Sharma
103. Shri M.B. Banerji
104. Shri Madan Mohan Pd. Sinha
105. Shri Mahabir Sahai Barathi
106. Shri Dev Charan Goyal
107. Shri Dulichand Jain
108. Shri Bhuramal Vyas
109. Shri Bhagwanilal Nagar
110. Shri Jodhsingh Hadda
111. Shri Mohd. Abid
112. Shri Gulab Rai Saxena
113. Shri Chandra Bhan Singh
114. Shri Ranbir Singh
115. Shri Ahmed Hussain Quereshi
116. Shri Motilal Gupta
117. Shri Roop Narain
118. Shri Kanhaiyalal Padliya
119. Shri Nahar Singh
120. Shri Rawat Singh
121. Shri Liladhar Pathak
122. Shri Vrijnath Sharma
123. Shri Roop Singh
124. Shri Kalyansingh S/o Jevraj-Singh
125. Shri Madood Ali Khan
126. Shri Dinanath Sharma
127. Shri Inteshmuddin Khan
128. Shri Naraindass Virwani
129. Shri Prasram Purohit
130. Shri Chiranjilal
131. Shri Kailash Narain Nigam
132. Shri Jaswant Singh
133. Shri Mannalal Mathur
134. Shri Baljkishan Sharma
135. Shri Sagar Mal Morohit
136. Shri S. L. Sarda
137. Shri Ratanchand Parak
138. Shri M.L. Dia (Ajmer)
139. Shri Tejnarain Tikku
140. Shri Shivram Pandey
141. Shri Radha Krishan Tripathi
142. Shri Satya Deo Atha
143. Shri Roop Ram Vyas
144. Shri Durga Chand
145. Shri Parashmal Manhot
146. Shri Balkrishan Bohra
147. Shri Mukat Beharilal
148. Shri Shyambehari Chand Bhandari
149. Shri Gopal Singh
150. Shri Hardutt Sarswat
151. Shri Madanlal Vyas
152. Shri Fateh Lal Pedlia
153. Shri Madan Gopal
154. Shri Gopal Lal Sharma
155. Shri Kalicharan Kishore
156. Shri Damodarlal Mathur
157. Shri Devi Pd. Chaturvedi
158. Shri Kalyansingh S/o Bhur Singh
159. Shri Rajeshwar Dayal
160. Shri Kalyan Singh Rathore
161. Shri Jogendra Nath Kulshreshtha
162. Shri Laxmi Chand
163. Shri Mahmod B.A.
164. Shri Ram Narain Saxena
165. Shri Rameshwar Dayal Bhargava
166. Shri Roop Singh Solanki
167. Shri Sheva Lal Shaha
168. Shri Vishnu Dutt Sharma
169. Shri Mahi Ram
170. Shri Sukh Chand Mehta
171. Shri Jagan Nath Singh
172. Shri Lal Behari Singh
173. Shri Bhawani Singh Deora
174. Shri Panney Singh
175. Shri Jeth Mal Vyas
176. Shri M.P. Saxena
177. Shri Shanker Roop Rai
178. Shri Bhanwarlal Khandelwal
179. Shri Hassinuddin
180. Shri Nizamuddin
181. Shri Tulsiram Acharya
182. Shri Girdhar Singh
183. Shri Jag Narain Singh
184. Shri Kanmal Malga
185. Shri Sukhvir Singh Gahlot
186. Shri Jagan Nath Lal
187. Shri Maharaj Singh Tyagi
188. Shri Heeralal Malu
189. Shri Darshan Singh
190. Shri Syed Aftab Ali
191. Shri Murli Manohar
192. Shri Anandilal

193. Shri Jaswant Singh
194. Shri Sohanlal Achalia
195. Shri Govind Narain Mathur
196. Shri Bal Swaroop Bhatnagar
197. Shri Chandmal Jain
198. Shri Girwardan Singh
199. Shri Sawai Singh Bhandari
200. Shri Lalsingh Solanki
201. Shri Suraj Karan Harsh
202. Shri Brij Bushan S. Bhatt
203. Shri Ramjilal Kapasia
204. Shri Chandra Bhan Singh
205. Shri Jaswant Singh
206. Shri Kanhiyalal Kochar
207. Shri Mangal Chand Mehta
208. Shri Moolchand Sharma
209. Shri Shivdutt Singh Choudhary
210. Shri Jagpat Singh
211. Shri Ghisilal Jain
212. Shri Tilak Ram
213. Shri Somnath Sant
214. Shri Jugal Singh
215. Shri Sitaram Gopal Desmukh
216. Shri Heeralal Gandhi
217. Shri An Raj
218. Shri Bhagwan Chand
219. Shri Prakash Nath Kapoor
220. Shri Samrath Mal Haran
221. Shri Ratan Chand Maheshwari
222. Shri Gordhanlal Chobisa
223. Shri Goverdhan Singh Jhala
224. Shri Hardeo Singh
225. Shri Satya Vrat Sharma
226. Shri Kistoor Chand Tosniwal
227. Shri Arjun Singh
228. Shri Bhanwarlal Mundawat
229. Shri Kishansingh Jhala
230. Shri Gopal Singh Mehta
231. Shri Jagdep Narain Tikku
232. Shri Sawai Singh Mehta
233. Shri Radha Kishan Sharma
234. Shri Ramgopal Purohit
235. Shri Jorawarmal Patni
236. Shri Laxmi Sharan
237. Shri Keshav Lal Chobisa
238. Shri Udailal Dhabai
239. Shri Darayao Singh
240. Shri Parbat Singh
241. Shri Balvir Singh
242. Shri Raghuveer Singh
243. Shri Krishan Gopal
244. Shri Ratanlal Shrivastava
245. Shri Ramnarain Sharma
246. Shri Sardar Singh
247. Shri Shyamsunder Shrivastava
248. Shri Brij Kishore
249. Shri Pitamlal Chagganlal Mankad
250. Shri Deep Chand Jain
251. Shri Brij Nath Saxena
252. Shri Chouthmal Jain
253. Shri Narainlal Verma
254. Shri Kamta Pd. Sharma
255. Shri Achpal Singh Sharma
256. Shri Bijay Singh Mathur
257. Shri Suraj Narain Bhargava
258. Shri Aminurrehman
259. Shri Jai Kumar Jain
260. Shri Gurubux Saxena
261. Shri Nathmal Sharma
262. Shri Narendra Sahai Saxena
263. Shri Ghanshyam Das Bhardwaj
264. Shri Balchand Tyagi
265. Shri Ganeshlal Trivedi
266. Shri Manoharlal
267. Shri Vallabh Singh Lodha
268. Shri Akshyalal Bhatt
269. Shri Manoharsingh Mehta
270. Shri Gouriballabh Purohit
271. Shri Girdharilal Gour
272. Shri Heeralal Kaushik
273. Shri Sohanlal Khemeshra
274. Shri Ajit Singh
275. Shri Suraj Mal Lodha
276. Shri Bakshish Singh
277. Shri Gurucharan Singh
278. Shri Prithvi Singh
279. Shri Raghunath Singh
280. Shri Rameshwar Dayal Gupta

## परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या १२०४ का उत्तर देखिये)

तारांकित प्रश्न संख्या १६१ आर. एम. के संबंध में सूची:—

७७०) झुपा:—४५०, कोठी १ में मोठ २०:—३२०) ।
२६०) कोठी १ में गवांर ८:—२००), मोचा ६:—६०) ।
८३०) विस्तर ६:—१००), चारा:—५०० , लाव ३:—२००), चरस १:—३०) ।
१५०) बोरा १:—१००), रादा:—५०) ।

२०१०) रुपये

५००) रोकड़ा रुपया के नोट ।
३६०) चांदी तोला ४०:—६०), तीमीणया सोना तोला ३:—३००)
२८०) रजाई ४:—८०), घासिया ४:—४०), रालीयो १६:—१६०) ।
९८) घी कचा:—८० , तेल मीठा:—१८) ।
२५) थालियां कांसी ३ :—व घराचे पीतलरा ।
५) कटोरदान व लकड़ी की पेटी ।
१८०) मोठ ४ मन:—६०), बाजरी ६ मण:—१२०) ।
१००) रुई १०), मांचा ३:—३० , ३० ओडा पलिया:—६०) ।
१२) गुड़ १:— १०), मेथी चार पापली:—२) ।
१५०) झूपा ।

१७१०) रुपया ।